



तीसरी THIRD

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर)
(Excluding Railways)

2016-2017

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

मार्च, March, 2017

परिचायक टिप्पणी

INTRODUCTORY NOTE

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का तीसरा बैच 2016-2017.

Subject : Third Batch of Supplementary Demands for Grants, 2016-2017.

वर्ष 2016-17 की पूरक अनुदान मांगों के तीसरे बैच में 75 अनुदान मांगें तथा 3 विनियोग हैं। ₹11,35,055.69 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹14,786.85 करोड़ है और सकल अतिरिक्त व्यय, जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों से समतुल्य किया जाएगा ₹11,20,267.44 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोग के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए के साथ ₹140 लाख का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

The Third batch of Supplementary Demands for Grants for 2016-17 includes 75 Grants and 3 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹11,35,055.69 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹14,786.85 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹11,20,267.44 crore. Besides, token provision of ₹140 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं:-

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
नकद व्यय	Cash Outgo			
कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE			
1 कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण मंत्रालय कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare			
(क) 1. अतिरिक्त राशि प्रदान करने के लिए 1. निम्नलिखित के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) कृषोन्नति योजना के अंतर्गत पौधों की किस्म एवं कृषक अधिकारों का संरक्षण (₹3.30 करोड़) (ii) कृषोन्नति के अंतर्गत राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (₹2.90 करोड़), (iii) कृषोन्नति योजना के तहत पादप संरक्षण और पादम संगरोध उप-मिशन (₹5.20 करोड़), (iv) राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम मिशन (₹15 करोड़), (v) कृषोन्नति योजना (सामान्य घटक - ₹152.30 करोड़ और अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक आयोजना (₹24.30 करोड़) 2. निम्न के अंतर्गत पूंजी आस्ति के सृजन के लिए अनुदान (i) कृषोन्नति योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (₹4.30 करोड़) और (ii) बीज और बागान सामग्री उप-मिशन (₹5.20 करोड़)।	(a) For providing additional 1. Grants-in-aid General under (i) Protection of Plant Varieties and Farmers Rights under Krishonnati Yojana (₹3.30 crore) (ii) National Institute of Plant Health management under Krishonnati Yojna (₹2.90 crore) (iii) Sub-Mission on Plant Protection and Plant Quarantine under Krishonnati Yojna (₹5.20 crore) (iv) National Mission on Oil-seeds and Oil palm (₹15 crore) (v) Mission for Integrated Development of Horticulture under Krishonnati Yojna (General Component - ₹152.30 crore and for special Component Plant for Scheduled Caste - ₹24.30 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets under (i) National Institute of Plant Health Management under Krishonnati Yojna (₹4.30 crore) and (ii) Sub-Mission on Seeds and Planting Material (₹5.20 crore).	30.20	-	30.20
(ख) कृषोन्नति योजना के अंतर्गत भूमि विकास बैंक को ऋण जारी करने के लिए (₹25 करोड़)।	(b) For release of loans to Land Development Banks under Krishonnati Yojna (₹25 crore).	22.20	-	22.20
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
8 भेषज विभाग	8 Department of Pharmaceuticals			
हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक लि., पुणे के लिए मजदूरी, वेतन आदि के लिए व्यय पूरा करने हेतु ऋण	For providing loan to meet expenditure towards the wages, salaries and other			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
मुहैया कराने के लिए।	immediate expenses for Hindustan Antibiotics Limited (HAL, Pune).	-	100.00	100.00
कोयला मंत्रालय	MINISTRY OF COAL			
10 कोयला मंत्रालय	10 Ministry of Coal			
कोयला खानों में संरक्षण सुरक्षा और अवसंरचना विकास स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त निधि पूरा करने के लिए।	For meeting additional fund under the scheme Conservation Safety and Infrastructure Development in Coal Mines.	195.36	-	195.36
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
13 डाक विभाग	13 Department of Posts			
(क) न्यायालयी निर्णय के कारण भुगतान।	(a) For payment arising out of Court Judgements.	-	3.08	3.08
(ख) मजदूरी के कारण अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹38.53 करोड़), पेंशन (₹77.80 करोड़) और डाक विभाग का कार्यचालन व्यय (₹34.07 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure on account wages (₹38.53 crore), Pensions (₹77.80 crore) and operational expenditure of the Department of Posts (₹34.07 crore).	-	69.27	69.27
14 दूरसंचार विभाग	14 Department of Telecommunications			
(क) न्यायालयी आदेशों के कारण ₹4.27 करोड़ के भुगतान हेतु।	(a) For payment of ₹4.27 crore arising out of court orders.	-	4.27	4.27
(ख) दूरसंचार विभाग के सचिवालय का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure of Secretariat of Department of Telecommunications.	-	56.81	56.81
(ग) भारत संचार निगम लिमिटेड में आमेलित कर्मचारियों को पेंशन भुगतान के कारण अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(c) For meeting additional expenditure on account of pension payment to the employees absorbed in Bharat Sanchar Nigam Limited.	-	357.28	357.28
(घ) सी-डॉट (₹8 करोड़)। को सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत परिव्यय में परिव्यय में वृद्धि के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के लिए निधि अलग रखने के लिए व्यय पूरा करने हेतु, भारत नेट (₹278.50 करोड़), सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को भुगतान योग्य क्षतिपूर्ति (₹162.58 करोड़)।	(d) For meeting expenditure towards earmarking funds for development of North Eastern Region due to increase in outlays under Grants-in-aid General to C-DoT (₹8 crore), BharatNet (₹278.50 crore) and compensation payable to telecom service providers from Universal Service Obligation Fund (₹162.58 crore).	449.08	-	449.08
(ङ) निम्नलिखित पूरा करने के लिए (i) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को अतिरिक्त अंतरण पर व्यय (₹1470.79 करोड़), भारतनेट का कार्यान्वयन (₹5040 करोड़), (ii) टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र को अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹87 करोड़)।	(e) For meeting (i) expenditure on additional transfer to Universal Service Obligation Fund (₹1470.79 crore), implementation of BharatNet (₹5040 crore) (ii) additional Grants-in-aid General to Centre for Development of Telematics (₹87 crore).	1,083.34	-	1,083.34
15 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	15 Department of Electronics and Information Technology			
निम्नलिखित प्रदान करने हेतु (i) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य (₹19.30 करोड़) और (ii) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (₹120 करोड़)।	For providing (i) Minor Works under National Informatics Center (NIC) (₹19.30 crore) and (ii) Unique Identification Authority of India (UIDAI) (₹120 crore).	90.11	-	90.11
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
16 उपभोक्ता मामले विभाग	16 Department of Consumer Affairs			
मूल्य स्थिरीकरण निधि के अंतर्गत मूल्य प्रचालन प्रकोष्ठ के कार्यचालन हेतु अतिरिक्त निधि प्रदान करने हेतु।	For providing additional fund for operation of Price Operation Cell under the scheme 'Price Stabilisation Fund'.	3,500.00	-	3,500.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
20 रक्षा मंत्रालय (विविध)	20 Ministry of Defence (Misc)			
(क) वेतन के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (₹59.18 करोड़), आपूर्ति और सामग्रियों (₹15.05 करोड़) और अन्य स्थापना संबंधी व्यय (₹39.12 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure on account of salaries (₹59.18 crore), Supplies and Materials (₹15.05 crore) and other establishment related expenditure (₹39.12 crore).	-	113.35	113.35
(ख) न्यायालयी आदेशों के कारण वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure under salaries arising out of court orders.	-	0.75	0.75
(ग) निम्न प्रदान करने हेतु (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹206.57 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹45 करोड़), रक्षा सम्पदा संगठन के अंतर्गत छावनी बोर्ड को (ii) रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान (₹0.87 करोड़) और (iii) रक्षा मंत्रालय एवं सीमा सड़क संगठन का अन्य स्थापना संबंधी व्यय (₹154.15 करोड़)।	(c) For providing (i) Grants-in-aid General (₹206.57 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹45 crore) to Cantonment Boards under Defence Estates Organisations (ii) Grants-in-aid General to Institute for Defence Studies and Analysis (₹0.87 crore) and (iii) Other establishment related expenditure of Ministry of Defence and Border Roads Organisation (₹154.15 crore).	-	371.90	371.90
(घ) पेंशन संबंधी प्रभारों का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹60.81 करोड़), ब्याज घटक (₹10 करोड़) और व्यय की अन्य मदें (₹2.49 करोड़)।	(d) For meeting additional expenditure of Pensionary charges (₹60.81 crore), Interest Component (₹10 crore) and other items of expenditure (₹2.49 crore).	-	68.95	68.95
(ङ) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना संबंधी अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹579.60 करोड़), नेशनल कैडेट कोर (₹12.57 करोड़) और निरीक्षण (₹9.87 करोड़)।	(e) For meeting additional expenditure in respect of Ex-serviceman Contributory Health Scheme (₹579.60 crore), National Cadet Corps (₹12.57 crore) and Inspection (₹9.87 crore).	-	304.25	304.25
(च) लघु निर्माण कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹7.91 करोड़) और सीमा सड़क संगठन की पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹2 करोड़)।	(f) For meeting additional expenditure under minor works (₹7.91 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹2 crore) of Border Roads Organisation.	-	9.91	9.91
21 रक्षा पेंशन	21 Defence Pensions			
(क) न्यायालयी आदेशों के तहत भुगतान के लिए।	(a) For payment under court orders.	-	0.36	0.36
(ख) 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर पेंशन के बकाया का भुगतान करने के लिए और वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के कारण महंगाई राहत और बकाया का प्रभाव।	(b) For payment of arrears of pensions on implementations of the recommendations of the 7th Central Pay Commission, impact on Dearness Relief and arrears arising out of implementation of 'One Rank One Pension'.	-	3,292.94	3,292.94
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT AND NORTH EASTERN REGION			
24 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	24 Ministry of Development of North Eastern Region			
(क) वेतन के कारण प्रतिबद्ध व्यय पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करने हेतु।	(a) For providing additional funds to meet committed expenditure on account of salaries.	-	0.41	0.41
(ख) निम्नलिखित प्रदान करने के लिए (i) पूर्वोत्तर आजीविका परियोजना स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹24 करोड़), (ii) सामान्य सहायता अनुदान (₹38.50 करोड़) और पूर्वोत्तर परिषद स्कीम के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹29.20 करोड़)।	(b) For providing (i) Grants-in-aid General (₹24 crore) under the schemes North Eastern Livelihood Projects (ii) Grants-in-aid General (₹38.50 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹29.20 crore) under the schemes of North East Council.	24.00	-	24.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) पूर्वोत्तर परिषद विशेष विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान देने के लिए।	(c) For providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme of North East Council - Special Development Projects,	63.49	-	63.49
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
36 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	36 Indian Audit and Accounts Department			
वेतन के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	For meeting additional expenditure towards salary.	-	12.00	12.00
38 प्रत्यक्ष कर	38 Direct Taxes			
7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के कारण सीबीडीटी के अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन और भत्ते एवं अन्य प्रतिबद्ध देनदारी के लिए।	For pay and allowances to the officers/staff of CBDT on account of 7th CPC and other committed liability.	-	215.00	215.00
39 अप्रत्यक्ष कर	39 Indirect Taxes			
(क) सीमा शुल्क गठन के अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन/भत्ते का भुगतान करने के लिए।	(a) For payment of pay & allowances to the officers/staff of Customs Formations.	-	50.00	50.00
(ख) उत्पाद शुल्क गठन के अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन/भत्ते का भुगतान करने के लिए।	(b) For payment of pay & allowances to the officers/staff of Excise Formations.	-	230.00	230.00
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
41 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	41 Ministry of Food Processing Industries			
(क) वेतन के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹0.16 करोड़) और कार्यालयी खर्च (₹0.18 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure towards salaries (₹0.16 crore) and Office Expenses (₹0.18 crore).	-	0.34	0.34
(ख) अतिरिक्त राशि प्रदान करना 1. सामान्य सहायता अनुदान और व्यावसायिक सेवाएं (i) (₹70 करोड़) और (₹0.84 करोड़), मेगा फूड पार्क स्कीम के अंतर्गत, (ii) एकीकृत शीतलक श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना के अंतर्गत (₹41.80 करोड़) और (₹1 करोड़)। 2. निम्नलिखित के लिए व्यय (i) व्यावसायिक सेवाएं (₹0.10 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹1 करोड़), अन्य प्रभार (₹0.20 करोड़), अन्य प्रशासनिक खर्च (₹0.39 करोड़), मानव संसाधन और संस्थाएं स्कीम के अंतर्गत, (ii) गुणवत्ता आश्वासन स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक खर्च (₹0.13 करोड़)।	(b) For providing additional 1. Grants-in-aid General and Professional Services (i) (₹70 crore) and (₹0.84 crore) under the scheme Mega Food Parks (ii) (₹41.80 crore) and (₹1 crore) under the scheme Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure 2. expenditure towards (i) Professional Services (₹0.10 crore), Advertisement and Publicity (₹1 crore), Other Charges (₹0.20 crore), Other Administrative Expenses (₹0.39 crore) under the scheme Human Resource and Institutions (ii) Other Administrative Expenses (₹0.13 crore) under the scheme for Quality Assurance.	83.21	-	83.21
(ग) अतिरिक्त राशि प्रदान करने के लिए (i) मानव संसाधन और संस्थाएं स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन को सामान्य सहायता अनुदान (₹1.01 करोड़) (ii) (₹2.76 करोड़) और मानव संसाधन एवं संस्थाएं स्कीम के अंतर्गत भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान (₹0.30 करोड़)।	(c) For providing additional (i) Grants-in-aid General (₹1.01 crore) to National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management under the scheme Human Resource and Institutions (ii) Grants-in-aid Salaries (₹2.76 crore) and Grants-in-aid General (₹0.30 crore) to Indian Institute of Crop Processing Technology under the scheme Human Resource and Institutions.	-	0.56	0.56
(घ) मेगा फूड पार्क स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹7.01 करोड़), आधुनिक बूचड़खाना (₹2.21 करोड़) एवं मानव संसाधन और संस्था को संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के लिए (₹14.21 करोड़)।	(d) For providing additional Grants-in-aid General under the scheme Mega Food Parks (₹7.01 crore), Modern Abattoirs (₹2.21 crore) and Human Resource and Institutions for Promotional Activities (₹14.21 crore).	8.85	-	8.85

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
44 भारी उद्योग विभाग	44 Department of Heavy Industry			
(क) दिनांक 30.11.2016 के मंत्रिमंडल के निर्णय अनुसार इन्स्ट्रुमेंटेशन लि. कोटा को बंद करने के प्रस्ताव के कारण वेतन/सांविधिक देनदारी, बैंक उधार आदि के भुगतान के लिए ऋण प्रदान करने के लिए।	(a) For providing loan for payment of salary/statuary dues, Bank Borrowings, etc. on account of proposed closure of Instrumentation Ltd., Kota (ILK) as per Cabinet decision dated 30.11.2016.	-	289.93	289.93
(ख) दिनांक 30.11.2016 के मंत्रिमंडल के निर्णय अनुसार इन्स्ट्रुमेंटेशन लि. कोटा को बंद करने के प्रस्ताव के कारण वीआरएस/वीएसएस क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए ऋण प्रदान करना।	(b) For providing loan for payment of VRS/ VSS compensation on account of proposed closure of Instrumentation Ltd., Kota (ILK) as per Cabinet decision dated 30.11.2016.	-	110.09	110.09
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
46 गृह मंत्रालय	46 Ministry of Home Affairs			
आरजीआई के अंतर्गत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, असम के उन्नयन के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure for updation of National Population Register (NPR), Assam under RGI.	200.00	-	200.00
52 उच्चतर शिक्षा विभाग	52 Department of Higher Education			
कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के वेतनमान में बढ़ोत्तरी स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid Salaries under the scheme Improvement in Salary Scale of College and University Teachers.	11.17	-	11.17
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
53 सूचना और प्रसारण मंत्रालय	53 Ministry of Information and Broadcasting			
(क) संचार विकास के जरिए जन सशक्तिकरण हेतु।	(a) For People Empowerment through Development Communication.	33.99	-	33.99
(ख) प्रसार भारती को सहायता अनुदान वेतन (₹30.82 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹19.18 करोड़)।	(b) For meeting additional requirement towards Grants-in-aid Salaries (₹30.82 crore) and Grants-in-aid General (₹19.18 crore) to Prasar Bharti.	-	17.36	17.36
(ग) निम्नलिखित के लिए (i) विकास संचार के जरिए जन सशक्तिकरण डीएवीपी आयोजना स्कीम (₹6.72 करोड़) और (ii) आईआईएमसी आयोजना स्कीम, पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत नए आईआईएमसी क्षेत्रीय केन्द्र खोलना (₹1 करोड़)।	(c) For (i) DAVPs Plan Scheme 'People Empowerment through Development Communication (₹6.72 crore) and (ii) IIMC's Plan Scheme Opening up of New Regional Centre of IIMC under North Eastern Region (₹1 crore).	6.00	-	6.00
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
58 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	58 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
(क) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बाजार संवर्धन एवं विकास सहायता हेतु सामान्य सहायता अनुदान के लिए (₹0.50 करोड़) और (ii) ऋण सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत अंशदान के लिए (₹193.58 करोड़), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास निधि हेतु आयोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र।	(a) For meeting additional requirement (i) towards Grants-in-aid General (₹0.50 crore) for Market Promotion and Development Assistance (MPDA) for NER and (ii) under Credit Support Programme towards contribution (₹193.58 crore) Plan-NER for Credit Guarantee Trust Fund for Micro and Small Enterprises (CGTMSE).	193.58	-	193.58
(ख) निम्नलिखित की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए 1. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास निधि हेतु कॉर्पस	(b) For meeting additional requirement towards 1. Contribution (₹1,504.32 crore) under Credit Support Programme			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन Non Plan	जोड़ Total
निधि में निधि बढ़ाने के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम के तहत अंशदान (₹1504.32 करोड़), 2. निम्नलिखित को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) ग्राम उद्योगों का विद्युत और निर्माण कार्य (₹7 करोड़) और (ii) खादी, ग्राम उद्योग एवं कॉयर को पूर्वोत्तर क्षेत्र के तहत व्यय पूरा करने के लिए (₹0.01 करोड़), 3. सामान्य सहायता अनुदान (i) बाजार संवर्धन और विकास सहायता (₹17.50 करोड़) एवं (ii) राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (₹0.19 करोड़)।	for augmentation of funds to the corpus for Credit Guarantee Trust Fund for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) 2. Grants for Creation of Capital Assets for (i) electrical and construction work of village industries (₹7 crore) and (ii) Khadi, Village Industries and Coir (S&T) to meet expenditure under NER region (₹0.01 crore) 3. Grants-in-aid General for (i) Market Promotion and Development Assistance (MPDA) (₹17.50 crore) and (ii) Rajiv Gandhi Udyami Mitra Yojna (RGUMY) (₹0.19 crore).	1,504.32	-	1,504.32
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
75 ग्रामीण विकास विभाग	75 Department of Rural Development			
(क) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करने लिए।	(a) For providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojna-Gramin.	116.73	-	116.73
(ख) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करने लिए।	(b) For providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojna-Gramin.	782.25	-	782.25
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
82. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	82 Department of Social Justice and Empowerment			
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का विकास (₹3.44 करोड़) (ii) अनुसूचित जाति हेतु मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति (₹9.99 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme (i) Development of Economically Backward Classes (₹3.44 crore) (ii) Post Matric Scholarship for SCs (₹9.99 crore).	3.44	-	3.44
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
89. जनजातीय कार्य मंत्रालय	89 Ministry of Tribal Affairs			
(क) सचिवालय के अंतर्गत वेतन हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(a) For meeting additional expenditure towards salary under Secretariat.	1.00	-	1.00
(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग स्कीम के अंतर्गत वेतन हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure towards salary under the scheme National Commission for Scheduled Tribes.	-	0.50	0.50
संघ शासित क्षेत्र (विधानसभा रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
90. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	90 Andaman and Nicobar Islands			
(क) सैटेलाइट ट्रांसपोंडरों को किराए पर लेने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु	(a) For meeting additional expenditure for hiring of satellite transponders.	54.00	-	54.00
(ख) एएनआईएमईआरएस के संबंध में सामान्य अनुदान सहायता (₹1.50 करोड़) और वेतन अनुदान सहायता (₹4.50 करोड़) हेतु व्यय पूरा करना और एएनआईएसएचआई के अंतर्गत आवश्यकताओं को पूरा करना (₹6 करोड़)।	(b) For meeting (i) expenditure towards Grants-in-aid General (₹1.50 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹4.50 crore) in respect of Medical Education and Research Society (ANIMERS) and (ii) requirement under Health Insurance (ANISHI) Scheme (₹6 crore).	12.00	-	12.00
(ग) अग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण के लिए तैनात किए गए कर्मचारियों के वेतन हेतु व्यय पूरा करना।	(c) For meeting the expenditure towards Salaries for personnel deployed for Fire Protection and Control.	2.15	-	2.15

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(घ) पोर्ट ब्लेयर में सर्किट कोर्ट के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को मजदूरी के भुगतान के व्यय को पूरा करना।	(d) For meeting the expenditure towards payment of wages for Circuit Court at Port Blair.	0.51	-	0.51
(ङ.) जिला पुलिस के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में वेतन हेतु व्यय पूरा करना।	(e) For meeting the expenditure towards Salaries in respect of employees working under District police.	1.44	-	1.44
(च) जिला पुलिस के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में वेतन हेतु व्यय पूरा करना।	(f) For meeting the expenditure towards Salaries in respect of employees working under District police.	-	8.00	8.00
(छ) प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र हेतु वेतन (₹17.13 करोड़) और मध्याह्न भोजन (₹4.50 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करना।	(g) For meeting expenditure towards (i) Salaries for Primary Education Sector (₹17.13 crore) and (ii) Mid Day Meals (₹4.50 crore).	21.63	-	21.63
(ज) माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत वेतन हेतु व्यय पूरा करना।	(h) For meeting the expenditure towards Salaries under Secondary Education Sector.	11.34	-	11.34
(झ) निजी स्कूलों को सहायता के लिए अनुदान सहायता-वेतन (₹0.50 करोड़) के व्यय को पूरा करना और माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत वेतन (₹6.45 करोड़) हेतु व्यय पूरा करना।	(i) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid Salaries for assistance to Private School (₹0.50 crore) and (ii) Salaries under Secondary Education Sector (₹6.45 crore).	-	6.00	6.00
(ञ) एएनकेवीआईबी के लिए वेतन अनुदान सहायता हेतु व्यय पूरा करना।	(j) For meeting the expenditure towards Grants-in-aid Salaries to Khadi & Village Industries Board (ANKVIB).	0.18	-	0.18
(ट) विद्युत विभाग हेतु वेतन के अंतर्गत (₹8.10 करोड़) और बिजली घरों को चलाने के लिए उच्च गति डीज़ल (एचएसडी) की खरीद हेतु (₹6.04 करोड़) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना।	(k) For meeting additional requirement (i) towards Salaries (₹8.10 crore) and (ii) for procurement of HSD for running powerhouses (₹6.04 crore).	14.14	-	14.14
(ठ) डीजी एस एंड डी के लंबित बिलों के भुगतान के लिए अपेक्षित अतिरिक्त राशि।	(l) For meeting additional amount towards payment of pending DGS&D bills.	-	280.61	280.61
(ड) पीबीएमसी हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के व्यय को पूरा करना।	(m) For meeting the expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets to Port Blair Municipal Council.	1.81	-	1.81
(ढ) ग्राम पंचायत को अनुदान सहायता के अंतर्गत भुगतान करना।	(n) For making payment towards Grants in-aid to Gram Panchayat.	0.80	-	0.80
(ण) जिला परिषद हेतु अनुदान सहायता-वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।	(o) For meeting additional requirement towards Grants-in-aid Salaries to Zila Parishad.	0.80	-	0.80
(त) अंतर-द्वीप समूह जहाजों के प्रचालन हेतु अतिरिक्त व्यय आवश्यकता को पूरा करना।	(p) For meeting additional expenditure for operation of inter-island vessels.	4.00	-	4.00
(थ) अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) यूटीसीपीसीआर के संबंध में वेतन अनुदान सहायता (₹0.05 करोड़) और सामान्य अनुदान सहायता (₹0.07 करोड़) तथा (ii) आईसीडीएस स्कीम हेतु यूटी पूरक अनुदान (₹4.16 करोड़)।	(q) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid Salaries (₹0.05 crore) and Grants-in-aid General (₹0.07 crore) in respect of UTCPCR and (ii) UT supplement to ICDS scheme (₹4.16 crore).	4.28	-	4.28
91 चंडीगढ़		91 Chandigarh		
(क) सरकारी मेडिकल कॉलेज-32, सरकारी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल-16 के आऊटसोर्स किए गए कर्मचारियों को भुगतान और सरकारी मेडिकल कॉलेज-32 के लिए एक्स-रे फिल्मों, दवाइयों, कार्यालय सामग्री की खरीद।	(a) For payment of outsourced staff of Government Medical College-32 Government Multi Specialty Hospital-16 & Malaria and purchase of x-ray films, medicines, office material of Government Medical College-32.	-	14.65	14.65
(ख) संघ शासित क्षेत्र के गेस्ट हाउस में तैनात दैनिक कामगारों की मजदूरी का भुगतान और कार्यालय सामग्री की खरीद तथा पानी एवं बिजली के बिलों का भुगतान।	(b) For payment of wages to the daily wage workers deployed in UT Guest House and purchase of office material and payment of water and electricity bill.	-	0.50	0.50

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) उच्च न्यायालय के बिजली एवं पानी प्रभारों का भुगतान और जिला न्यायालय के स्वर्ण जयंती समारोह के आयोजन हेतु।	(c) For payment of electricity and water charges of High Court and for celebration of Golder Jubilee of District Court.	-	1.00	1.00
(घ) जेल विभाग में तैनात दैनिक कामगारों की मजदूरी का भुगतान।	(d) For payment of wages to the daily wage workers deployed in Jail Department.	-	0.50	0.50
(ङ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-28 चंडीगढ़ में सामग्री की खरीद और नए ट्रेड शामिल करना।	(e) For purchase of material for affiliation of new Trades in Industrial Training Institute-28, Chandigarh.	-	1.00	1.00
(च) बिजली विभाग में तैनात आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों को भुगतान।	(f) For payment of outsourced staff deployed in Electricity Department.	-	0.60	0.60
(छ) वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन स्कीम की दरों में बढ़ोतरी।	(g) For increase in the rates of Old age and disabled pension scheme.	-	6.00	6.00
(ज) निर्माण सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी और कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी हेतु।	(h) For increase in the prices of construction material and scope of work.	-	2.50	2.50
(झ) विधवा पेंशन स्कीम की दरों में बढ़ोतरी।	(i) For increase in the rates of Widow pension scheme.	-	4.15	4.15
92 दादरा और नगर हवेली	92 Dadra and Nagar Haveli			
(क) स्वच्छ आंगन योजना के अंतर्गत शौचालय ब्लॉकों के निर्माण हेतु सामान्य अनुदान सहायता जारी करना।	(a) For providing Grants-in-aid General towards construction of toilet blocks under swachh Aangan Yojana.	3.45	-	3.45
(ख) निम्नलिखित हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी करना 1. एकीकृत जल प्रबंधन योजना हेतु (i) रखोली, किलवानी, रांधा, नरोली, दादरा और समरवानी पेटलाड (₹24 करोड़) और (ii) चरण-1 में दादरा और नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र में जल आपूर्ति व्यवस्था हेतु (₹1 करोड़) 2. कौंचा, जामलपाड़ा, गुन्सा और बिलधारी पेटलाड हेतु जल आपूर्ति स्कीम (₹2 करोड़) 3. दादरा, नरोली और दुधानी पेटलाड हेतु घर-घर जल आपूर्ति कनेक्शन (₹3 करोड़)।	(b) For providing Grants for Creation of Capital Assets towards 1. Integrated Water Management Plan for (i) Rakholi, Kilvani, Randha, Naroли, Dadra and Samarvani Patelad (₹24 crore) and (ii) UT of Dadra & Nagar Haveli water supply arrangement in Zone-I (₹1 crore) 2. water supply scheme for Kauncha, Jamalpada, Gunsa and Bildhari Patelad (₹2 crore) 3. House to House water supply connection at Dadra, Naroли and Dudhani Patelad (₹3 crore).	30.00	-	30.00
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
97 महिला और बाल विकास मंत्रालय	97 Ministry of Women and Child Development			
मातृत्व लाभ कार्यक्रम (₹234 करोड़) (ii) एकीकृत बाल विकास सेवाएं (₹1,000 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme (i) Maternity Benefit Programme (₹234 crore) (ii) Integrated Child Development Services (ICDS) (₹1,000 crore).	217.18	-	217.18
कुल नकद व्यय	Total Cash Outgo	8,782.03	6,004.82	14,786.85

3. अनुदान की पूरक मांगों के इस बैच में ₹11,20,267.44 करोड़ रुपए हेतु तकनीकी पूरक अनुदान/विनियोग हेतु प्रस्ताव शामिल हैं, जिन्हें मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त

3. This batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹11,20,267.44 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
प्राप्तियों/वसूलियों अथवा तदनुसूची बचतों से संतुलित किया जाना है। ये मदें निम्नानुसार हैं:	The items are as follows:			
तकनीकी पूरक अनुदान की मांगें	Technical Supplementary Demands for Grants			
कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE			
1. कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare			
कृषि कल्याण उपकर का कृषि कल्याण कोष में अंतरण।	For transfer of Krishi Kalyan Cess to Krishi Kalyan Kosh.	-	5,203.72	5,203.72
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4. परमाणु ऊर्जा	4 Atomic Energy			
(क) डीएई सचिवालय के सातवें वेतन आयोग के बकायों का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(a) For meeting additional expenditure towards payment of 7th Pay Commission arrears of DAE Secretariat.	-	0.26	0.26
(ख) ब्याज दरों में संशोधन होने के कारण खारा जल (हैवी वाटर) पूल प्रबंधन हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(b) For meeting additional expenditure towards Heavy Water Pool Management due to revision of interest rates.	-	83.60	83.60
(ग) अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) रेडिएशन और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (₹3.95 करोड़), खारा जल संयंत्र (₹0.56 करोड़), न्यूक्लियर रिसाईकिल बोर्ड हेतु प्रचालन संयंत्र (₹22.82 करोड़) प्रबंधन सेवा समूह (₹0.21 करोड़) के सातवें वेतन आयोग के बकायों का भुगतान और (ii) रेडिएशन और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के कार्यालय एवं प्रबंधन संबंधी व्यय (₹1.15 करोड़), न्यूक्लियर ईंधन परिसर (₹124.22 करोड़) प्रबंधन सेवा समूह (₹0.09 करोड़) तथा रेडिएशन और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (₹0.21 करोड़)।	(c) For meeting additional expenditure towards (i) payment of 7th Pay commission arrears of Board of Radiation and Isotope Technology (₹3.95 crore), Heavy Water Plants (₹0.56 crore), Operating plants for Nuclear Recycle Board (₹22.82 crore), Management Services Group (₹0.21 crore); and (ii) O&M expenditure of Board of Radiation and Isotope Technology (₹1.15 crore), Nuclear Fuel Complex (₹124.22 crore), Management Services Group (₹0.09 crore) and Board of Radiation and Isotope Technology (₹0.21 crore).	-	57.29	57.29
(घ) अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के कार्यालय एवं प्रबंधन संबंधी व्यय (₹24 करोड़), भाभा आण्विक अनुसंधान केंद्र (₹17.42 करोड़) राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र (₹0.01 करोड़), वेरिबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर (₹3.58 करोड़) आण्विक खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (₹1.95 करोड़) सेवा इकाई (₹7.19 करोड़) (ii) भाभा आण्विक अनुसंधान केंद्र (₹40.09 करोड़) इंदिरा गांधी आण्विक अनुसंधान केंद्र (₹27.29 करोड़) राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र (₹13.89 करोड़), वेरिबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर (₹0.90 करोड़) आण्विक खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (₹14.13 करोड़) सेवा इकाई (₹11.86 करोड़) और एईआरबी (₹5.15 करोड़) के सातवें वेतन आयोग के बकायों का भुगतान और (iii) स्वायत्त निकायों एवं अनुसंधान सहायता को वेतन अनुदान सहायता (₹134.79 करोड़) तथा शिक्षा सोसायटी (एईईएस) (₹7 करोड़)।	(d) For meeting additional expenditure towards (i) O&M expenditure of International Atomic Energy Agency (₹24 crore), Bhabha Atomic Research Centre (₹17.42 crore), Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (₹0.01 crore), Variable Energy Cyclotron Centre (₹3.58 crore), Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (₹1.95 crore), Service Unit (₹7.19 crore); (ii) payment of 7th Pay Commission arrears of Bhabha Atomic Research Centre (₹40.09 crore), Indira Gandhi Centre for Atomic Research (₹27.29 crore), Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (₹13.89 crore), Variable Energy Cyclotron Centre (₹0.90 crore), Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (₹14.13 crore), Service unit (₹11.86 crore), and AERB (₹5.15 crore); and (iii) Grant-in-aid Salary of Autonomous bodies and Research Support (₹134.79 crore) and Education Society (AEES) (₹7 crore).	-	157.72	157.72

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ड.) अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) खारा जल उत्पादन सुविधा के सातवें वेतन आयोग के बकायों का भुगतान (₹16.41 करोड़) और (ii) फीडस्टॉक (₹1124 करोड़)।	(e) For meeting additional expenditure towards (i) payment of 7th Pay Commission arrears of Heavy Water Production Facility (₹16.41 crore); and (ii) Feedstock (₹1,124 crore).	-	1,124.00	1,124.00
आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)			
5. आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	5 Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)			
कार्यालय भवन की खरीद हेतु व्यय पूरा करना।	For meeting expenditure on acquisition of Office Building.	5.00	-	5.00
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
6. रसायन और पेट्रोसायन मंत्रालय	6 Ministry of Chemical and Petrochemicals			
इन्स्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फार्मूलेशन टेक्नॉलोजी हेतु सहायता अनुदान वेतन के लिए व्यय पूरा करना।	For meeting expenditure towards Grants-in-aid Salaries to Institute of Pesticides Formulation Technology (IPFT).	-	0.39	0.39
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
9. नागर विमानन मंत्रालय	9 Ministry of Civil Aviation			
पवन हंस लिमिटेड में निवेश (₹27.94 करोड़) और एयर इंडिया में निवेश (₹21.47 करोड़) (ii) नागर विमानन महानिदेशालय हेतु प्रमुख निर्माण कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता (₹17.91 करोड़) और (iii) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो हेतु प्रमुख निर्माण कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता (₹16.54 करोड़)।	For providing (i) investment in Pawan Hans Limited (₹27.94 crore) and in Air India (₹21.47 crore) (ii) additional requirement under Major Works for Director General of Civil Aviation (₹17.91 crore) and (iii) additional requirement under Major Works for Bureau of Civil Aviation Safety (₹16.54 crore).	69.07	-	69.07
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11. वाणिज्य विभाग	11 Department of Commerce			
(क) आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय कार्यालय के नए कार्यालय भवन के निर्माण और वाणिज्य विभाग के अन्य कार्यालयों के निर्माण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना।	(a) For meeting the additional requirement towards construction of a new office building for Office of the Directorate General of supplies and Disposals (DGS&D) and other offices of Department of Commerce.	1.00	-	1.00
(ख) निर्यात अवसंरचना और संबद्ध क्रियाकलापों के विकास की लंबित देयताओं हेतु राज्यों को सहायता के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना।	(b) For meeting the additional requirement under Assistance to States for Development of Export Infrastructure and Allied Activities (ASIDE) towards pending liabilities.	5.00	-	5.00
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
13. डाक विभाग	13 Department of Posts			
डाक विभाग की लेखा मजदूरी (₹ 38.53 करोड़), पेंशन (₹77.80 करोड़) और प्रचालनिक व्यय (₹34.07 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	For meeting additional expenditure on account wages (₹38.53 crore), Pensions (₹77.80 crore) and operational expenditure of the Department of Posts (₹34.07 crore).	-	81.13	81.13
14. दूरसंचार विभाग	14 Department of Telecommunications			
सार्वजनिक सेवा देयता निधि हेतु अतिरिक्त अंतरण पर व्यय (₹1470.79 करोड़) भारतनेट	For meeting (i) expenditure on additional transfer to Universal Service Obligation			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
का कार्यान्वयन (₹5040 करोड़) (ii) टेलीमेटिक्स विकास केंद्र को अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता (₹87 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करना।	Fund (₹1470.79 crore), implementation of BharatNet (₹5040 crore) (ii) additional Grants-in-aid General to Centre for Development of Telematics (₹87 crore).	1,493.95	-	1,493.95
15. इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	15 Department of Electronics and Information Technology			
इन्हें प्रदान करने के लिए (i) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) (₹19.30 करोड़) और (ii) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) (₹120 करोड़)।	For providing (i) Minor Works under National Informatics Center (NIC) (₹19.30 crore) and (ii) Unique Identification Authority of India (UIDAI) (₹120 crore).	7.50	-	7.50
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
16 उपभोक्ता मामले विभाग	16 Department of Consumer Affairs			
"मूल्य स्थिरीकरण निधि" स्कीम के अंतर्गत मूल्य संचालन प्रकोष्ठ के परिचालन के लिए अतिरिक्त निधियां मुहैया कराना।	For providing additional fund for operation of Price Operation Cell under the scheme 'Price Stabilisation Fund'.	2.60	-	2.60
17. खाद्य और सार्वजनिक तरण विभाग	17 Department of Food and Public Distribution			
(क) चीनी के बफ़र स्टॉक के अनुरक्षण हेतु सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत मैसर्स पोन्नी सुगर्स (ईरोड) लिमिटेड, तमिलनाडु को मध्यस्थता पंचाट के भुगतान हेतु।	(a) For payment of arbitration award to M/s Ponni Sugars (Erode) Ltd., Tamil Nadu under the scheme Subsidy for maintenance of Buffer Stock of sugar.	-	2.32	2.32
(ख) खाद्य भंडारण गोदाम के निर्माण हेतु नागालैंड (₹4.25 करोड़), अरुणाचल प्रदेश (₹10 करोड़) को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त अनुदान मुहैया कराना।	(b) For providing additional Grants for Creation of Capital Assets to Nagaland (₹4.25 crore), Arunachal Pradesh (₹10 crore) for construction of food storage godown.	14.25	-	14.25
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS			
18 कारपोरेट कार्य मंत्रालय	18 Ministry of Corporate Affairs			
कारोबार करने की सुगमता के अंतर्गत सातवें वेतन आयोग और अन्य प्रतिबद्ध देयताओं के कारण कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों हेतु।	For pay and allowances to the officers/staff of Ministry of Corporate Affairs on account of the 7th CPC and other committed liability under Ease of Doing Business.	-	5.37	5.37
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
20 रक्षा मंत्रालय (विविध)	20 Ministry of Defence (Misc)			
(क) पेंशन प्रभार (₹60.81 करोड़), ब्याज घटक (₹10 करोड़) और व्यय की अन्य मदों (₹2.49 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(a) For meeting additional expenditure of Pensionary charges (₹60.81 crore), Interest Component (₹10 crore) and other items of expenditure (₹2.49 crore).	-	4.35	4.35
(ख) भूतपूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य स्कीम (₹579.60 करोड़), राष्ट्रीय कैडेट कोर (₹12.57 करोड़) और निरीक्षण (₹9.87 करोड़) के संबंध में अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(b) For meeting additional expenditure in respect of Ex-serviceman Contributory Health Scheme (₹579.60 crore), National Cadet Corps (₹12.57 crore) and Inspection (₹9.87 crore).	-	66.21	66.21
(ग) न्यायालय के आदेशों के कारण वेतन एवं भत्ते (₹0.02 करोड़), भंडार (₹0.20 करोड़) और अन्य व्यय (₹0.30 करोड़) के अंतर्गत व्यय को पूरा करना।	(c) For meeting the expenses under Pay and Allowances (₹0.20 crore), Stores (₹0.20 crore) and other expenditure (₹0.30 crore) arising out of court orders.	-	0.70	0.70
(घ) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।	(d) For meeting the additional requirement under various heads of Defence Research and Development Organisation.	-	113.79	113.79
(ङ) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा न्यायालय के आदेशों के अनुसार दावाकर्ताओं को संवर्धित मुआवजे के भुगतान हेतु।	(e) For payment of enhanced compensation to the claimants as per court Orders by Defence Research and Development Organisation.	-	77.00	77.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
22 रक्षा सेवाएं (राजस्व)	22 Defence Services (Revenue)			
(क) आर्मी के वेतन एवं भत्ते (₹3570.89 करोड़) निर्माण कार्य (₹0.10 करोड़) और अन्य व्यय (₹58.20 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(a) For meeting additional expenditure towards pay and allowances (₹3570.89 crore) for Army, Works (₹0.10 crore) and other expenditure (₹58.20 crore).	-	3,628.99	3,628.99
(ख) नेवी के वेतन एवं भत्ते (₹331.24 करोड़) निर्माण कार्य (₹5.88 करोड़) संयुक्त स्टाफ (₹60.97 करोड़) और अन्य व्यय (₹0.58 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(b) For meeting additional towards pay and allowances (₹331.24 crore) for Navy, Works (₹5.88 crore), Joint Staff (₹60.97 crore) and other expenditure (₹0.58 crore).	-	398.67	398.67
(ग) नेवी के वेतन एवं भत्ते (₹175 करोड़) भंडार (₹895.02 करोड़) निर्माण कार्य (₹448.88 करोड़) और अन्य व्यय (₹40.45 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(c) For meeting additional expenditure towards pay and allowances (₹175 crore) for Navy, Stores (₹895.02 crore), Works (₹448.88 crore) and other expenditure (₹40.45 crore).	-	1,524.25	1,524.25
23 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	23 Capital Outlay on Defence Services			
न्यायालय के आदेशों के कारण वायु सेना के निर्माण कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	For meeting additional expenditure under 'Construction Works' of Air Force arising out of Court Orders.	-	2.46	2.46
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT AND NORTH EASTERN REGION			
24 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	24 Ministry of Development of North Eastern Region			
पूर्वोत्तर परिषद-विशेष विकास परियोजनाएं स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान मुहैया कराना।	For providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme of North East Council - Special Development Projects.	5.00	-	5.00
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
27 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	27 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराने हेतु (i) पर्यावरण सुरक्षा और निगरानी (खतरनाक पदार्थ प्रबंधन) (₹16.64 करोड़) (ii) राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबंधन कार्यक्रम (₹117.70 करोड़) 2. पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) पर्यावरण सुरक्षा और निगरानी (खतरनाक पदार्थ प्रबंधन) (₹1.25 करोड़) (ii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (₹20 करोड़)।	For providing 1. Grants-in-aid General to (i) Environment Protection and Monitoring (Hazardous Substances Management (EAP) (₹16.64 crore) (ii) National Coastal Zone Management Programme (₹117.70 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets (i) Environment Protection and Monitoring (Hazardous Substances Management (EAP) (₹1.25 crore) (ii) Central Pollution Control Board (₹20 crore).	11.90	-	11.90
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
29. आर्थिक कार्य विभाग	29 Department of Economic Affairs			
लोक लेखा में रखी हुई वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि की अदावाकृत राशि के अंतरण हेतु।	For transferring the unclaimed money to Senior Citizen Welfare Fund (SCWF) kept in the Public Account.	-	5,889.16	5,889.16
30 वित्त सेवाएं विभाग	30 Department of Financial Services			
(क) नाबार्ड की शेयर पूंजी हेतु अंशदान।	(a) For subscription to share capital to NABARD.	-	741.38	741.38
(ख) राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।	(b) For additional amount of required for transfer to National Investment Fund.	-	2,845.00	2,845.00
31 ब्याज भुगतान	31 Interest Payments			
अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु (i) मुआवजा और अन्य बांड (₹173.17 करोड़) 14 दिवसीय राजकोषीय बिलों पर छूट (₹968 करोड़) ऋण प्रबंधन (₹158.05 करोड़) बाजार	For additional requirement towards (i) compensation & other Bonds (₹173.17 crore), Discount on 14 days T.Bills (₹968 crore), Management of Debt (₹158.05 crore),			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन Non Plan	जोड़ Total
स्थिरीकरण स्कीम (₹5138.65 करोड़) विदेशी ऋणों पर ब्याज (₹1095.52 करोड़) छोटी बचतों, जमाशायियों, बचत पत्रों पर ब्याज (₹8079.83 करोड़) राज्य भविष्य निधि (₹1558.96 करोड़) बीमा और पेंशन निधि (₹48.61 करोड़) अन्य देयताओं पर ब्याज (₹4.25 करोड़) और वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (₹115.26 करोड़)।	Market Stabilisation Scheme (₹5138.65 crore), Interest on external Debts (₹1095.52 crore), Interest on Small Savings, deposits, certificates (₹8079.83 crore), State Provident Fund (₹1558.96 crore), Insurance & Pension Funds (₹48.61 crore), Interest on other obligation (₹4.25 crore) and Senior Citizens Welfare Fund (SCWF) (₹115.26 crore).	-	1,112.35	1,112.35
32. राज्यों को अन्तरण राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन निधि के अन्तर्गत राष्ट्रीय आपदा से प्रभावित राज्यों को सहायता के रूप में अतिरिक्त निधियां मुहैया कराना।	32 Transfers to States For providing additional funds as assistance to States affected by Natural Calamities under National Disaster Response Fund (NDRF).	-	3,000.00	3,000.00
33 ऋण की पुनःअदायगी (क) वापसी खरीद/स्विचिंग/बाजार निर्माण स्कीम (₹25472.49 करोड़) सामान्य बाज़ार ऋण के अंतर्गत 14 दिवसीय राजकोषीय बिलों का निपटान (₹563742 करोड़) 364 दिवसीय राजकोषीय बिलों का निपटान (₹0.47 करोड़) अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (₹383.76 करोड़) एशियाई विकास बैंक (₹3.65 करोड़) अफ्रीकी विकास निधि (₹4.03 करोड़) 9 प्रतिशत राहत बांड 1987 (₹0.41 करोड़) 10 प्रतिशत राहत बांड 1993 (₹0.04 करोड़) 9 प्रतिशत राहत बांड 1993 (₹0.27 करोड़) 10 प्रतिशत राहत बांड 1995 (₹0.37 करोड़) 9 प्रतिशत राहत बांड 1999 (₹2.84 करोड़) 8.5 प्रतिशत राहत बांड 2001 (₹11.78 करोड़) 8 प्रतिशत राहत बांड 2002 (₹2.73 करोड़) 7 प्रतिशत बचत स्कीम 2002 (₹1.15 करोड़) 6.5 प्रतिशत बचत बांड (गैर कर योग्य) 2003 (₹4.77 करोड़, 8 प्रतिशत बचत बांड (कर योग्य) 2003 (₹386.82 करोड़) एनएसएसएफ को जारी प्रतिभूतियों का मोचन (₹1736.66 करोड़) बाजार स्थिरीकरण स्कीम के अंतर्गत सीएमबी का पुनर्भुगतान (₹1011518.49 करोड़)। (ख) विदेशी ऋण के पुनर्भुगतान हेतु।	33 Repayment of Debt (a) For Buyback/switching/market making scheme (₹25472.49 crore), Discharge of 14 day Treasury Bills (₹563742 crore), 364 day Treasury Bills (₹0.47 crore) under normal market borrowing, international Development Agency (₹383.76 crore), Asian Development Bank (₹3.65 crore), Africal Development Fund (₹4.03 crore), 9% Relief Bonds, 1987 (₹0.41 crore), 10% Relief Bond, 1993 (0.04 crore), 9% Relief Bond, 1993 (₹0.27 crore), 10% Relief Bond, 1995 (₹0.37 crore), 9% Relief Bond, 1999 (₹2.84 crore), 8.5% Relief Bond, 2001(₹11.78 crore), 8% Relief Bond, 2002 (₹2.73 crore), 7% Saving Scheme 2002 (₹1.15 crore), 6.5% Savings Bond 2003 (Non Taxable) (₹4.77 crore), 8% Savings Bond (Taxable), 2003 (₹386.82 crore), Redemption of Securities issued to NSSF (₹1736.66 crore), Repayment of CMBs under Market Stabilisation Scheme (MSS) (₹1011518.49 crore). (b) For repayment of External Debt.	-	10,84,130.27	10,84,130.27
36 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग लेखा परीक्षा के अंतर्गत वेतन हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	36 Indian Audit and Accounts Department For meeting additional expenditure towards salary.	-	3.00	3.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
37 राजस्व विभाग औषधि निवारक नियंत्रण पर व्यय को पूरा करना।	37 Department of Revenue For meeting additional expenditure on Control of Drug Abuse.	-	7.01	7.01
38 प्रत्यक्ष कर सातवें वेतन आयोग और अन्य प्रतिबद्ध देयताओं के कारण सीबीडीटी के अधिकारियों /कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों हेतु (₹280.17 करोड़)।	38 Direct Taxes For pay and allowances to the officers/staff of CBDT on account of 7th CPC and other committed liability.	-	65.17	65.17
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
42 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (क) सीजीएचएस पेंशनरों की उपचार स्कीम के अंतर्गत चिकित्सा उपचार हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	42 Department of Health and Family Welfare (a) For meeting additional expenditure towards Medical Treatment under the scheme Treatment of CGHS Pensioners.	-	50.00	50.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) अतिरिक्त व्यय पूरा करना 1. स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (i) नशा मुक्ति केंद्र, एम्स, नई दिल्ली (₹1.40 करोड़) (ii) नशा मुक्ति केंद्र, निम्हेन्स, बेंगलुरु (₹0.60 करोड़) 2. व्यावसायिक सेवाओं के लिए मजदूरी के भुगतान हेतु (₹18.84 करोड़) 3. स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (i) राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (₹2 करोड़) (ii) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सोसायटी के संविदागत कर्मचारियों हेतु भविष्य निधि (₹45 करोड़) (iii) संचारी रोग जीसी हेतु फ्लैक्सीबल पूल (₹26.76 करोड़) (iv) भारतीय फार्माकोपिया आयोग (₹3 करोड़) (v) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (₹11.75 करोड़) (vi) राष्ट्रीय नशा मुक्ति कार्यक्रम (₹3 करोड़) (vii) भारतीय पाश्चर संस्थान, कुन्नूर (₹3 करोड़) 4. स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) भारतीय फार्माकोपिया आयोग (₹13 करोड़) (ii) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (₹48 करोड़) (iii) भारतीय पाश्चर संस्थान, कुन्नूर (₹10 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid Salaries under the scheme (i) Drug Deaddiction Centre at AIIMS, New Delhi (₹1.40 crore) (ii) Drug Deaddiction Centre at NIMHANS, Bengaluru (₹0.60 crore) 2. Professional Services for payment of Wages (₹18.84 crore) 3. Grants-in-aid General under the scheme (i) National AIDS and STD Control Programme (₹2 crore) (ii) Provident Fund to contractual staff of National AIDS Control Society (₹45 crore) (iii) Flexible Pool for Communicable Diseases-GC (₹26.76 crore) (iv) Indian Pharmacopoeia Commission (₹3 crore) (v) Food Safety and Standards Authority of India (₹11.75 crore) (vi) National Drugs Deaddiction Programme (₹3 crore) (vii) Pasteur Institute of India, Coonor (₹3 crore) 4. Grants for Creation of Capital Assets under the scheme (i) Indian Pharmacopoeia Commission (₹13 crore) (ii) Food Safety and Standards Authority of India (₹48 crore) (iii) Pasteur Institute of India, Coonor (₹10 crore).	20.84	-	20.84
(ग) राष्ट्रीय प्रतिरक्षण और पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवा अथवा संकल्प शुल्क हेतु अतिरिक्त व्यय प्रदान करना।	(c) For meeting additional expenditure towards Service or Commitment charges under National Programme for Immunisation and Polio Eradication.	-	1,377.60	1,377.60
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
44 भारी उद्योग विभाग एचएमटी लिमिटेड में धारक कंपनी द्वारा ऋण एवं अग्रिम की चुकौती करके इसकी अनुषंगी कंपनियों को भारत सरकार के मोचन अधिमान शेषों में कटौती करने के लिए।	44 Department of Heavy Industry For reduction of GoI's Redeemable Preference Share in HMT Ltd. by setting off the loans and advances extended by the holding company to its subsidiaries.	-	623.14	623.14
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
46. गृह मंत्रालय आरपीआइ की विविध स्कीमों के वेतन शीर्ष (₹9 करोड़) और (ii) गिनने की क्रिया की व्यावसायिक सेवाओं (₹0.40 करोड़) के लिए व्यय करने के लिए।	46 Ministry of Home Affairs For meeting expenditure towards (i) Salary heads of various schemes of RGI (₹9 crore) and (ii) Professional Services of enumeration (₹0.40 crore).	-	9.00	9.00
48 पुलिस (क) निर्भया निधि में अन्तरण हेतु। (ख) वेतनों (₹618.56 करोड़) और अनुसंधान (₹2.32 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय करने हेतु। (ग) इनके लिए अतिरिक्त आवश्यकता हेतु (i) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (₹27 करोड़) (ii) तस्करी रोकने के लिए महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों हेतु जांच इकाइया स्थापित करने के लिए (₹2 करोड़) और (iii) देश व्यापी आपदा विभाग प्रणाली (एनइआरएस) (₹157.60 करोड़)।	48 Police (a) For transfer to Nirbhaya Fund. (b) For meeting additional expenditure on salaries (₹618.56 crore) and Research (₹2.32 crore). (c) For additional requirement for (i) Border Area Development Programme (₹27 crore) (ii) setting up Investigative Units for Crimes Against Women under Anti trafficking (₹2 crore) and (iii) Nation-wide Emergency Response System (NERS) (₹157.60 crore).	157.60	-	157.60
		-	620.88	620.88
		186.60	-	186.60

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
68 विद्युत मंत्रालय	68 Ministry of Power			
(क) सचिवालय के अंतर्गत वेतन एवं भत्तों हेतु अतिरिक्त निधि मुहैया कराने हेतु।	(a) For providing additional fund for salaries and allowance under Secretariat.	-	2.59	2.59
(ख) (i) जम्मू एवं कश्मीर मूल्य संवर्धन प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण पैकेज 2004 स्कीम के अंतर्गत ट्रांसमिशन एवं संचितरण नेटवर्क से संबंधित पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹130 करोड़) (ii) चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को अनुदान के रूप में जम्मू एवं कश्मीर प्रधान मंत्री विस्तार पैकेज 2015 के अंतर्गत पाकुल डल एचईपी हेतु केंद्रीय सहायता स्कीम के अंतर्गत निधियां (₹409.12 करोड़) (iii) भारत सरकार के पूर्णतया शोधित बांड निर्गम व्यय और ब्याज हेतु निधियां (विद्युत वित्त निगम बांड) (₹7.20 करोड़) (iv) केंद्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा सॉफ्टवेयर की खरीद (₹6.86 करोड़) (v) एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹132.21 करोड़) और सामान्य अनुदान सहायता (₹1.58 करोड़) (vi) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता परियोजना के कार्यान्वयन हेतु निधियां (₹1 करोड़)।	(b) For (i) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Jammu & Kashmir-price escalation Prime Minister's Reconstruction Package (PMRP) 2004 relating to transmission and distribution network (₹130 crore) (ii) funds under the scheme Central Assistance for Pakul Dul HEP under Jammu & Kashmir-Prime Minister's Development Package (PMDP) 2015 as grant to Chenab Valley Power Projects Private Limited (CVPPPL) (₹409.12 crore) (iii) funds for Government of India fully serviced bond issue expenditure and interest (Power Finance Corporation Bond) (₹7.20 crore) (iv) procurement of software by Central Electricity Authority (CEA) (₹6.86 crore) (v) Grants for Creation of Capital Assets (₹132.21 crore) and Grants-in-aid General (₹1.58 crore) under the scheme Integrated Power Development Scheme (IPDS) (vi) funds for implementation of United Nation Development Programme (UNDP) assisted project of Bureau of Energy Efficiency (BEE) (₹1 crore).	577.83	-	577.83
(ग) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (₹6.86 करोड़) और विद्युत अपीलीय अधिकरण (₹0.22 करोड़) में वेतन और अन्य स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए निधियां मुहैया कराना।	(c) For providing funds to meet Salaries and other establishment related expenditure in Central Electricity Authority (CEA) (₹6.86 crore) and Appellate Tribunal for Electricity (APTEL) (₹0.22 crore)	-	5.48	5.48
(घ) विद्युत वित्त निगम द्वारा बोनस शेयर जारी करके अतिरिक्त इक्विटी निवेश।	(d) For additional equity investment by way of issue of Bonus shares by Power Finance Corporation.	296.25	-	296.25
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT			
70 लोक सभा	70 Lok Sabha			
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की घरेलू यात्रा संबंधी व्यय हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	For meeting additional expenditure towards Domestic Travel Expenses of Speaker and Deputy Speaker.	-	0.15	0.15
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
74 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	74 Ministry of Road Transport and Highways			
केंद्रीय सड़क निधि से की जाने वाले सड़कों की मरम्मत और अनुसंधान हेतु लघु निर्माण कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए ₹2,041.40 करोड़ की राशि केंद्रीय सड़क निधि को अन्तरित करने के लिए।	For transferring an amount of ₹2,041.40 crore to Central Board Fund and meeting additional expenditure under Minor Works towards repairs and maintenance of roads to be met from Central Road fund.	-	2,041.40	2,041.40

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
78 विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	78 Department of Scientific and Industrial Research			
राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अंतर्गत सीएसआईआर को सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना।	For providing Grants-in-aid General to CSIR under National Laboratories.	-	1.75	1.75
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
80 पोत परिवहन मंत्रालय	80 Ministry of Shipping			
(क) (i) प्रकाश स्तंभों की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण रिजर्व (₹28 करोड़) (ii) सीमा शुल्क के भुगतान (₹0.15 करोड़) और नए जहाजों के अनुरक्षण एवं प्रबंधन हेतु व्यावसायिक कार्मिकों की आऊटसोर्सिंग (₹5 करोड़) हेतु लाइटहाउस एवं लाइटशिप महानिदेशालय के लिए व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय (iii) प्रकाशन के अंतर्गत प्रमुख पत्तनों हेतु प्रशुल्क प्राधिकरण को सामान्य अनुदान सहायता (₹1.28 करोड़) और वेतन अनुदान सहायता (₹0.56 करोड़) हेतु व्यय (iv) अंडमान और लक्षद्वीप हार्बर निर्माण कार्य हेतु लघु निर्माण कार्यों के अंतर्गत व्यय (₹1.80 करोड़)।	(a) For providing additional (i) Reserve due to increase in receipt of Light House dues (₹28 crore) (ii) expenditure under Professional Services for Directorate General of Lighthouse and Lightships to make payment of custom fee (₹0.15 crore) and outsourcing professional personnel for maintenance and management of new vessels (₹5 crore) (iii) expenditure towards Grants-in-aid General (₹1.28 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹0.56 crore) to Tariff Authority for Major Ports under Publication and (iv) expenditure under Minor Works for Andaman & Lakshadweep Harbour Works (₹1.80 crore).	-	30.00	30.00
(ख) प्रमुख निर्माण कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) अंडमान और लक्षद्वीप द्वारा 2 अदद टग की आपूर्ति हेतु (₹28.42 करोड़) (ii) अंडमान और लक्षद्वीप द्वारा सप्लायरों और एजेंसियों को वचनबद्ध देयताओं का भुगतान करने हेतु (₹3.09 करोड़) और (iii) सागरमाला परियोजना (₹1.61 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure under Major Works (i) towards supply of 2 Nos. of Tugs by Andaman & Lakshadweep (₹28.42 crore) (ii) for making committed payment to suppliers and agencies by Andaman & Lakshadweep (₹3.09 crore) and (iii) Sagarmala Project (₹1.61 crore).	28.37	-	28.37
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
82 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	82 Department of Social Justice and Empowerment			
(क) इस स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान देने के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) मादक और नशीले पदार्थों (ड्रग्स) के प्रयोग पर रोक (₹7 करोड़) और (ii) वृद्ध लोगों संबंधी स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (₹16 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme (i) Prevention of Alcoholism and Substances (Drugs) Abuse (₹7 crore) and (ii) Assistance to Voluntary Organisation for Programme relating to Aged (₹16 crore).	16.00	-	16.00
(ख) अनुसूचित जाति हेतु पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(b) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Post Matric Scholarship for SCs.	1.00	-	1.00
(ग) (i) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का विकास (₹3.44 करोड़) (ii) अनुसूचित जाति हेतु पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम (₹9.99 करोड़) के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(c) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme (i) Development of Economically Backward Classes (₹3.44 crore) (ii) Post Matric Scholarship for SCs (₹9.99 crore).	9.99	-	9.99

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
84 अंतरिक्ष विभाग	84 Department of Space			
अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (₹115.33 करोड़) (ii) तरल नोदन प्रणाली केंद्र (₹28 करोड़) (iii) इसरो सैटेलाइट केंद्र (₹87.75 करोड़) (iv) अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (₹62.30 करोड़) (v) जीसैट-18 सैटेलाइट (₹3.75 करोड़) (vi) भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹2 करोड़)।	For meeting expenditure towards (i) Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) (₹115.33 crore) (ii) Liquid Propulsion Systems Centre (₹28 crore) (iii) ISRO Satellite Centre (₹87.75 crore) (iv) Space Application Centre (₹62.30 crore) (v) GSAT- 18 Satellite (₹3.75 crore) (vi) Grants for Creation of Capital Assets towards Indian Institute of Space Science & Technology (₹2 crore).	299.13	-	299.13
इस्पात मंत्रालय	MINISTRY OF STEEL			
86 इस्पात मंत्रालय	86 Ministry of Steel			
(क) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर एचएससीएल की वीआरएस देयताओं हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना।	(a) For meeting additional requirement towards VRS liabilities of HSCL on the basis of Supreme Court Judgement.	-	110.00	110.00
(ख) बैंक ऋण के पुनर्भुगतान हेतु एचएससीएल को अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना।	(b) For meeting additional requirement to HSCL for repayment of Bank Loans.	-	200.00	200.00
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
89 जनजातीय कार्य मंत्रालय	89 Ministry of Tribal Affairs			
अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (i) विशेषरूप से असुरक्षित जनजातीय समूह विकास स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹75.17 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹10 करोड़) और (ii) अ.ज.जा. बच्चों को शिक्षा स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹36 करोड़)	For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹75.17 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹10 crore) under scheme Development of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) and (ii) Grants-in-aid General under the scheme Education of ST Children (₹36 crore).	121.17	-	121.17
संघ शासित क्षेत्र (विधानसभा रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
90 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	90 Andaman and Nicobar Islands			
डीजी एस एंड डी के बकाया बिलों के भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	For meeting additional amount towards payment of pending DGS&D bills.	-	196.71	196.71
91 चंडीगढ़	91 Chandigarh			
सरकारी मेडीकल कॉलेज-32, सरकारी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल-16 के आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों को भुगतान और सरकारी मेडिकल कॉलेज-32 के लिए एक्स-रे फिल्मों, दवाइयों, कार्यालय सामग्री की खरीद।	For payment of outsourced staff of Government Medical College-32 Government Multi Specialty Hospital-16 & Malaria and purchase of x-ray films, medicines, office material of Government Medical College-32.	-	0.06	0.06
92 दादरा और नगर हवेली	92 Dadra and Nagar Haveli			
(क) (i) सहायक अध्यापकों की परिवीक्षा अवधि पूरी होने के कारण मासिक वेतन (ii) और बकायों का भुगतान (₹5.50 करोड़) 2. संविदा आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत (i) अनुमोदित अध्यापकों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु सामान्य अनुदान सहायता जारी करना (₹9 करोड़) (ii) पंचायत में प्राथमिक विद्यालयों हेतु मध्याह्न भोजन बनाने, स्कूल बैग, स्टेशनरी सामग्री, खेलने के सामान आदि खरीदने के लिए सामान्य अनुदान सहायता जारी करना (₹3.70 करोड़) 3. अन्य गांवों में छह कक्षाओं कमरों के निर्माण हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु	(a) For 1. payment of (i) monthly salary and (ii) arrears on account of clearance of probation of Assistant Teachers (₹5.50 crore) 2. providing Grants-in-aid General towards (i) payment of remuneration of approved teachers under Sarva Shiksha Abhiyan on contract basis (₹9 crore) and (ii) Mid Day Meals, for purchase of School Bags, Stationery materials, playing equipments, etc. for primary schools in Panchayat (₹3.70 crore) 3. providing Grants for Creation of Capital			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
अनुदान जारी करना, विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों के लिए वर्षा जल संचयन संरचना मुहैया कराना, पुश्ते की दीवार सहित परिसर की दीवार का निर्माण, कक्षाओं की विशेष मरम्मत और निर्माण (₹5 करोड़)।	Assets towards construction of six class room building, providing rain water harvesting structure for various primary schools, construction of compound wall with retaining wall at primary school, special repairs and construction of school classroom in other villages (₹5 crore).	23.20	-	23.20
(ख) चार निजी सहायता प्राप्त विद्यालयों को सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना।	(b) For providing Grants-in-aid General to four private aided schools.	0.90	-	0.90
(ग) स्वच्छ आंगन योजना के अंतर्गत शौचालय ब्लॉकों के निर्माण हेतु सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना।	(c) For providing Grants-in-aid General towards construction of toilet blocks under Swachh Aangan Yojana.	0.55	-	0.55
93 दमन और दीव	93 Daman and Diu			
दमन जिले में जल आपूर्ति के संवर्धन के लिए मशाल चौक से भीमपोर, नानी दमन तक पाइपलाइन बदलने और जल आपूर्ति से संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त निधि को पूरा करना।	For meeting additional funds towards replacement of pipeline from Mashal Chowk to Bhimpore, Nani Daman for augmentation of water supply in Daman District and other water supply related works.	3.00	-	3.00
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
95 शहरी विकास मंत्रालय	95 Ministry of Urban Development			
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशानुसार जीआईपी के संबंध में भूमि से संबंधित भुगतान करने के लिए प्रमुख निर्माण कार्यों के लिए व्यय को पूरा करना।	For meeting expenditure towards Major Works for making the payment related to land in respect of GIP, Santragachhi as ordered by the Hon'ble Supreme Court.	-	1.60	1.60
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION			
96 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	96 Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
(क) फरक्का बैराज परियोजना स्कीम के अंतर्गत मधस्थता पंचाट के भुगतान हेतु।	(a) For payment of arbitration awards under the scheme Farakka Barrage Project.	0.40	-	0.40
(ख) फरक्का बैराज परियोजना स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(b) For meeting additional expenditure under the scheme Farakka Barrage Project.	-	6.00	6.00
कुल तकनीकी अनुदान	Total Technical	3,358.10	11,169.09	14,527.19
4. नीचे दी गई मदों के संबंध में 1 लाख प्रत्येक का पूरक अनुदान का भी प्रस्ताव है, जिनके तहत दर्शाए गए व्यय को संगत अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी भाग, जो भी मामला हो, की बचतों के विनियोग से पूरा किया जाना है।	4. Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.			
सांकेतिक पूरक अनुदान की मांगें	Token Supplementary Demands for Grants			
कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE			
1. कृषि सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare			
(क) एमआईएस/पीएसएस स्कीम के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन फेडरेशन (नेफेड) को सब्सिडी मुहैया कराने हेतु भारत की कन्टिजेंसी निधि से आहरित अग्रिम को पूरा करना।	(a) For recoupment of advance drawn from Contingency Fund of India for providing subsidy to National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED) under the scheme MIS/PSS.	-	65.69	65.69

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की बकाया देयताओं हेतु कृषि सहकारिता की समेकित स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना (सामान्य घटक- ₹100 करोड़ और टीएसपी- ₹15 करोड़)।	(b) For providing additional Grants-in-aid General under Integrated Scheme for Agriculture Cooperation for pending liabilities of National Cooperative Development Corporation (General Component - ₹100 crore and TSP - ₹15 crore).	115.00	-	115.00
(ग) स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना (i) कृषि विपणन संबंधी समेकित स्कीम (₹13.65 करोड़) (ii) राष्ट्रीय कृषि विपणन स्कीम (सामान्य घटक-₹34.10 करोड़, अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक-₹7.30 करोड़ और जनजातीय क्षेत्र उप आयोजना- ₹3.60 करोड़)।	(c) For providing additional Grants-in-aid General under (i) Integrated Scheme on Agricultural Marketing (₹13.65 crore) (ii) National Agricultural Marketing (General Component - ₹34.10 crore, Special Component Plan for Scheduled Castes - ₹7.30 crore and Tribal Area Sub Plan - ₹3.60 crore).	58.65	-	58.65
(घ) (i) बीज और पौधारोपण सामग्रियों हेतु उप मिशन के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (सामान्य घटक-₹0.40 करोड़ और अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक आयोजना-₹0.02 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.08 करोड़) (ii) कृषि सहकारिता हेतु समेकित स्कीम के अंतर्गत जनजातीय उप आयोजना घटक (₹15 करोड़) हेतु सामान्य अनुदान सहायता।	(d) For providing additional (i) Grants-in-aid General (General Component - ₹0.40 crore and Special Component Plan for Scheduled Castes - ₹0.02 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹0.08 crore) under Sub-Mission on Seeds and Planting Materials (ii) Grants-in-aid General for Tribal Sub Plan Component (₹15 crore) under integrated scheme for Agriculture Cooperation.	15.50	-	15.50
(ङ) अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत प्रमुख निर्माण कार्य (₹0.04 करोड़) (ii) कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत पौध सुरक्षा और पौध करन्तीन हेतु उप आयोजना के अंतर्गत मोटर वाहन (₹4.50 करोड़)।	(e) For additional expenditure towards (i) Major Works (₹0.04 crore) under National Seeds Research and Training Centre (ii) Motor Vehicles (₹4.50 crore) under Sub-Mission on Plant Protection and Plant Quarantine under Krishonnati Yojna.	4.54	-	4.54
2. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को टीएसपी के अंतर्गत (₹40.13 करोड़) और कृषि विस्तार संस्थान स्कीम (₹1.93 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना। (ii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कृषि विस्तार संस्थान स्कीम (₹47.42 करोड़) और कृषि शिक्षा संस्थान (₹60.27 करोड़) के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान और (iii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को फसल विज्ञान संस्थान स्कीम (₹2.28 करोड़) और कृषि विस्तार संस्थान (₹0.17 करोड़) के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता।	(a) For providing additional (i) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research (₹40.03 crore) and under TSP (₹1.93 crore) under the scheme Agricultural Extension Institutes (ii) Grants for Creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research Under the scheme Agricultural Extension Institutes (₹47.42 crore) and Agricultural Education Institutes (₹60.27 crore) and (iii) Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Crop Science Institutes (₹2.28 crore) and Agricultural Extension Institutes (₹0.17 crore).	152.10	-	152.10
(ख) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजी आस्तियों (₹8.44 करोड़) के सृजन हेतु अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता (₹227.78 करोड़) और वेतन अनुदान सहायता (₹2.39 करोड़) मुहैया कराना।	(b) For providing additional (i) Grants-in-aid General (₹227.78 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹8.44 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹2.39 crore) to Indian Council of Agricultural Research under various schemes.	-	238.61	238.61
(ग) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजी आस्तियों (₹3.80 करोड़) के सृजन हेतु अतिरिक्त सामान्य	(c) For providing additional Grants-in-aid General (₹13.34 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹3.80 crore)			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन Non Plan	जोड़ Total
अनुदान सहायता (₹13.34 करोड़) और वेतन अनुदान सहायता (₹4.77 करोड़) मुहैया कराना।	and Grants-in-aid Salaries (₹4.77 crore) to Indian Council of Agricultural Research under various schemes.	21.91	-	21.91
3. पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग	3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries			
(क) पशु स्वास्थ्य संस्थान (₹5 करोड़) और स्वदेशी नस्ल (₹4.50 करोड़) को सहायता स्कीम के अंतर्गत क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला को सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना।	(a) For providing Grants-in-aid General to Regional Disease Diagnostic Laboratories under the scheme 'Assistance to Animal Health Institutes' (₹5 crore) and 'Indigenous Breed' (₹4.50 crore).	9.50	-	9.50
(ख) स्वदेशी नस्ल स्कीम (₹0.50 करोड़) और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (₹10 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना।	(b) For providing additional Grants-in-aid General under the scheme 'Indigenous Breed' (₹0.50 crore) and National Programme for Dairy Development (₹10 crore).	10.50	-	10.50
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4 परमाणु ऊर्जा	4 Atomic Energy			
(क) भाभा आण्विक अनुसंधान केंद्र हेतु प्रमुख कार्य (₹0.55 करोड़) और मशीनरी उपकरण (₹0.94 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(a) For meeting additional expenditure towards Major Work (₹0.55 crore) and Machinery Equipment (₹0.94 crore) for Bhabha Atomic Research Centre.	1.49	-	1.49
(ख) (i) उन्नत ईंधन परियोजना हेतु मशीनरी उपकरण (₹6.24 करोड़) और (ii) रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी बोर्ड के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं (₹0.05 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(b) For meeting additional expenditure towards (i) Machinery Equipment (₹6.24 crore) for Advanced Fuel Project and (ii) Professional Services (₹0.05 crore) under Board of Radiation and Isotope Technology.	6.29	-	6.29
(ग) अतिरिक्त व्यय पूरा करना 1. बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरी में अनुसंधान और विकास (i) प्रमुख कार्य (₹68 करोड़) (ii) मशीनरी उपकरण (₹37.27 करोड़) और (अन्य परियोजना संबंधी व्यय (₹60.07 करोड़) तथा 2. एईआरबी विस्तार परियोजना के कार्यालय एवं प्रबंधन व्यय (₹0.19 करोड़)।	(c) For meeting additional expenditure under 1. Research and Development in basic Science and Engineering towards (i) Major Work (₹68 crore), (ii) Machinery Equipment (₹37.27 crore) and (iii) other project related expenditure (₹60.07 crore) and 2. O&M expenditure of AERB Expansion Project (₹0.19 crore).	165.53	-	165.53
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)			
5 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	5 Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani Siddha and Homoeopathy (AYUSH)			
(क) सूचना, शिक्षा और संचार पर सामान्य अनुदान सहायता हेतु व्यय पूरा करना।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General on Information, Education & communication.	6.62	-	6.62
(ख) सीसीआईएम चुनाव आयोजित करने हेतु अनुदान के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता।	(b) For Grants-in-aid General under Grants for conducting of CCIM Elections.	-	0.32	0.32
(ग) (i) पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु सामान्य अनुदान सहायता (₹3 करोड़) और राष्ट्रीय आयुष मिशन स्कीम के अंतर्गत अनुदान (₹14.63 करोड़) (ii) पूर्वोत्तर के आयुर्वेद एवं होम्योपैथी, शिलांग हेतु वेतन अनुदान सहायता (₹2.05 करोड़)।	(c) For (i) Grants-in-aid General (₹3 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹14.63 crore) under the scheme National AYUSH Mission (NAM) (ii) Grants-in-aid Salaries for North-Eastern of Ayurveda & Homoeopathy, Shillong (₹2.05 crore).	19.68	-	19.68

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
7 उर्वरक विभाग	7 Department of Fertilisers			
(क) (i) स्वदेशी पी एंड के सब्सिडी (₹1243.41 करोड़) और (ii) आयातित पी एंड के सब्सिडी (₹800 करोड़) के भुगतान हेतु।	(a) For payment of (i) Indigenous P&K-Subsidy (₹1,243.41 crore) and (ii) Imported P&K Subsidy (₹800 crore)	-	2,043.41	2,043.41
(ख) स्वदेशी खाद सब्सिडी के भुगतान हेतु।	(b) For payment of Indigenous Urea Subsidy.	-	1,800.00	1,800.00
8 भेषज विभाग	8 Department of Pharmaceuticals			
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र एनआईपीईआर, गुवाहाटी स्कीम के अंतर्गत व्यय पूरा करना।	(a) For meeting expenditure under the scheme North Eastern Area NIPER, Guwahati.	6.77	-	6.77
(ख) प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना।	(b) For meeting additional requirement under Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojna (PMJAY).	14.75	-	14.75
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
9 नागर विमानन मंत्रालय	9 Ministry of Civil Aviation			
राष्ट्रीय एविएशन विश्वविद्यालय हेतु सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराने हेतु।	For providing Grants-in-aid General to National Aviation University.	0.45	-	0.45
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11 वाणिज्य विभाग	11 Department of Commerce			
(क) अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना (i) चाय बोर्ड (₹6.91 करोड़) जिसमें सामान्य अनुदान सहायता के रूप में अनुसंधान एवं विकास (₹0.50 करोड़) लघु उत्पादक विकास स्कीम को सब्सिडी के रूप में (₹6 करोड़) और चाय अधिनियम के विनियामक प्रावधान के कार्यान्वयन के रूप में (₹0.41 करोड़) शामिल हैं। (ii) कॉफी बोर्ड को कॉफी बोर्ड के रिप्लांटेशन हेतु सब्सिडी के अंतर्गत (₹2.04 करोड़) (iii) रबर बोर्ड को रबर बोर्ड हेतु उपकर के संग्रहण के तहत भुगतान हेतु (₹2.41 करोड़) (iv) एससीएसपी के अंतर्गत मसाला बोर्ड को (₹1.09 करोड़)।	(a) For meeting the additional requirement for (i) Tea Board (₹6.91 crore) which includes Research & Development (₹0.50 crore) as Grants-in-aid General, Small Growers Development Scheme (₹6 crore) as subsidies and implementation of regulatory provision of Tea Act (₹0.41 crore) as Grants-in-aid General (ii) Coffee Board (₹2.04 crore) under subsidy for the Replantaion of Coffee Board (iii) Rubber Board (₹2.41 crore) for payment against collection of cess and (iv) Spices Board (₹1.09 crore) under SCSP.	12.45	-	12.45
(ख) सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन से वेतन, बकाया, पेंशनरी लाभ के कारण वचनबद्ध देयताओं हेतु सामान्य अनुदान सहायता के रूप में चाय बोर्ड (₹2.76 करोड़), कॉफी बोर्ड (₹4.96 करोड़), रबर बोर्ड (₹9.59 करोड़) और मसाला बोर्ड (₹0.91 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।	(b) For meeting additional requirement for Tea Board (₹2.76 crore), Coffee Board (₹4.96 crore), Rubber Board (₹9.59 crore) and Spices Board (₹0.91 crore) as Grants-in-aid Salary for committed liability on account of salary, arrears, pensionary benefits, implementation of the 7th CPC	-	18.22	18.22
(ग) चाय बोर्ड हेतु अनुसंधान और विकास के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता की अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना।	(c) For meeting the additional requirement towards Grants-in-aid General under Research and Development for Tea Board.	2.50	-	2.50
(घ) सब्सिडी के तहत अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना (i) कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (₹8.50 करोड़) और (ii) मरीन उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (₹2 करोड़)।	(d) For meeting the additional requirement towards subsidies for (i) Agricultural Products Export Development Authority (APEDA) (₹8.50 crore) and (ii) Marine Products Export Development Authority (MPEDA) (₹2 crore).	10.50	-	10.50

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
12 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग लुगदी कागज़ और संबद्ध उद्योग विकास परिषद संस्थान के कर्मचारियों को वेतन, डीए, सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान हेतु वेतन अनुदान सहायता।	12 Department of Industrial Policy and Promotion For Grants-in-aid Salaries towards payment of Salary, DA, retirement benefits to the employees of the Institution of Development Council for Pulp, Paper and Allied Industries (DCPPAI).	-	1.65	1.65
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
13 डाक विभाग भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्थापना हेतु व्यय पूरा करना।	13 Department of Posts For meeting expenditure towards setting up of India Post Payments Bank.	300.00	-	300.00
14 दूरसंचार विभाग संवर्धित आयोजना परियोजना के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	14 Department of Telecommunications For meeting additional expenditure for development of North Eastern Areas due to enhanced Plan outlay.	38.10	-	38.10
15 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (क) (i) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत जनशक्ति विकास के संबंध में सामान्य अनुदान सहायता (₹3.70 करोड़) और (ii) स्वायत्त एवं अन्य निकायों को सहायता के अंतर्गत मीडिया लैब के संबंध में वेतन अनुदान सहायता (₹1 करोड़) मुहैया कराना। (ख) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण हेतु व्यय पूरा करना।	15 Department of Electronics and Information Technology (a) For providing (i) Grants-in-aid General in respect of manpower Development under Digital India Programme (₹3.70 crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries in respect of Media Lab Asia under Assistance to Autonomous and other bodies (₹1 crore). (b) For meeting expenditure towards Unique Identification Authority of India (UIDAI).	4.70 30.00	- -	4.70 30.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
17 उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (क) (i) खाद्यान्नों के विकेंद्रीकृत प्रापण हेतु राज्य सरकारों को अतिरिक्त सब्सिडी (₹338.35 करोड़) और (ii) चीनी मिलों 2015 को विस्तारित सॉफ्ट ऋण स्कीम पर ब्याज अनुदान हेतु सब्सिडी (₹37.25 करोड़) तथा (iii) चीनी के बफर स्टॉक संबंधी अनुसंधान स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सब्सिडी (₹2.68 करोड़)। (ख) (i) चीनी मिलों के पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण स्कीम (₹10.15 करोड़) और (ii) बैगेज़ आधारित कोजेनरेशन पावर परियोजना हेतु चीनी फैक्टरी स्कीम (₹30 करोड़) के अंतर्गत ऋण मुहैया कराना।	17 Department of Food and Public Distribution (a) For providing (i) additional subsidy to State Governments for decentralized procurement of foodgrains (₹338.35 crore) and (ii) subsidy for interest subvention on scheme for Extending soft loans to sugar mills 2015 (₹37.25 crore) and (iii) additional subsidy under the scheme Maintenance of Buffer Stock of sugar (₹2.68 crore). (b) For providing loans under the scheme (i) Rehabilitation/Modernization of Sugar Mills (₹10.15 crore) and (ii) Sugar Factories for bagasse based cogeneration power project (₹30 crore).	- -	378.28 40.15	378.28 40.15
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
19 संस्कृति मंत्रालय (क) 1. सामान्य अनुदान सहायता (i) कला संस्कृति विकास योजना गांधी समिति और दर्शन समिति (₹2 करोड़) और सांस्कृतिक संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (₹50 करोड़) 2. संग्रहालय	19 Ministry of Culture (a) For 1. Grants-in-aid General under (i) Kala Sanskriti Vikas Yojana-Gandhi Samiti and Darshan Samiti (₹2 crore) and Cultural Institutions-Indira Gandhi National Centre for the Arts (₹50 crore)			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
विज्ञान सिटी के अंतर्गत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹15 करोड़)।	2. Grants for Creation of Assets under Museums-Science Cities (₹15 crore).	67.00	-	67.00
(ख) 1. सामान्य अनुदान सहायता (i) संग्रहालय-विक्टोरिया मेमोरियल हॉल (₹3 करोड़) और (ii) नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं लाइब्रेरी (₹2.50 करोड़) 2. स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता संग्रहालय-विक्टोरिया मेमोरियल हाल (₹0.75 करोड़) 3. सांस्कृतिक संस्थान - भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण के अंतर्गत कार्यालय व्यय (₹0.25 करोड़)।	(b) For 1. Granta-in-aid General under (i) Museums - Victoria Memorial Hall (₹3 crore) and (ii) Nehru Memorial Museum and Library (₹2.50 crore) 2. Grants-in-aid Salaries under Museums - Victoria Memorial Hall (₹0.75 crore) 3. Office Expenses under Cultural Institutions - Anthropological Survey of India (₹0.25 crore).	-	6.50	6.50
(ग) संग्रहालय के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान।	(c) For Grants for Creation of Capital Assets under Museums.	15.00	-	15.00
रक्षा मंत्रालय				
20 रक्षा मंत्रालय (विविध)				
(क) रक्षा आयुध निर्माणी हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(a) For meeting additional expenditure towards Defence Ordnance Factories.	-	68.27	68.27
(ख) भूतपूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य स्कीम (₹5 करोड़) राष्ट्रीय कैडेट कोर (₹9.85 करोड़) और गुणवत्ता आवासन महानिदेशालय (₹1.73 करोड़) के संबंध में अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(b) For meeting additional expenditure in respect of Ex-serviceman Contributory Health Scheme (₹5 crore), National Cadet Corps (₹9.85 crore) and Directorate General of quality Assurance (₹1.73 crore).	-	16.58	16.58
(ग) रक्षा लेखा विभाग के संबंध में प्रमुख निर्माण कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(c) For meeting additional expenditure under Major Works in respect of Defence Accounts Department.	-	3.10	3.10
(घ) सीमा सड़क संगठन द्वारा सामरिक और सीमा सड़कों के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(d) For meeting additional expenditure on construction of strategic and border roads by Border Roads Organisation.	-	427.53	427.53
23 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय				
अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) आर्मी के निर्माण कार्य (₹740 करोड़) वाहन (₹7 करोड़) अन्य उपकरण (₹1944 करोड़) नेवी के नेवल डॉकयार्ड (₹999.23 करोड़), राष्ट्रीय युद्ध मेमोरियल/संग्रहालय (₹4 करोड़), प्रोटोटाइप विकास हेतु प्रौद्योगिकी विकास (₹183.79 करोड़) आर्मी (₹154.69 करोड़) एयर फोर्स (₹29.10 करोड़) की कार्ययोजना (ii) एयर फोर्स के लिए एयरक्राफ्ट की खरीद हेतु (₹1251.45 करोड़)।	23 Capital Outlay on Defence Services For meeting additional expenditure (i) under Construction Works of Army (₹740 crore), Vehicles (₹7 crore), Other equipments (₹1,944 crore), Naval Dockyard of Navy (₹999.23 crore), National War Memorial/Museum (₹4 crore), Technology Development for Prototype Development (₹183.79 crore), make procedure of Army (₹154.69 crore) and Air Force (₹29.10 crore) (ii) for purchase of Aircrafts for Air Force (₹1,251.45 crore).	-	5,313.26	5,313.26
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय				
25 पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय				
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं (₹4 करोड़) और अंतरराष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता केंद्र (₹4 करोड़) हेतु अतिरिक्त निधि मुहैया कराना।	25 Ministry of Drinking Water and Sanitation For providing additional fund towards Profession Services (₹4 crore) and International Centre for Drinking Water Quality (ICDWQ) (₹4 crore) under National Rural Drinking Water Programme.	8.00	-	8.00
पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय				
27 पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय				
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना।	27 Ministry of Environment, Forests and Climate Change For providing Grants-in-aid General to National Tiger Conservation Authority.	1.50	-	1.50

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
28 विदेश मंत्रालय	28 Ministry of External Affairs			
वीवीआईपी यात्रा हेतु एयर इंडिया के एयरक्राफ्टों की अनुरक्षण लागत हेतु व्यय पूरा करना।	For meeting expenditure towards maintenance cost of Aircrafts of Air India for VVIP travel.	-	40.00	40.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
29 आर्थिक कार्य विभाग	29 Department of Economic Affairs			
(क) मर्चेंट डिस्काउंट रेट प्रभारों की प्रतिपूर्ति हेतु।	(a) For reimbursement of Merchant Discount Rate charges.	-	50.00	50.00
(ख) सामरिक महत्व की रेल लाइनों के प्रचालन पर रेलवे की हानि की प्रतिपूर्ति हेतु।	(b) For re-reimbursement of losses to Railways on operating strategic Railway lines.	-	2,691.96	2,691.96
(ग) अफ्रीकी विकास निधि-14 के लिए योगदान हेतु।	(c) For contribution to African Development Fund -14.	-	3.00	3.00
(घ) अर्थक्षमता अंतर हेतु निधियन के तहत अतिरिक्त व्यवस्था करना।	(d) For additional provision on Viability Gap Funding.	250.00	-	250.00
(ङ) स्वर्ण प्रारक्षित निधि हेतु सर्वोत्तम स्वर्ण बांड पर वर्ष की औसत उधारी दर और देय ब्याज की दर के अंतर को पूरा करने हेतु अंतरण।	(e) For transfer of difference of average borrowing rate for the year and the rate of interest payable on Sovereign Gold Bond to Gold Reserve Fund.	-	68.00	68.00
(च) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रवासी प्रतिनिधित्व के व्यय के तहत अंशदान हेतु।	(f) For contribution towards expenses of resident representative of UN Development Programme.	-	1.12	1.12
(छ) बजट प्रेस के आधुनिकीकरण के लिए मशीनों की खरीद हेतु।	(g) For procurement of Machines for modernization of Budget Press.	-	1.50	1.50
(ज) सरकारी कर्मचारियों के आवास भवन अग्रिम हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना।	(h) For additional requirement towards House Building Advances to Government Servants.	-	50.00	50.00
30 वित्तीय सेवाएं विभाग	30 Department of Financial Services			
आधार समर्थित भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड को वित्तीय समावेशन निधि हेतु अंशदान।	For contribution to Financial Inclusion Fund (FIF) of NABARD to promote AADHAR Enabled payments systems.	-	180.00	180.00
37 राजस्व विभाग	37 Department of Revenue			
(क) सीएसटी मुआवजे की दूसरी किस्त मुहैया कराने हेतु।	(a) For providing CST Compensation 2nd installment.	-	1,384.58	1,384.58
(ख) स्वीकृत अनुदान के 10 प्रतिशत से अधिक हेतु (नीमच अफीम फैक्टरी (₹0.35 करोड़), गाज़ीपुर अल्कालॉयड वर्क्स (₹0.01 करोड़) और नीमच अल्कालॉयड वर्क (₹2.14 करोड़)।	(b) For Neemuch Opium Factory (₹0.35 crore), Ghazipur Alkaloid Works (₹0.01 crore) and Neemuch Alkaloid Work (₹2.14 crore) as the provision is more than 10% of voted Grant.	-	2.50	2.50
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
42 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	42 Department of Health and Family Welfare			
(क) सूचना, शिक्षा और संचार स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(a) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Information, Education & Communication.	27.15	-	27.15
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(b) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid Salaries under the scheme North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of health & Medical Sciences, Shillong.	6.58	-	6.58
(ग) (i) नए मेडीकल कॉलेज स्थापित करने हेतु स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानव संसाधन (₹200 करोड़) (ii) कैसर, डायबिटीज़, कार्डियो वस्क्युलर	(c) For meeting additional expenditure towards Grants for Creation of Capital			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
रोग एवं स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (₹24.16 करोड़) स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	Assets under the scheme (i) Human resources for Health & Medical Education Programme for establishing new medical colleges (₹200 crore) (ii) National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardio-Vascular Diseases and Stroke (₹24.16 crore).	224.16	-	224.16
(घ) अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना 1. राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के तहत मशीनरी एवं उपकरण (₹0.30 करोड़) 2. केंद्रीय मोटर वाहन अनुसंधान संस्थान, कसौली (₹0.15 करोड़) 3. (i) बीसीजी वैक्सीन लैब, गिण्डी, चेन्नै (₹1.84 करोड़) (ii) अखिल भारतीय भौतिक औषधि एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई (₹0.20 करोड़) के अंतर्गत प्रमुख निर्माण कार्य।	(d) For meeting additional expenditure towards 1. Machinery & Equipment under National Organ Transplant Programme (₹0.30 crore) 2. Motor Vehicle for Central Research Institute, Kasauli (₹0.15 crore) 3. Major Works under (i) BCG Vaccine Lab, Guindy (Chennai) (₹1.84 crore) (ii) All India Institute Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai (₹0.20 crore).	2.49	-	2.49
43 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	43 Department of Health Research			
(क) अतिरिक्त व्यय पूरा करना 1. स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (i) स्वास्थ्य अनुसंधान के संवर्धन और मार्गदर्शन हेतु अंतर क्षेत्रीय अभिसरण एवं सहयोग (₹2.74 करोड़) (ii) स्वास्थ्य अनुसंधान हेतु मानव संसाधन विकास (₹3 करोड़) (iii) महामारी और प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन हेतु प्रयोगशालाओं के नेटवर्क की स्थापना (₹5 करोड़) 2. स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता (i) आईसीएमआर (₹110 करोड़) (ii) कर्मचारियों को वेतन का भुगतान (₹53 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General under the scheme (i) Inter-Sectoral Convergence & Coordination for Promotion & Guidance on Health Research (₹2.74 crore) (ii) HRD for Health Research (₹3 crore) (iii) Establishment of Network of Laboratories for Managing Epidemics and Natural Calamities (₹5 crore) 2. Grants-in-aid Salaries under the scheme (i) ICMR (₹110 crore) (ii) Payment of salary to the staff (₹53 crore).	173.74	-	173.74
(ख) भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, भोपाल स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(b) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Bhopal Memorial Hospital & Research Centre (BMHRC), Bhopal.	-	4.00	4.00
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
44 भारी उद्योग विभाग	44 Department of Heavy Industry			
भारतीय पूंजी वस्तु क्षेत्र में प्रतियोगिता संवर्धन स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त निधि को पूरा करने के लिए सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना।	For providing Grants-in-aid General to meet additional fund under Scheme for Enhancement of Competitiveness in the Indian Capital Goods Sector.	12.33	-	12.33
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
46. गृह मंत्रालय	46 Ministry of Home Affairs			
(क) व्यय को पूरा करने हेतु (i) मेजर ध्यान चंद स्टेडियम में कार्यालय स्थल को किराए पर लेने हेतु (₹65 करोड़)। (ii) लघु निर्माण कार्य (₹10 करोड़) और (iii) आई टी कार्यालय व्यय (₹10 करोड़)।	(a) For meeting expenditure for (i) hiring of office space at Major Dhyan Chand Stadium (MDCNS) (₹65 crore) (ii) Minor Works (₹10 crore) and (iii) IT Office Expenses (₹10 crore).	-	85.00	85.00
(ख) अन्य गैर कानूनी क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण के अंतर्गत व्यय पूरा करना।	(b) For meeting expenditure under Other Unlawful Activities (prevention) Tribunal.	-	0.30	0.30
(ग) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम के अंतर्गत व्यय पूरा करना।	(c) For meeting expenditure under Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme.	-	80.00	80.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(घ) विधानसभा रहित संघ शासित क्षेत्रों में अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाओं पर व्यय पूरा करना।	(d) For meeting expenditure under Other Disaster Management Projects on UT without Legislature.	0.20	-	0.20
(ङ) एनडीआरएफ को वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु।	(e) For payment of Pay and Allowances to NDRF.	-	60.00	60.00
(च) जे एंड के स्कीम में विशेष उद्योग पहल हेतु।	(f) For special Industry Initiative in J&K Scheme.	50.00	-	50.00
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION			
50 आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	50 Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation			
(क) एमआईजी हेतु हाल ही में शुरू की गई क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम हेतु।	(a) For the newly launched scheme namely Credit Linked Subsidy Scheme for MIG.	5.00	-	5.00
(ख) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत वेतन हेतु व्यय पूरा करना (₹0.46 करोड़) मेडिकल उपचार (₹0.03 करोड़) घरेलू यात्रा व्यय (₹0.05 करोड़) कार्यालय व्यय (₹0.13 करोड़) प्रकाशन (₹0.01 करोड़) अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.11 करोड़) विज्ञापन और प्रचार (₹2.12 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹0.14 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards National Urban Livelihoods Mission under the heads Salaries (₹0.46 crore), Medical Treatment (₹0.03 crore), Domestic Travel Expenses (₹0.05 crore), Office Expenses (₹0.13 crore), Publication (₹0.01 crore), Other Administrative Expenses (₹0.11 crore), Advertising and Publicity (₹2.12 crore) and Professional Services (₹0.14 crore).	3.05	-	3.05
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
51 स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	51 Department of School Education and Literacy			
(क) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (1) (i) माध्यमिक शिक्षा हेतु बालिकाओं को प्रोत्साहित करने की राष्ट्रीय स्कीम (₹216.70 करोड़) (ii) सर्व शिक्षा अभियान (₹14.28 करोड़) (iii) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (1 करोड़) (iv) मध्याह्न भोजन (₹7.46 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। 2. राष्ट्रीय साधन सह मेधा स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वजीफ़ा (₹154.20 करोड़) 3. एसएसए स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.55 करोड़) 4. केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता (₹3.18 करोड़) 5. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार (₹0.49 करोड़) 6. डीआई स्कीम के अंतर्गत कार्यालय व्यय (₹0.18 करोड़) 7. डीआई के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.06 करोड़) 8. डीआई स्कीम के अंतर्गत मजदूरी (₹0.01 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General under the scheme (i) National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education (₹216.70 crore) (ii) Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) (₹14.28 crore) (iii) Rashtriya Madhayamik Shiksha Abhiyan (RMSA) (₹1 crore) (iv) Mid Day Meal (MDM) (₹7.46 crore) 2. Scholarship/Stipend under the scheme National Means cum Merit Scholarship Scheme (₹154.20 crore) 3. Grants for Creation of Capital under the scheme SSA (₹0.55 crore) 4. Grants-in-aid Salaries under the scheme Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) (₹3.18 crore) 5. Advertising and Publicity under the scheme Directorate of Adult Education (DAE) (₹0.49 crore) 6. Office Expenses under the scheme DAE (₹0.18 crore) 7. Other Administrative Expenses under the DAE (₹0.06 crore) 8. Wages under the scheme DAE (₹0.01 crore).	398.11	-	398.11
(ख) राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभारों हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(b) For meeting additional expenditure towards Other Charges under the scheme National Award to Teachers.	-	0.40	0.40

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (1) (i) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण (₹25 करोड़) (ii) भाषा शिक्षकों की नियुक्ति (₹87 करोड़) (iii) नवोदय विद्यालय समिति (₹75 करोड़) (iv) एसएसए (₹320.65 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। 2. राष्ट्रीय साधन सह मेधा स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वजीफ़ा (₹0.45 करोड़) 3. केवीएस स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता (₹0.20 करोड़) 4. एसएसए स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹19.25 करोड़)।	(c) For meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General under the scheme (i) Strengthening of Teachers Training Institutions (₹25 crore) (ii) Appointment of Language Teachers (₹87 crore) (iii) Navodya Vidyalaya Samiti (NVS) (₹75 crore) (iv) SSA (₹320.65 crore) 2. Scholarship/Stipend under the scheme National Means cum merit Scholarship (₹0.45 crore) 3. Grants-in-aid Salaries under the scheme KVS (₹0.20 crore) 4. Grants for Creation of Capital Assets under the scheme SSA (₹19.25 crore).	527.55	-	527.55
(घ) (i) अल्पसंख्यकों का विकास: मदरसों/अल्पसंख्यकों हेतु शिक्षा स्कीम (₹76.09 करोड़) (ii) भाषा शिक्षकों की नियुक्ति (₹14 करोड़) (iii) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण (₹84.35 करोड़) (iv) एसएसए (₹320.75 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करना।	(d) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme (i) Development of Minorities: Education Scheme for Madrasas/ Minorities (₹76.09 crore) (ii) Appointment of Language Teachers (₹14 crore) (iii) Strengthening of Teachers Training Institutions (₹84.35 crore) (iv) SSA (₹320.75 crore).	495.19	-	495.19
(ङ.) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करना।	(e) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Strengthening of Teachers Training Institutions.	10.00	-	10.00
52 उच्चतर शिक्षा विभाग	52 Department of Higher Education			
(क) अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (1) (i) वैश्विक नियुक्ति हेतु पहल (₹1 करोड़) (ii) वर्चुअल कक्षाओं की स्थापना और व्यापक स्तर पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम (₹5 करोड़) (iii) राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (₹9.50 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। 2. (i) औरोविल फाउंडेशन (₹10.10 करोड़) (ii) प्रधानमंत्री कन्या छात्रावास (₹1 करोड़) (iii) भारतीय भाषाओं के संवर्द्धन हेतु अनुदान (₹2.50 करोड़) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान।	(a) For meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General under scheme (i) Initiatives for Global Engagement (₹1 crore) (ii) Setting up virtual classroom and massive open online courses (MOOCs) (₹5 crore) (iii) Rashtriya Uchcha Shiksha Abhiyan (RUSA) (₹9.50 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets under the scheme (i) Auroville Foundation (₹10.10 crore) (ii) PM Girls' Hostel (₹1 crore) (iii) Grants for promotion of Indian Language (₹2.50 crore).	29.10	-	29.10
(ख) अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु 1. (i) पीपीपी माध्यम से आईआईटी की स्थापना (₹10 करोड़) (ii) नवीन आईआईटी की स्थापना (₹9 करोड़) (iii) आईआईटी को सहायता (₹30 करोड़) (iv) आईआईएम को सहायता (₹20 करोड़) (v) भारतीय इंजीनियरी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी) का अपग्रेडेशन (₹3 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता। 2. (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹80 करोड़) (ii) नवीन आईआईटी की स्थापना (₹3 करोड़) (iii) आईआईटी आंध्र प्रदेश (₹15 करोड़) (iv) भारतीय प्रबंधन संस्थान को सहायता (₹65 करोड़) (v) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	(b) For meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General under the scheme (i) Setting up IITs in PPP Mode (₹10 crore) and of New IITs (₹9 crore) (ii) Support to IITs (₹30 crore) and to IIMs (₹20 crore) (iii) Upgradation of Indian Institute of Engineering, Science and Technology (IIEST) (₹3 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets under scheme (i) Support to Indian Institutes of Technology (₹80 crore) (ii) Setting up of New IITs (₹3 crore and (iii) IIT Andhra Pradesh (₹15 crore) (iv) Support to Indian Institute of Management (₹65 crore) (v) Support to			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(एनआईटी) को सहायता (₹200 करोड़) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान 3. (i) भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय विज्ञान एवं शिक्षा अनुसंधान संस्थान को सहायता (₹4 करोड़) (ii) भारतीय प्रबंधन संस्थान को सहायता (₹15 करोड़) (iii) आईआईटी आंध्र प्रदेश (₹1 करोड़) (iv) भारतीय इंजीनियरी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी) का अपग्रेडेशन (₹15 करोड़) स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता।	National Institute of Technology (₹200 crore) 3. Grants-in-aid Salaries under the scheme (i) Support to Indian Institute of Science (IISc) and Indian Institute of Science and Education Research (IISER) (₹4 crore) (ii) Support to Indian Institute of Management (₹15 crore) (iii) IIT Andhra Pradesh (₹1 crore) (iv) Upgradation of Indian Institute of Engineering, Science and Technology (IIEST) (₹15 crore).	470.00	-	470.00
(ग) (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹250 करोड़) (ii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को सहायता स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता (₹44 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करना।	(c) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the scheme Support to Indian Institute of Technology (₹250 crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries under the scheme Support to National Institute of Technology (NITs) (₹44 crore).	-	294.00	294.00
(घ) अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु 1. (i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को सहायता (₹160 करोड़) (ii) भारतीय भाषाओं के संवर्द्धन हेतु अनुदान (₹5 करोड़) 2. (i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को सहायता (₹10 करोड़) स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता।	(d) For meeting additional expenditure towards 1. Grants for Creation of Capital Assets under the scheme (i) Support to National Institute of Technology (NITs) (₹160 crore) (ii) Grants for Promotion of Indian Languages (₹5 crore) 2. Grants-in-aid Salaries under the scheme Support to National Institute of Technology (NITs) (₹10 crore).	175.00	-	175.00
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
53 सूचना और प्रसारण मंत्रालय	53 Ministry of Information and Broadcasting			
स्वायत्त निकायों को वेतन भुगतान हेतु	For salary component of Autonomous Bodies.	-	6.61	6.61
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
54 श्रम और रोजगार मंत्रालय	54 Ministry of Labour and Employment			
वेतन अनुदान सहायता हेतु अतिरिक्त देयताओं को पूरा करना (i) केंद्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड (₹10.33 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय श्रम संस्थानों को बकायों, सेवानिवृत्ति लाभों जैसे उपदान, छुट्टी नकदीकरण आदि के भुगतान हेतु (₹0.54 करोड़)।	For meeting additional liabilities towards Grants-in-aid Salaries for (i) Central Board for Workers Education (₹10.33 crore) and (ii) National Labour Institutes towards the payment of arrears, retirement benefit such as gratuity, leave encashment, etc. (₹0.54 crore).	-	10.87	10.87
विधि एवं न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
56 विधि एवं न्याय	56 Law and Justice			
(क) ई-कोर्ट चरण-II परियोजना के कार्यान्वयन हेतु ई-समितियों के मांगपत्र के अनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों की वचनबद्ध देयताओं को रिलीज़ करने हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(a) For meeting additional expenditure towards release of committed liabilities to various High Courts as per the requisition of the e-committees for implementing E-court Phase II project.	56.09	-	56.09
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में ई-कोर्ट चरण-II परियोजना के कार्यान्वयन हेतु ई-समितियों के मांगपत्र	(b) For meeting the additional expenditure towards release of committed liabilities			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
के अनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों की वचनबद्ध देयताओं को रिलीज़ करने हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	to various High Courts as per the requisition of the e-committees for implementing E-court Phase II project in NER.	22.36	-	22.36
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
59 खान मंत्रालय	59 Ministry of Mines			
(i) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मशीन (एनआईआरएम) (₹ 0.44 करोड़) (ii) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ (एनआईएमएच) (₹ 0.12 करोड़) और (iii) जवाहर लाल नेहरू अल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेन्टर (जेएनएआरडीडीसी) (₹ 0.40 करोड़) को सहायता-अनुदान वेतन हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	For meeting additional requirement towards Grants-in-aid Salary to (i) National Institute of Rock Mechanics (NIRM) (₹0.44 crore) (ii) National Institute of Miners' Health (NIMH) (₹0.12 crore) and (iii) Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development & Design Centre (JNARDDC) (₹0.40 crore).	-	0.96	0.96
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS			
60 अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	60 Ministry of Minority Affairs			
(i) अल्पसंख्यकों के लिए पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु मेधा-सह-साधन छात्रवृत्ति (₹ 60 करोड़) और (ii) अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पश्च छात्रवृत्ति के अंतर्गत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का पेशेवर सेवा-विकास (₹11.29 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करना।	For meeting expenditure towards (i) Merit-cum-Means scholarship for Profession and Technical Courses for Minorities (₹60 crore) and (ii) Professional Services-Development of National Scholarship Portal under Post-Matric Scholarship for Minorities (₹11.29 crore).	71.29	-	71.29
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
61 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	61 Ministry of New and Renewable Energy			
1. पवन ऊर्जा (ग्रिड) के अंतर्गत सब्सिडी हेतु ग्रिड इंटरएक्टिव एण्ड डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल पावर (₹123.95 करोड़) 2. सामान्य अनुदान सहायता अनुपालन (i) सूचना और लोक विज्ञापन (आईएण्डपीए) कार्यक्रम (₹1 करोड़) और (ii) सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम (₹4.20 करोड़) 3. नई प्रौद्योगिकियों के अंतर्गत उपकरण की खरीद हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹2.35 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	For meeting additional requirement towards 1. Grid Interactive and Distributed Renewable Power for subsidy under Wind Power (Grid) (₹123.95 crore) 2. Grants-in-aid General (i) under Information and Public Advertising (I&PA) Programme (₹1 crore) and (ii) for training programmes under Suryamitra Skill Development Programme (₹4.20 crore) 3. Grants for Creation of Capital Assets for purchase of equipment under New Technologies (₹2.35 crore).	131.50	-	131.50
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
67 योजना मंत्रालय	67 Ministry of Planning			
(i) बैंक खातों के माध्यम से डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देना (₹ 50 करोड़) (ii) दो स्कीमों नामतः लकी ग्राहक योजना और डिजि धन व्यापार योजना के अंतर्गत आउटरीच प्रोग्राम, ताकि उपभोक्ताओं और कारोबारियों के बीच डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा दिया जा सके और उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके (₹50 करोड़), हेतु सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराना।	For providing Grants-in-aid General towards (i) promotion of digital payments through bank accounts (₹50 crore) (ii) Out Reach Programme under two schemes namely Lucky Grahak Yojana and Digi Dhan Vyapar Yojana to promote and incentivize digital payments among consumers and merchants (₹50 crore).	100.00	-	100.00
ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
68 ऊर्जा मंत्रालय	68 Ministry of Power			
एकीकृत ऊर्जा विकास योजना (आईपीडीएस) के अंतर्गत ऋण और अग्रिमों के रूप में अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना।	For providing additional funds as loans and advances under Integrated Power Development Scheme (IPDS).	165.71	-	165.71

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
74 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	74 Ministry of Road Transport and Highways			
(क) निम्नलिखित हेतु (i) असंगठित क्षेत्र और मानव संसाधन विकास में चालकों के पुनश्चर्या प्रशिक्षण की योजना के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान उपलब्ध कराना (₹10 करोड़) (ii) मानव संसाधनों को भाड़े पर लेने हेतु अन्य शुल्कों और नेशनल डाटाबेस नेटवर्क (₹7 करोड़) के अंतर्गत हार्डवेयर मदों की खरीद हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(a) For (i) providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme of Refresher Training of Drivers in unorganised sector and Human Resource Development (₹10 crore) (ii) meeting additional expenditure under Other charges for hiring of manpower resources and procurement of hardware items under National Database Network (₹7 crore).	17.00	-	17.00
(ख) निम्नलिखित के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य पर व्यय पूरा करने के लिए (i) सड़क स्कंध के बाह्य सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए प्रतिपक्ष निधियन (₹ 820 करोड़) एवं (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य (₹189 करोड़)।	(b) For meeting expenditure on Major Works under (i) counterpart funding for externally aided schemes of Roads Wing (₹820 crore) and (ii) National Highways Original Works (₹189 crore).	1,009.00	-	1009.00
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
77 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	77 Department of Science and Technology			
(क) निम्नलिखित प्रदान करने के लिए 1. सामान्य सहायता अनुदान (i) स्वायत्त संस्थान और व्यवसायिक निकाय (₹ 24 करोड़) (ii) विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम (₹ 10 करोड़) (iii) अनु.जाति के लिए विशेष घटक आयोजना (₹ 7 करोड़) 2. पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) स्वायत्त संस्थान और व्यावसायिक निकाय (₹ 16 करोड़) (ii) अनुसंधान और विकास सहायता (₹ 20 करोड़) (iii) प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (₹ 30 करोड़) (iv) जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम (₹ 15 करोड़) (v) राष्ट्रीय नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी मिशन (₹ 30 करोड़) (vi) अनु.जाति के लिए विशेष घटक आयोजना (₹ 10 करोड़)।	(a) For providing 1. Grants-in-aid General for (i) Autonomous institute and Profession Bodies (₹24 crore) (ii) Disha Programme for women in Science (₹10 crore) (iii) Special Component Plan for Scheduled Castes (SERB) (₹7 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets for (i) Autonomous Institute and Professional Bodies (₹16 crore) (ii) Research & Development Support (₹20 crore) (iii) Technology Development Programme (₹30 crore) (iv) Climate Change Programme (₹15 crore) (v) National Mission on Nano Science and Nano Technology (₹30 crore) (vi) Special Component Plan for Scheduled Castes (SERB) (₹10 crore).	162.00	-	162.00
(ख) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड हेतु सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(b) For providing Grants-in-aid General for Technology Development Board.	-	20.00	20.00
78 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	78 Department of Scientific and Industrial Research			
सामान्य सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय प्रयोगशाला के अंतर्गत सीएसआईआर (₹ 118.93 करोड़) (ii) सीईएल (₹ 2.25 करोड़) (iii) एनआरडीसी (₹ 0.18 करोड़) (iv) पीएसीई (₹ 1.45 करोड़)। 2. राष्ट्रीय प्रयोगशाला के अंतर्गत सीएसआईआर को सहायता अनुदान वेतन (₹ 30.07 करोड़) और 3. बर्ड सीआरटीडीएच को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1.19 करोड़)।	For providing 1. Grants-in-aid General to (i) CSIR under National Laboratories (₹118.93 crore) (ii) CEL (₹2.25 crore) (iii) NRDC (₹0.18 crore) (iv) PACE (₹1.45 crore) 2. Grants-in-aid Salaries to CSIR under National Laboratories (₹30.07 crore) and 3. Grants for Creation of Capital Assets to BIRD-CRTDH (₹1.19 crore).	154.07	-	154.07
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
80 पोत परिवहन मंत्रालय	80 Ministry of Shipping			
(क) व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure under Professional Services.	-	1.50	1.50

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड भूमि के 5 भूखंडों के अधिग्रहण के लिए भारतीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए।	(b) For providing Grants for Creation of Capital Assets to Inland Water Authority of India for taking over 5 parcels of land from Central Inland Water Transport Corporation Limited.	18.30	-	18.30
(ग) (i) कोलकाता पत्तन न्यास को स्वच्छ क्रियाकलापों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹30 करोड़) चेन्नै पत्तन (₹ 3.29 करोड़) कोचीन पत्तन (₹ 2.61 करोड़) और मोरमुगाव पत्तन (₹ 2.10 करोड़) (ii) सब-वे के निर्माण के लिए कोचीन पत्तन न्यास को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 4.45 करोड़)।	(c) For providing (i) Grants-in-aid General to Kolkata Port Trust (₹30 crore), Chennai Port (₹3.29 crore), Cochin Port (₹2.61 crore) and Mormugao Port (₹2.10 crore) for Swachhta activities (ii) Grants for Creation of Capital Assets to Cochin Port Trust for construction of subway (₹4.45 crore).	42.45	-	42.45
(घ) राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के लिए व्यावसायिक सेवाओं के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(d) For meeting additional expenditure under professional Services for National Shipping Board.	-	0.10	0.10
(ङ) सहायता अनुदान वेतन प्रदान करने के लिए (i) भारतीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण (₹ 10 करोड़) और (ii) केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम (₹ 0.30 करोड़)।	(e) For providing Grants-in-aid Salaries to (i) Inland Water Authority of India (₹10 crore) and (ii) Central Inland Water Transport Corporation (₹0.30 crore).	-	10.30	10.30

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

81 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

81 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) केन्द्रीय निधि प्राप्त संस्थानों के लिए वेतन (₹ 5 करोड़) (ii) प्रशिक्षण महानिदेशालय संबंधी लंबित बिलों के लिए प्रकाशन (₹ 33.10 करोड़) और (iii) राज्यों की लंबित देनदारियों का भुगतान करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 140 करोड़)।

For meeting additional requirement towards (i) Salaries for Central Funded Institutes (₹5 crore) (ii) Publication for pending bills pertaining to Directorate General of Training (₹33.10 crore) and (iii) Grants-in-aid General for clearing the pending liabilities of States (₹140 crore).

178.10 - 178.10

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

82 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

82 Department of Social Justice and Empowerment

(क) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 1. स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) अनु. जाति के लिए स्वैच्छिक संगठन को सहायता अनुदान (₹10 करोड़) (ii) अनु. जाति के लिए शीर्ष स्तरीय शिक्षा (₹10 करोड़) 2. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए बालक-बालिका छात्रावास स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.50 करोड़)।

(a) For meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General under the scheme (i) Assistance to Voluntary Organisation for SCs (₹10 crore) (ii) Top Class Education for SCs (₹10 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Boys and Girls Hostel for OBCs. (₹0.50 crore).

20.50 - 20.50

(ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

(b) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme National Commission for Backward Classes.

- 0.10 0.10

83 दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग

83 Department of Empowerment of Persons with Disabilities

(क) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) पी डब्ल्यू डी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (₹ 4.12 करोड़) (ii) पी डब्ल्यू डी के लिए शीर्ष स्तरीय शिक्षा (₹ 0.45 करोड़) (iii)

(a) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme (i) National Fellowship for PWDs (₹4.12 crore) (ii) Top Class Education for PWDs (₹0.45 crore) (iii)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन Non Plan	जोड़ Total
मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (₹ 2.50 करोड़) (iv) मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति (₹3.04 करोड़) (v) राष्ट्रीय न्यास के लिए बजटीय सहायता (₹ 1.80 करोड़) (vi) स्टेट स्पाइनल इन्जुरी सेंटर (₹1 करोड़) (vii) बधिर कॉलेज (₹ 0.81 करोड़) (viii) जागरूकता पैदा करना और प्रचार (₹ 0.50 करोड़) (ix) राष्ट्रीय अंध, बधिर और मानसिक विकृति तथा अस्थि विकलांग संस्थान (₹ 17.15 करोड़) (x) सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (₹ 0.60 करोड़)।	Pre Matric Scholarship (₹2.50 crore) (iv) Post Matric Scholarship (₹3.04 crore) (v) Budgetary Support of National Trust (₹1.80 crore) (vi) Setting of State Spinal Injury Centre (₹1 crore) (vii) College of Deaf (₹0.81 crore) (viii) Awareness generation and Publicity (₹0.50 crore) (ix) National Institute for the blind, deaf, mentally retarded and the orthopedically handicapped (₹17.15 crore) (x) Establishment of Institute of Sign Language Research and Training (₹0.60 crore).	31.97	-	31.97
(ख) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय अंधता, बधिर मंदबुद्धि और अस्थि विकलांग संस्थान स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.67 करोड़) और सहायता अनुदान वेतन (₹ 3.61 करोड़) (ii) भारतीय पुनर्वास परिषद स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.03 करोड़) और सहायता अनुदान वेतन (₹ 0.20 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹1.67 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹3.61 crore) under the scheme National Institute for the blind, deaf, mentally retarded and the orthopedically handicapped (ii) Grants-in-aid General (₹0.03 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹0.20 crore) under the scheme Rehabilitation Council of Indian.	-	5.51	5.51
(ग) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) दिव्यांगजन के लिए शीर्ष स्तरीय शिक्षा (₹ 0.06 करोड़) (ii) मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (₹ 0.06 करोड़) (iii) मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति (₹ 0.80 करोड़) (iv) राष्ट्रीय न्यास के लिए बजटीय सहायता (₹ 0.20 करोड़) (v) राष्ट्रीय अंधता बाधिर, मंदबुद्धि और अस्थि विकलांग संस्थान में दिव्यांगजनों के लिए (₹ 2.72 करोड़)।	(c) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme (i) Top Class Education for Persons with Disabilities (PWDs) (₹0.06 crore) (ii) Pre Matric Scholarship (₹0.60 crore) (iii) Post Matric Scholarship (₹0.80 crore) (iv) Budgetary Support for National Trust (₹0.20 crore) (v) National Institute for the blind, deaf, mentally retarded and the orthopedically handicapped for the blind, deaf, mentally retarded and the orthopedically handicapped (₹2.72 crore).	4.38	-	4.38
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
84 अंतरिक्ष विभाग	84 Department of Space			
(क) राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए अनुदान सहायता वेतन प्रदान करने हेतु।	(a) For providing Grants-in-aid Salaries towards National Atmospheric Research Laboratory.	-	1.40	1.40
(ख) मशीनरी और उपकरण प्रदान करने के लिए (i) पोलर सैटेलाइट लॉच व्हिकल (₹ 5 करोड़) (ii) इसरो सैटेलाइट केन्द्र (₹ 0.75 करोड़) (iii) जी-सैट-15 सैटेलाइट (₹ 0.60 करोड़)।	(b) For providing Machinery & Equipments towards (i) Polar Satellite Launch Vehicle (₹5 crore) (ii) ISRO Satellite Centre (₹0.75 crore) (iii) G SAT-15 Satellite (₹0.60 crore).	6.35	-	6.35
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
85 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	85 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹ 8 करोड़) और अनुदान सहायता वेतन (₹ 5 करोड़)।	For providing Grants-in-aid General (₹8 crore) and Grants-in-aid Salary (₹5 crore) for Indian Statistical Institute, Kolkata.	13.00	-	13.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
87 वस्त्र मंत्रालय	87 Ministry of Textiles			
(क) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (i) पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹1 करोड़) साधारण विद्युतकरघा के स्वस्थाने उन्नयन स्कीम के तहत (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़)।	(a) For meeting additional requirement towards (i) Grants for Creation of Capital Assets (₹1 crore) under the scheme In-situ Upgradation of Plain Powerloom and (ii) Grants-in-aid General (₹10 crore) under NER Textile Promotion Scheme.	11.00	-	11.00
(ख) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए 1. सामान्य सहायता अनुदान (i) अनुसंधान और विकास (हस्तशिल्प) स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी और अन्य एजेंसियां (₹ 4.50 करोड़) (ii) मानव अनुसंधान विकास (हस्तशिल्प) स्कीम के अंतर्गत (₹ 2 करोड़) 2. व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास कार्यक्रम-हस्तशिल्प मेगा कलस्टर स्कीम के अंतर्गत कलस्टर प्रबंधन और तकनीकी एजेंसियों को व्यावसायिक सेवाएं (₹1 करोड़)।	(b) For meeting additional requirement towards 1. Grants-in-aid General to (i) National Institute of Fashion Technology (NIFT) and other agencies under the scheme Research & Development (Handicraft) (₹4.50 crore) (ii) under the scheme Human Research Development (Handicraft) (₹2 crore) 2. Professional Services to Cluster Management and Technical Agencies under the scheme Comprehensive handicraft Cluster Development Programme-Handicraft Mega Cluster (₹1 crore).	7.50	-	7.50
(ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड-अनुदान स्कीम के अंतर्गत 2016-17 के दौरान वेतन एवं भत्तों, मजदूरी, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ पर प्रतिबद्ध भुगतानों के लिए सहायता अनुदान वेतन हेतु अतिरिक्त राशि पूरी करने के लिए।	(c) For meeting additional amount towards Grants-in-aid Salaries for payment of salaries & allowances, wages, pension and retirement benefits during 2016-17 under the scheme Central Silk Board Grants.	-	7.50	7.50
(घ) अतिरिक्त राशि पूरी करने के लिए (i) मानव संसाधन विकास स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹ 45 करोड़) और (ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और कानपुर को जूट सहित वस्त्र स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 9.01 करोड़)।	(d) For meeting additional amount towards (i) Grants-in-aid General (₹45 crore) under the scheme Human Resources Development and (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹9.01 crore) to Indian Institutes of Technology (IIT) Delhi and Kanpur under the scheme Textile including jute.	54.01	-	54.01
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
88 पर्यटन मंत्रालय	88 Ministry of Tourism			
स्वदेश दर्शन-विषय आधारित पर्यटक सर्किटों के एकीकृत विकास के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	For providing Grants-in-aid General under Swadesh Darshan-Integrated Development of Theme-Based Tourist Circuits.	185.44	-	185.44
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
89 जनजातीय कार्य मंत्रालय	89 Ministry of Tribal Affairs			
अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	For meeting additional expenditure towards Scholarship under the scheme National Fellowship and Scholarship for Higher Education of ST Students.	30.00	-	30.00
संघ राज्य क्षेत्र (विधानसभा रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
90 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	90 Andaman and Nicobar Islands			
(क) वक्फ बोर्ड को सहायता अनुदान वेतन के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting the expenditure towards Grants-in-aid Salaries to Waqf Board.	-	0.06	0.06

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) अंतर द्वीप पोतों के प्रचालन के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure towards operation of inter-island vessels.	-	10.13	10.13
(ग) समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को सहायता अनुदान वेतन के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	(c) For meeting the expenditure towards Grants-in-aid Salaries to Social Welfare Advisory Board.	-	0.15	0.15
(घ) अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) वन विकास के लिए वन विभाग के संबंध में भवनों का निर्माण (₹0.42 करोड़) (ii) संरक्षण (₹0.50 करोड़) और मशीनरी की खरीद (₹0.27 करोड़) वन एवं तटीय इको-प्रणाली के लिए (iii) वन उत्पाद (₹0.80 करोड़) (iv) वन्य जीव भवन (₹4 करोड़) (v) चाथम आरा मिल (₹0.15 करोड़)।	(d) For meeting additional expenditure for (i) construction of buildings in respect of Forest Department for development of forest (₹0.42 crore) (ii) protection (₹0.50 crore) and purchase of machinery (₹0.27 crore) for forests and coastal Eco-system (iii) forest produce (₹0.80 crore) (iv) Wild life building (₹4 crore) (v) Chatham Saw Mill (₹0.15 crore).	6.14	-	6.14
(ङ) आपदा प्रबंधन के लिए भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(e) For meeting additional expenditure towards construction of building for Disaster Management.	0.99	-	0.99
(च) ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(f) For meeting additional expenditure towards construction of rural roads.	3.00	-	3.00
(छ) जनजातीय क्षेत्रों में जेटी के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(g) For meeting additional expenditure towards construction of jetties in tribal area.	9.00	-	9.00
(ज) आईआरबीएन (₹2 करोड़) और पुलिस आवास (₹0.70 करोड़) के भवन निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(h) For meeting additional expenditure towards construction of building for IRBn (₹2 crore) and for police housing (₹0.70 crore).	2.70	-	2.70
(झ) अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (i) मोटर वाहन की खरीद (₹0.14 करोड़) (ii) कॉलेज भवनों का निर्माण (₹3.28 करोड़) (iii) पोलिटेक्निक भवन (₹2.93 करोड़) और (iv) स्पोर्ट्स स्टेडियम (₹1.91 करोड़)।	(i) For meeting additional expenditure towards (i) purchase of Motor Vehicles (₹0.14 crore) (ii) construction of college buildings (₹3.28 crore) (iii) Polytechnic building (₹2.93 crore) and (iv) sports stadium (₹1.91 crore).	8.26	-	8.26
(ञ) ग्रामीण विकास के लिए भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(j) For meeting additional expenditure towards construction of building for Rural Development.	1.00	-	1.00
(ट) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लिए भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(k) For meeting additional expenditure towards construction of building for Department of Science and Technology.	0.05	-	0.05
(ठ) समुद्री दीवार के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(l) For meeting additional expenditure towards construction of sea wall.	2.70	-	2.70
92. दादरा और नागर हवेली	92 Dadra and Nagar Haveli			
(क) निम्नलिखित हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (i) दपादा, जांदा चौक और अम्बोली में बालिका छात्रावास का निर्माण (₹0.90 करोड़) (ii) मारेखाल, फलांदी, मसात, सुरंगी, खरेडी और सिंडोनी में उच्च विद्यालय भवन का निर्माण (₹0.93 करोड़) (iii) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विशेष मरम्मत (₹1.17 करोड़)।	(a) For meeting additional requirement towards (i) construction of Girls Hostel at Dapada, Zanda Chowk and Amboli (₹0.90 crore) (ii) construction of High School Building at Morkhal, Falandi, Masat, Surangi, Kherdi and Sindoni (₹0.93 crore) and (iii) Special repairs to higher secondary schools (₹1.17 crore).	3.00	-	3.00
(ख) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (i) दुधानी चरण-II और चरण-III में वाटर फ्रंट विकास (₹0.75 करोड़) (ii) दादरा गार्डन में सिग्नेचर पैदल पुल का निर्माण (₹3.25 करोड़) (iii) नक्षत्र वन गार्डन के	(b) For meeting additional requirement towards (i) Development of water front at Dudhani Phase-II & Phase-III (₹0.75 crore) (ii) Construction of signature pedestrian bridge at Dadra Garden			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
पास दमन गंगा नदी के आर-पार वेयर का निर्माण (₹1 करोड़)।	(₹3.25 crore) (iii) Construction of weir across Daman Ganga River near Nakshatra Van Garden (₹1 crore).	5.00	-	5.00
94. लक्षद्वीप वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान की गई एचएसडी की खरीद के एवज में डीजीएस एंड डी को भुगतान हेतु।	94 Lakshadweep For payment to DGS&D against the procurement of HSD made during the Financial Year 2011-12 & 2012-13.	-	55.00	55.00
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
95 शहरी विकास मंत्रालय	95 Ministry of Urban Development			
(क) व्यय पूरा करने के लिए (i) कार्यालयी खर्च (₹1.77 करोड़) (ii) किराया, दर और कर (₹14.27 करोड़) (iii) सांसद आवास का रखरखाव और मरम्मत कार्य (₹10 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards (i) Office Expenses (₹1.77 crore) (ii) Rent, Rate and Taxes (₹14.27 crore) (iii) Maintenance and Repair works of MP House (₹10 crore).	-	26.04	26.04
(ख) आय कर, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और आईटी भवन का बान्द्रा कुर्ला परिसर, मुम्बई में निर्माण के लिए मुख्य निर्माण कार्य हेतु व्यय की व्यवस्था करना।	(b) For providing expenditure towards Major Works for construction of office building of Income Tax, Customs and Central Excise and IT Building at Bandra-Kurla Complex, Mumbai.	-	62.00	62.00
(ग) त्रिवेन्द्रम में आरवीटीआई हेतु 7 स्टाफ क्वार्टर के निर्माण हेतु मुख्य निर्माण कार्य के लिए व्यय पूरा करना।	(c) For meeting expenditure towards Major Works for construction of 7 staff quarters for RVTI at Trivandrum.	1.00	-	1.00
(घ) वेस्टर्न कोर्ट होस्टेल और लोक सभा आवासों के निर्माण के लिए।	(d) For construction of Western Court Hostel and Lok Sabha Residences.	-	25.00	25.00
(ङ) (i) पुणे मेट्रो इक्विटी (₹100 करोड़) (ii) नागपुर मेट्रो इक्विटी (₹60 करोड़) के लिए व्यय की व्यवस्था करना।	(e) For providing expenditure towards (i) Pune Metro Equity (₹100 crore) and (ii) Nagpur Metro Equity (₹60 crore).	160.00	-	160.00
(च) व्यय प्रदान करने के लिए (i) चेन्नै मेट्रो (₹331.86 करोड़) (ii) नागपुर मेट्रो (पास थ्रू सहायता) (₹36 करोड़) (iii) चेन्नै मेट्रो (उप-ऋण) (₹59.20 करोड़) (iv) नागपुर मेट्रो (उप-ऋण) (₹70 करोड़)।	(f) For providing expenditure towards (i) Chennai Metro (₹331.86 crore) (ii) Nagpur Metro (Pass Through Assistance) (₹36 crore) (iii) Chennai Metro (Sub-Debt) (₹59.20 crore) (iv) Nagpur Metro (Sub-Debt) (₹70 crore).	497.06	-	497.06
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION			
96 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	96 Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
(क) 1. पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त अनुदान (ईएपी घटक ₹3.03 करोड़) और कार्यक्रम घटक (₹3.03 करोड़) राष्ट्रीय पन बिजली परियोजना के लिए 2. ब्याज भुगतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (₹26.21 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को पीएमएस के वाई के लिए नाबार्ड ऋण के एवज में (₹18.79 करोड़)।	(a) For providing 1. additional Grants for Creation of Capital Assets (EAP Component - ₹3.03 crore and Programme Component - ₹3.03 crore) for National Hydrology Project 2. Grants-in-aid General towards payment of interest (i) to National Water Development Agency (₹26.21 crore) and (ii) against NABARD loan for PMSKY to National Water Development Agency (₹18.79 crore).	51.06	-	51.06
(ख) बाढ़ पूर्वानुमान स्कीम के अंतर्गत बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के संबंध में दामोदर घाटी निगम को ऋण जारी करने के लिए।	(b) For release of loans to Damodar Valley Corporation in respect of Externally Aided Project under the scheme Flood Forecasting.	9.00	-	9.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
97. महिला और बाल विकास मंत्रालय	97 Ministry of Women and Child Development			
(क) अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) वन स्टॉप सेंटर स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹29.80 करोड़) (ii) राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन स्कीम के अंतर्गत किराया, दर और कर (₹0.85 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme One Stop Centre (₹29.80 crore) (ii) Rent, Rate & Taxes under the scheme National Mission for Empowerment of Women (₹0.85 crore).	30.65	-	30.65
(ख) एकिकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Integrated Child Development Services (ICDS).	105.40	-	105.40
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
98 युवा मामले और खेल मंत्रालय	98 Ministry of Youth Affairs and Sports			
(क) 1. सामान्य सहायता अनुदान (i) अंतरराष्ट्रीय सहयोग (₹2.40 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय युवा कोर स्कीम (₹5 करोड़) 2. सहायता अनुदान वेतन (i) युवा केन्द्र संगठन (₹5 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (₹0.30 करोड़) 3. भारतीय खेल प्राधिकरण स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹21.90 करोड़)।	(a) For 1. Grants-in-aid General under (i) International Co-operation (₹2.40 crore) and (ii) National Youth Corps Scheme (₹5 crore) 2. Grants-in-aid Salaries under (i) Yuva Kendra Sangthan (₹5 crore) and (ii) National Anti-Doping Agency (₹0.30 crore) 3. Grants for Creation of Capital Assets under Sports Authority of India Scheme (₹21.90 crore).	34.60	-	34.60
(ख) निम्नलिखित के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹0.34 करोड़) और नेहरू युवा केन्द्र संगठन के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹4.41 करोड़) (ii) सहायता अनुदान वेतन (₹0.75 करोड़) और कार्यालयी खर्च (₹0.25 करोड़) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान के अंतर्गत।	(b) For (i) Grants-in-aid General (₹0.34 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹4.41 crore) under Nehru Yuva Kendra Sangthan (ii) Grants-in-aid Salaries (₹0.75 crore) and Office Expenses (₹0.25 crore) under Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development.	-	5.75	5.75
कुल सांकेतिक	Total Token	0.88	0.52	1.40
5. आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से ₹65,69,00,000 की अग्रिम राशि स्वीकृत की गई। अनुदान की पूरक मांगों के अनुमोदित होने के बाद इसे निधि में वापस जमा कर दिया जाएगा।	5. An advance of ₹65,69,00,000 was sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting immediate requirement. This will be recouped to the Fund after the Supplementary Demands for Grants are approved.			
कुल जोड़	GRAND TOTAL	12,141.01	11,22,914.68	11,35,055.69
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	8,782.03	6,004.82	14,786.85
तकनीकी पूरक अनुदान	Technical Supplementary	3,358.10	11,16,909.34	11,20,267.44
सांकेतिक पूरक अनुदान	Token Supplementary	0.88	0.52	1.40

विषय सूची CONTENTS

				(करोड़ रुपए Rupees in crore)				
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
कृषि, सहकारिता एवं		MINISTRY OF AGRICULTURE AND						
कृषक कल्याण मंत्रालय		FARMERS WELFARE						
1	कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग	स्वीकृत	1. Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	Voted	5233.96	22.21	5256.17	1
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	स्वीकृत	2. Department of Agricultural Research and Education	Voted	0.03	...	0.03	4
3.	पशु पालन और डेयरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	स्वीकृत	3. Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	Voted	0.02	...	0.02	6
आन्विक ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY						
4.	आन्विक ऊर्जा	स्वीकृत	4. Atomic Energy	Voted	298.87	1124.03	1422.90	7
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)		MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI,SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)						
5.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	स्वीकृत	5. Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.03	5.00	5.03	10
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS						
6.	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	स्वीकृत	6. Department of Chemical and Petrochemicals	Voted	0.39	...	0.39	11
7.	उर्वरक विभाग	स्वीकृत	7. Department of Fertilisers	Voted	0.02	...	0.02	12
8.	भेषज विभाग	स्वीकृत	8. Department of Pharmaceuticals	Voted	0.02	100.00	100.02	13
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION						
9.	नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	9. Ministry of Civil Aviation	Voted	0.01	69.07	69.08	14
कोयला मंत्रालय		MINISTRY OF COAL						
10.	कोयला मंत्रालय	स्वीकृत	10. Ministry of Coal	Voted	195.36	...	195.36	15
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY						
11.	वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	11. Department of Commerce	Voted	0.04	6.00	6.04	16
12.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	स्वीकृत	12. Department of Industrial Policy and Promotion	Voted	0.01	...	0.01	18
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY						
13.	डाक विभाग	भारित स्वीकृत	13. Department of Posts	Charged Voted	3.08 150.41	...	3.08 150.42	19
14.	दूरसंचार विभाग	भारित स्वीकृत	14. Department of Telecommunications	Charged Voted	4.27 3440.46	...	4.27 3440.47	21
15.	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	15. Department of Electronics and Information Technology	Voted	97.62	0.01	97.63	23
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION						
16.	उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	16. Department of Consumer Affairs	Voted	3502.60	...	3502.60	24
17.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	भारित स्वीकृत	17. Department of Food and Public Distribution	Charged Voted	2.32 14.26	...	2.32 14.27	25
कारपोरेट कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS						
18.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	18. Ministry of Corporate Affairs	Voted	5.37	...	5.37	27
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE						
19.	संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	19. Ministry of Culture	Voted	0.03	...	0.03	28

				(करोड़ रुपए Rupees in crore)			
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE					
20.	रक्षा मंत्रालय (विविध)	भारित	20. Ministry of Defence (Misc)	Charged	1.45	77.00	78.45
		स्वीकृत		Voted	1052.72	0.03	1052.75
21.	रक्षा पेंशन	भारित	21. Defence Pensions	Charged	0.36	...	0.36
		स्वीकृत		Voted	3292.94	...	3292.94
22.	रक्षा सेवाएं (राजस्व)	स्वीकृत	22. Defence Services (Revenue)	Voted	5551.91	...	5551.91
23.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	भारित	23. Capital Outlay on Defence Services	Charged	...	2.46	2.46
		स्वीकृत		Voted	...	0.01	0.01
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		MINISTRY OF DEVELOPMENT AND NORTH EASTERN REGION					
24.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	स्वीकृत	24. Ministry of Development of North Eastern Region	Voted	92.90	...	92.90
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय		MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION					
25.	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	स्वीकृत	25. Ministry of Drinking Water and Sanitation	Voted	0.01	...	0.01
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE					
27.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	स्वीकृत	27. Ministry of Environment, Forests and Climate Change	Voted	11.91	...	11.91
विदेश मंत्रालय		MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
28.	विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	28. Ministry of External Affairs	Voted	0.01	...	0.01
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
29.	आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	29. Department of Economic Affairs	Voted	5889.22	0.02	5889.24
30.	वित्तीय सेवाएं विभाग	स्वीकृत	30. Department of Financial Services	Voted	0.01	3586.38	3586.39
31.	ब्याज भुगतान	भारित	31. Interest Payments	Charged	1112.35	...	1112.35
32.	राज्यों को अंतरण	स्वीकृत	32. Transfers to States	Voted	3000.00	...	3000.00
33.	विनियोग-ब्याज अदायगी	भारित	33. Repayment of Debt	Charged	...	1085437.69	1085437.69
36.	भारतीय लेखा और लेखा परिक्षा विभाग	स्वीकृत	36. Indian Audit and Accounts Department	Voted	15.00	...	15.00
37.	राजस्व विभाग	स्वीकृत	37. Department of Revenue	Voted	7.02	0.01	7.03
38.	प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	38. Direct Taxes	Voted	280.17	...	280.17
39.	अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	39. Indirect Taxes	Voted	280.00	...	280.00
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES					
41.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	41. Ministry of Food Processing Industries	Voted	92.96	...	92.96
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
42.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	42. Department of Health and Family Welfare	Voted	1448.47	0.01	1448.48
43.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	43. Department of Health Research	Voted	0.02	...	0.02
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES					
44.	भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत	44. Department of Heavy Industry	Voted	623.15	400.02	1023.17
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
46.	गृह मंत्रालय	स्वीकृत	46. Ministry of Home Affairs	Voted	209.06	...	209.06
48.	पुलिस	स्वीकृत	48. Police	Voted	965.08	...	965.08
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय		MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION					
50.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	स्वीकृत	50. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation	Voted	0.02	...	0.02
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT					
51.	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	51. Department of School Education and Literacy	Voted	0.05	...	0.05
52.	उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	52. Department of Higher Education	Voted	11.21	...	11.21

			(करोड़ रुपए Rupees in crore)				
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
सूचना और प्रसारण मंत्रालय		MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING					
53. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत	53. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	57.36	...	57.36	66
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT					
54. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	54. Ministry of Labour and Employment	Voted	0.01	...	0.01	67
विधि और न्याय मंत्रालय		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE					
56. विधि और न्याय	स्वीकृत	56. Law and Justice	Voted	0.02	...	0.02	68
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES					
58. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	58. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	1697.90	...	1697.90	69
खान मंत्रालय		MINISTRY OF MINES					
59. खान मंत्रालय	स्वीकृत	59. Ministry of Mines	Voted	0.01	...	0.01	71
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय		MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS					
60. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	स्वीकृत	60. Ministry of Minority Affairs	Voted	0.01	...	0.01	72
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY					
61. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	स्वीकृत	61. Ministry of New and Renewable Energy	Voted	0.01	...	0.01	73
योजना मंत्रालय		MINISTRY OF PLANNING					
67. योजना मंत्रालय	स्वीकृत	67. Ministry of Planning	Voted	0.01	...	0.01	74
विद्युत मंत्रालय		MINISTRY OF POWER					
68. विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	68. Ministry of Power	Voted	585.90	296.26	882.16	75
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय		THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF VICE PRESIDENT					
70. लोक सभा	भारित	70. Lok Sabha	Charged	0.15	...	0.15	77
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय		MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS					
74. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	74. Ministry of Road Transport and Highways	Voted	2041.41	0.01	2041.42	78
ग्रामीण विकास मंत्रालय		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT					
75. ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	75. Department of Rural Development	Voted	898.98	...	898.98	80
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY					
77. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	77. Department of Science and Technology	Voted	0.02	...	0.02	81
78. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	78. Department of Scientific and Industrial Research	Voted	1.76	...	1.76	82
पोत परिवहन मंत्रालय		MINISTRY OF SHIPPING					
80. पोत परिवहन मंत्रालय	स्वीकृत	80. Ministry of Shipping	Voted	30.05	28.37	58.42	83
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय		MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP					
81. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	स्वीकृत	81. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	Voted	0.01	...	0.01	85
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT					
82. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	स्वीकृत	82. Department of Social Justice and Empowerment	Voted	30.45	...	30.45	86
83. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	स्वीकृत	83. Department of Empowerment of Persons with Disabilities	Voted	0.03	...	0.03	88
अंतरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE					
84. अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	84. Department of Space	Voted	299.14	0.01	299.15	90

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)				
मांग संख्या और शीर्षक	No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION					
85. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	85. Ministry of Statistics and Programme Implementation	स्वीकृत Voted	0.01	...	0.01	91
इस्पात मंत्रालय	MINISTRY OF STEEL					
86. इस्पात मंत्रालय	86. Ministry of Steel	भारित स्वीकृत Charged Voted	110.00 200.00	...	110.00 200.00	92
वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES					
87. वस्त्र मंत्रालय	87. Ministry of Textiles	स्वीकृत Voted	0.04	...	0.04	93
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM					
88. पर्यटन मंत्रालय	88. Ministry of Tourism	स्वीकृत Voted	0.01	...	0.01	95
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
89. जनजातीय कार्य मंत्रालय	89. Ministry of Tribal Affairs	भारित स्वीकृत Charged Voted	121.17 1.51	...	121.17 1.51	96
संघ राज्य क्षेत्र (विधान-मंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)					
90. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	90. Andaman and Nicobar Islands	स्वीकृत Voted	620.43	0.09	620.52	98
91. चंडीगढ़	91. Chandigarh	स्वीकृत Voted	30.96	...	30.96	102
92. दादरा एवं नगर हवेली	92. Dadra and Nagar Haveli	स्वीकृत Voted	58.10	0.02	58.12	104
93. दमन एवं दीव	93. Daman and Diu	स्वीकृत Voted	...	3.00	3.00	106
94. लक्षद्वीप	94. Lakshadweep	स्वीकृत Voted	0.01	...	0.01	107
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT					
95. शहरी विकास विभाग	95. Ministry of Urban Development	भारित स्वीकृत Charged Voted	... 0.01	1.60 0.05	1.60 0.06	108
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION					
96. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	96. Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	भारित स्वीकृत Charged Voted	0.40 6.01	...	0.40 6.02	110
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT					
97. महिला और बाल विकास मंत्रालय	97. Ministry of Women and Child Development	स्वीकृत Voted	217.20	...	217.20	112
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS					
98. युवा मामले और खेल मंत्रालय	98. Ministry of Youth Affairs and Sports	स्वीकृत Voted	0.02	...	0.02	113
कुल जोड़	GRAND TOTAL		43896.29	1091159.40	1135055.69	
		भारित स्वीकृत Charged Voted	1355.55 42540.74	1085518.75 5640.65	1086874.30 48181.39	
अनुबंध	ANNEXURE					114

मांग संख्या DEMAND NO. 1

कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 1 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 1 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	35952.83	30.86	35983.69
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	7592.59	...	7592.59
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	5233.96	22.21	5256.17
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	48779.38	53.07	48832.45

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत: 2401 -Crop Husbandry	Voted:	30.20 (का)	0.01 (खb)	30.21
2416 - कृषि वित्तीय संस्थान	स्वीकृत: 2416 -Agricultural Financial Institutions	Voted:	...	5203.72 (गc)	5203.72
2425 - सहकारिता	स्वीकृत: 2425 -Co-operation	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
2435 - अन्य कृषि कार्यक्रम	स्वीकृत: 2435 -Other Agricultural Programmes	Voted:	0.01 (ङe)	...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01 (चf)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	30.23	5203.73	5233.96
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4401 - फसल कार्य पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत: 4401 - Capital Outlay on Crop Husbandry	Voted:	0.01 (छg)	...	0.01
6425 - सहकारिता के लिए ऋण	स्वीकृत: 6425 - Loans for Cooperation	Voted:	22.20 (जh)	...	22.20
जोड़ (पूँजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted:	22.21	...	22.21
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	52.44	5203.73	5256.17

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2416 - कृषि वित्तीय संस्थान	2416 - Agricultural Financial Institutions	...	(-) 5203.72	(-) 5203.72

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) कृषोन्नति योजना-केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत पादप किस्म संरक्षण और किसानों के अधिकार के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 3.30 करोड़)।
- (ii) कृषोन्नति योजना-केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 2.90 करोड़) और राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 4.30 करोड़)।
- (iii) कृषोन्नति योजना-केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत पौध संरक्षण और पादप संगरोध उप-मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 5.20 करोड़)।
- (iv) बीज और बागवानी सामग्री उप-मिशन के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना ₹ 5.20 करोड़)।
- (v) राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पंप मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 15 करोड़)।
- (vi) कृषोन्नति योजना-केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (सामान्य घटक ₹ 152.30 करोड़) और अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक हेतु (₹ 24.30 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें ₹ 30.20 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (ख) एमआईएस/पीएसएस स्कीम के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन परिसंघ लिमिटेड को सब्सिडी देने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति (₹ 65.69 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ग) कृषि कल्याण उपकर का कृषि कल्याण कोष में अंतरण (₹ 5203.72 करोड़)।
कृषि कल्याण कोष से वसूलियों को देखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (घ) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की लंबित देनदारियों के लिए कृषि सहकारिता हेतु एकीकृत स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (सामान्य घटक ₹ 100 करोड़ और जनजाति उप-आयोजना घटक ₹ 15 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ङ) (i) एकीकृत कृषि विपणन स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 13.65 करोड़)।
- (ii) राष्ट्रीय कृषि विपणन के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (सामान्य घटक ₹ 34.10 करोड़ रुपए, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक आयोजना ₹ 7.30 करोड़ और जनजाति क्षेत्र उप-आयोजना ₹ 3.60 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) providing additional Grants-in-aid General under Protection of Plant Varieties and Farmers Rights under Krishonnati Yojna-Central Sector (₹ 3.30 crore).
- (ii) providing additional Grants-in-aid General (₹ 2.90 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 4.30 crore) under National Institute of Plant Health Management under Krishonnati Yojna-Central Sector.
- (iii) providing additional Grants-in-aid General under Sub-Mission on Plant Protection and Plant Quarantine under Krishonnati Yojna-Central Sector (₹ 5.20 crore).
- (iv) providing additional Grants for creation of Capital Assets under Sub-Mission on Seeds and Planting Material (₹ 5.20 crore).
- (v) providing additional Grants in aid General under National Mission on Oil-seeds and Oil palm (₹ 15 crore).
- (vi) providing additional Grants-in-aid General under Mission for Integrated Development of Horticulture under Krishonnati Yojna-Central Sector (General Component - ₹ 152.30 crore and for Special Component Plan for Scheduled Caste - ₹ 24.30 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 30.20 crore.

- (b) recoupment of advance drawn from Contingency Fund of India for providing subsidy to National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED) (₹ 65.69 crore) under the scheme Market Intervention Scheme/Price Support Scheme.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) Transfer of Krishi Kalyan Cess to Krishi Kalyan Kosh (₹ 5203.72 crore).
Taking into account the additional recoveries from Krishi Kalyan Kosh, this will not entail any cash outgo.
- (d) providing additional Grants in aid General under Integrated Scheme for Agriculture Cooperation for pending liabilities of National Cooperative Development Corporation (General Component - ₹ 100 crore and Tribal Sub Plan component - ₹ 15 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (e) (i) providing additional Grants in Aid General under Integrated Scheme on Agricultural Marketing (₹ 13.65 crore);
- (ii) providing additional Grants in aid General under National Agricultural Marketing (General Component - ₹ 34.10 crore, Special Component Plan for Scheduled Castes - ₹ 7.30 crore and Tribal Area Sub Plan - ₹ 3.60 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(च)	(i) बीज और बागवानी सामग्री उप-मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (सामान्य घटक ₹ 0.40 करोड़ और अनुसूचित जाति विशेष घटक आयोजना ₹ 0.02 करोड़) तथा पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 0.08 करोड़)।	(f)	(i) providing additional Grants in aid General (General Component - ₹ 0.40 crore and Special Component Plan for Scheduled Castes- ₹ 0.02 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.08 crore) under Sub-Mission on Seeds and Planting Materials.
	(ii) कृषि सहकारिता के लिए एकीकृत स्कीम के अंतर्गत जनजाति उप-आयोजना घटक हेतु अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 15 करोड़)।		(ii) providing additional Grants in aid General for Tribal Sub Plan Component (₹ 15 crore) under Integrated Scheme for Agriculture Cooperation.
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(छ)	(i) राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों के तहत अतिरिक्त व्यय (₹ 0.04 करोड़);	(g)	(i) additional expenditure under Major Works (₹ 0.04 crore) under National Seeds Research and Training Centre;
	(ii) कृषोन्नति योजना - केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत पौध संरक्षण और पादप संघरोध उप-मिशन के तहत मोटर वाहनों के लिए अतिरिक्त व्यय (₹ 4.50 करोड़)।		(ii) additional expenditure for Motor Vehicles (₹ 4.50 crore) under Sub-Mission on Plant Protection and Plant Quarantine under Krishonnati Yojna-Central Sector.
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ज)	कृषोन्नति योजना-केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत भूमि विकास बैंकों को ऋण जारी करना (₹ 25 करोड़)।	(h)	release of loans to Land Development Banks under Krishionnati Yojna - Central Sector (₹ 25 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें (₹ 22.20 करोड़) का नकद व्यय होगा।		Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 22.20 crore.	

मांग संख्या DEMAND NO. 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	6620.00	...	6620.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6620.04	...	6620.04
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2415 - कृषि अनुसंधान और शिक्षा	स्वीकृत: 2415 -Agricultural Research and Education	Voted: 0.01 (कa)	0.01 (खb)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) कृषि विस्तार संस्थान स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना (₹ 40.03 करोड़)
- (ii) कृषि विस्तार संस्थान स्कीम (₹ 47.42 करोड़) और कृषि शिक्षा संस्थान (₹ 60.27 करोड़) के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त अनुदान मुहैया कराना
- (iii) फसल विज्ञान संस्थान (₹ 2.28 करोड़) और कृषि विस्तार संस्थान स्कीम (₹ 0.17 करोड़) के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अतिरिक्त वेतन अनुदान सहायता मुहैया कराना।
- (iv) कृषि विस्तार संस्थान स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को जनजातीय क्षेत्र उप आयोजना के तहत अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना (₹ 1.93 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) (i) फसल विज्ञान संस्थान (₹ 99.66 करोड़), बागवानी संस्थान (₹ 21.72 करोड़), कृषि उत्पाद उपस्कर नियम, 1940 के तहत उपस्कर की शुद्ध आमदनी का भुगतान (₹ 0.10 करोड़), कृषि विस्तार संस्थान (₹ 0.45 करोड़), कृषि शिक्षा संस्थान (₹ 3.78

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) providing additional Grants-in-Aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Extension Institutes (₹ 40.03 crore).
- (ii) providing additional Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Extension Institutes (₹ 47.42 crore), Agricultural Education Institutes (₹ 60.27 crore).
- (iii) providing additional Grants-in-Aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Crop Science Institutes (₹ 2.28 crore) and Agricultural Extension Institutes (₹ 0.17 crore).
- (iv) providing additional Grants-in-Aid General under Tribal Area Sub Plan (TSP) to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Extension Institutes (₹ 1.93 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) providing additional Grants-in-Aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Crop Science Institutes (₹ 99.66 crore), Horticulture Institutes (₹ 21.72 crore), payment of net proceeds under

करोड़), कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी संस्थान (₹ 4.30 करोड़), आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन (₹ 11.60 करोड़), प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान (₹ 23.45 करोड़), प्राणी विज्ञान संस्थान (₹ 46.45 करोड़), मात्स्यिकी संस्थान (₹ 16.27 करोड़) स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना।

- (ii) फसल विज्ञान संस्थान (₹ 6.37 करोड़), उद्यान संस्थान (₹ 0.12 करोड़), कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी संस्थान (₹ 0.01 करोड़), कृषि इंजीनियरी संस्थान (₹ 0.16 करोड़), आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन (₹ 0.02 करोड़), प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान (₹ 0.54 करोड़), प्राणी विज्ञान संस्थान (₹ 0.95 करोड़), मात्स्यिकी संस्थान (₹ 0.27 करोड़) स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त अनुदान मुहैया कराना।

- (iii) आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अतिरिक्त अनुदान सहायता वेतन मुहैया कराना। (₹ 2.39 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ग) (i) बागवानी संस्थान (₹ 0.74 करोड़), कृषि विस्तार संस्थान (₹ 8 करोड़), कृषि शिक्षा संस्थान (₹ 1.50 करोड़), जलवायु लोच शील कृषि पहल (₹ 0.50 करोड़), प्राणी विज्ञान संस्थान (₹ 2.40 करोड़), मात्स्यिकी संस्थान (₹ 0.20 करोड़) स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना।

- (ii) कृषि शिक्षा संस्थान (₹ 3.50 करोड़), कृषि इंजीनियरी संस्थान (₹ 0.30 करोड़) स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त अनुदान मुहैया कराना।

- (iii) फसल विज्ञान संस्थान (₹ 0.07 करोड़), कृषि विस्तार संस्थान (₹ 4.30 करोड़), पशु विज्ञान संस्थान (₹ 0.40 करोड़) स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अतिरिक्त अनुदान सहायता वेतन मुहैया कराना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Agricultural Produce Cess Act, 1940 (₹ 0.10 crore), Agricultural Extension Institutes (₹ 0.45 crore), Agricultural Education Institutes (₹ 3.78 crore), Agricultural Economics & Statistics Institutes (₹ 4.30 crore), ICAR Headquarter Administration (₹ 11.60 crore), Natural Resource Management Institutes (₹ 23.45 crore), Animal Science Institutes (₹ 46.45 crore), Fisheries Institutes (₹ 16.27 crore).

- (ii) providing additional Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Crop Science Institutes (₹ 6.37 crore), Horticulture Institutes (₹ 0.12 crore), Agricultural Economics & Statistics Institutes (₹ 0.01 crore), Agricultural Engineering Institutes (₹ 0.16 crore), ICAR Headquarter Administration (₹ 0.02 crore), Natural Resource Management Institutes (₹ 0.54 crore), Animal Science Institutes (₹ 0.95 crore), Fisheries Institutes (₹ 0.27 crore).

- (iii) providing additional Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under the scheme ICAR Headquarter Administration (₹ 2.39 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) (i) providing additional Grants-in-Aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Horticulture Institutes (₹ 0.74 crore), Agricultural Extension Institutes (₹ 8 crore), Agricultural Education Institutes (₹ 1.50 crore), Climate Resilient Agriculture Initiative (₹ 0.50 crore), Animal Science Institutes (₹ 2.40 crore), Fisheries Institutes (₹ 0.20 crore).

- (ii) providing additional Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Education Institutes (₹ 3.50 crore), Agricultural Engineering Institutes (₹ 0.30 crore).

- (iii) providing additional Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Crop Science Institutes (₹ 0.07 crore), Agricultural Extension Institutes (₹ 4.30 crore), Animal Science Institutes (₹ 0.40 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 3

पशु पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 4 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 2 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	2395.45	36.06	2431.51
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	100.05	0.01	100.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2495.52	36.07	2531.59
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2403 - पशु पालन	स्वीकृत: 2403 -Animal Husbandry	Voted: 0.01 (कa)	...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पशु स्वास्थ्य संस्थानों को सहायता स्कीम के तहत क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं को (₹ 5 करोड़) और देसी नस्ल स्कीम में (₹ 4.50 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) देसी नस्ल स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान देना (₹ 0.50 करोड़) और राष्ट्रीय डेरी विकास कार्यक्रम (₹ 10 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing Grants-in-Aid General to Regional Disease Diagnostic Laboratories under the scheme of Assistance to Animal Health Institutes (₹ 5 crore) and under Indigenous Breed (₹ 4.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing additional Grant-in-Aid General under the scheme Indigenous Breed (₹ 0.50 crore) and National Programme for Dairy Development (₹ 10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 4

परमाणु ऊर्जा

ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	1.00	0.50	1.50
	स्वीकृत:	Voted:	12650.33	6030.65	18680.98
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	298.87	1124.03	1422.90
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	12950.20	7155.18	20105.38	
	भारित:	Charged:	1.00	0.50	1.50
	स्वीकृत:	Voted:	12949.20	7154.68	20103.88

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3451 -Secretariat-Economic Services	Voted:	...	0.26 (का)	0.26
2801 - विद्युत	स्वीकृत: 2801 -Power	Voted:	...	83.60 (खb)	83.60
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted:	...	57.29 (गc)	57.29
3401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	स्वीकृत: 3401 -Atomic Energy Research	Voted:	...	157.72 (घd)	157.72
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	...	298.87	298.87
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4801 - विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4801 - Capital Outlay on Power Projects	Voted:	0.01 (डे)	...	0.01
4861 - परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4861 - Capital Outlay on Atomic Energy Industries	Voted:	0.01 (चf)	1124.00 (छg)	1124.01
5401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5401 - Capital Outlay on Atomic Energy Research	Voted:	0.01 (जh)	...	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted:	0.03	1124.00	1124.03
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.03	1422.87	1422.90

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
4861 - परमाणु ऊर्जा उद्योगों	4861 - Capital Outlay on Atomic	...	(-)	1124.00	(-)	1124.00
पर पूंजी परिव्यय	Energy Industries					

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) डीएई सचिवालय के सातवें वेतन आयोग के बकायों का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना। (₹ 2.04 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 0.26 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए और अनुदान के इसी भाग में ₹ 1.78 करोड़ की बचतों का उपयोग करने के बाद उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) ब्याज दरों में संशोधन होने के कारण खारा जल (हैवी वाटर) पूल प्रबंधन हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 85 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय को खारा जल (हैवी वाटर) पूल प्रबंधन के अंतर्गत ₹ 83.60 करोड़ की अतिरिक्त प्राप्तियों के समतुल्य रखने और अनुदान के इसी भाग में ₹ 1.40 करोड़ की बचतों का उपयोग करने के बाद इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (ग) अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) रेडिएशन और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (₹ 3.95 करोड़), खारा जल संयंत्र (₹ 0.56 करोड़), न्यूक्लियर रिसाईकिल बोर्ड हेतु प्रचालन संयंत्र (₹ 22.82 करोड़) प्रबंधन सेवा समूह (₹ 0.21 करोड़) के सातवें वेतन आयोग के बकायों का भुगतान और (ii) रेडिएशन और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के कार्यालय एवं प्रबंधन संबंधी व्यय (₹ 1.15 करोड़), न्यूक्लियर ईंधन परिसर (₹ 124.22 करोड़) प्रबंधन सेवा समूह (₹ 0.09 करोड़) तथा रेडिएशन और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (₹ 0.21 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 57.29 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए और अनुदान के इसी भाग में ₹ 95.92 करोड़ की बचतों का उपयोग करने के बाद उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

- (घ) अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी के कार्यालय एवं प्रबंधन संबंधी व्यय (₹ 24 करोड़), भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र (₹ 17.42 करोड़) राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र (₹ 0.01 करोड़), वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर (₹ 3.58 करोड़) आणविक खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (₹ 1.95 करोड़) सेवा इकाई (₹ 7.19 करोड़) (ii) भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र (₹ 40.09 करोड़) इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र (₹ 27.29 करोड़) राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र (₹ 13.89 करोड़), वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर (₹ 0.90 करोड़) आणविक खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (₹ 14.13 करोड़) सेवा इकाई (₹ 11.86 करोड़) और एईआरबी (₹ 5.15 करोड़) के सातवें वेतन आयोग के बकायों का भुगतान और (iii) स्वायत्त निकायों एवं अनुसंधान सहायता को वेतन अनुदान सहायता (₹ 134.79 करोड़) तथा शिक्षा सोसायटी (एईईएस) (₹ 7 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 157.72 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए और अनुदान के इसी भाग में ₹ 151.53 करोड़ की बचतों का उपयोग करने के बाद उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ङ) भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र हेतु प्रमुख निर्माण कार्यों (₹ 0.55 करोड़) और मशीनरी उपस्कर (₹ 0.94 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure towards payment of 7th pay commission arrears of DAE Secretariat (₹ 2.04 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 0.26 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 1.78 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (b) meeting additional expenditure towards Heavy Water Pool Management (₹ 85 crore) due to revision of interest rates.

As the above expenditure is matched by additional receipts of ₹ 83.60 crore under Heavy Water Pool Management and after utilizing the savings of ₹ 1.40 crore within the same section of the Grant, this will not entail any cash outgo.

- (c) meeting additional expenditure towards (i) payment of 7th pay commission arrears of Board of Radiation and Isotope Technology (₹ 3.95 crore), Heavy Water Plants (₹ 0.56 crore), Operating plants for Nuclear Recycle Board (₹ 22.82 crore), Management Services Group (₹ 0.21 crore); and (ii) O&M expenditure of Board of Radiation and Isotope Technology (₹ 1.15 crore), Nuclear Fuel Complex (₹ 124.22 crore), Management Services Group (₹ 0.09 crore) and Board of Radiation and Isotope Technology (₹ 0.21 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 57.29 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 95.92 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (d) meeting additional expenditure towards (i) O&M expenditure of International Atomic Energy Agency (₹ 24 crore), Bhabha Atomic Research Centre (₹ 17.42 crore), Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (₹ 0.01 crore), Variable Energy Cyclotron Centre (₹ 3.58 crore), Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (₹ 1.95 crore), Service Unit (₹ 7.19 crore); (ii) payment of 7th pay commission arrears of Bhabha Atomic Research Centre (₹ 40.09 crore), Indira Gandhi Centre for Atomic Research (₹ 27.29 crore), Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (₹ 13.89 crore), Variable Energy Cyclotron Centre (₹ 0.90 crore), Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (₹ 14.13 crore), Service unit (₹ 11.86 crore), and AERB (₹ 5.15 crore); and (iii) Grant-in-aid Salary of Autonomous bodies and Research Support (₹ 134.79 crore) and Education Society (AEES) (₹ 7 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 157.72 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 151.53 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (e) meeting additional expenditure towards Major Work (₹ 0.55 crore) and Machinery & Equipment (₹ 0.94 crore) for Bhabha Atomic Research Centre.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- | | |
|--|--|
| <p>(च) (i) उन्नत ईंधन परियोजना हेतु मशीनरी उपस्कर (₹ 6.24 करोड़) तथा (ii) रेडिएशन और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.05 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p> | <p>(f) meeting additional expenditure towards (i) Machinery & Equipment (₹ 6.24 crore) for Advanced Fuel Project; and (ii) Professional Services (₹ 0.05 crore) under Board of Radiation and Isotope Technology.</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
| <p>(छ) अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) खारा जल उत्पादन सुविधा के सातवें वेतन आयोग के बकायों का भुगतान (₹ 16.41 करोड़) और (ii) फीडस्टॉक (₹ 1124 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 16.41 करोड़ की बचतों और खारा जल उत्पादन के अंतर्गत ₹ 1124 करोड़ की समतुल्य वस्तुओं को देखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(g) meeting additional expenditure towards (i) payment of 7th pay commission arrears of Heavy Water Production Facility (₹ 16.41 crore); and (ii) Feedstock (₹ 1124 crore).</p> <p>Taking into account the savings of ₹ 16.41 crore available in the same section of the grant and matching recoveries of ₹ 1124 crore under Heavy Water Production, this will not entail any cash outgo.</p> |
| <p>(ज) अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) मौलिक विज्ञान और इंजीनियरी में अनुसंधान और विकास हेतु (क) प्रमुख कार्य (₹ 68 करोड़) (ख) मशीनरी उपस्कर (₹ 37.27 करोड़) और (ग) अन्य परियोजना संबंधी व्यय (₹ 60.07 करोड़) तथा (ii) एईआरबी विस्तार परियोजना के कार्यालय एवं प्रबंधन व्यय (₹ 0.19 करोड़)</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p> | <p>(h) meeting additional expenditure under (i) Research and Development in basic Science and Engineering towards (a) Major Work (₹ 68 crore), (b) Machinery & Equipment (₹ 37.27 crore) and (c) other project related expenditure (₹ 60.07 crore); and (ii) O&M expenditure of AERB Expansion Project (₹ 0.19 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |

मांग संख्या DEMAND NO. 5

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी मंत्रालय

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 3 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	1323.20	3.00	1326.20	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	0.05	...	0.05	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.03	5.00	5.03	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1323.28	8.00	1331.28	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02	
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.02	0.01	0.03	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4210 - Capital Outlay on Medical and Public Health	Voted: 5.00 (घd)	...	5.00	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 5.02	0.01	5.03	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|---|---|
| <p>(क) सूचना, शिक्षा और संचार के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 6.62 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p> <p>(ख) सीसीआईएम चुनाव कराने के लिए अनुदान के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.32 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p> <p>(ग) (1) राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3 करोड़)
(2) राष्ट्रीय आयुष मिशन स्कीम के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 14.63 करोड़) (3) पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग के लिए सहायता अनुदान वेतन (₹ 2.05 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p> <p>(घ) कार्यालय भवन की अधिप्राप्ति पर व्यय (₹ 5 करोड़)।
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(a) Grants-in-aid General under Expenditure on Information, Education & Communication (₹ 6.62 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(b) Grants-in-aid General under Grants for conducting of CCIM Elections (₹ 0.32 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(c) (1) Grants-in-aid General for National AYUSH Mission (NAM) (₹ 3 crore) (2) Grants for creation of capital assets for Scheme National AYUSH Mission (NAM) (₹ 14.63 crore) (3) Grants-in-aid-salaries for North-Eastern Institute of Ayurveda & Homeopathy, Shillong (₹ 2.05 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(d) Expenditure on Acquisition of Office Building (₹ 5 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p> |
|---|---|

मांग संख्या DEMAND NO. 6

रसायन और पेट्रोसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 6 देखिये)

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 6 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	162.01	40.03	202.04
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	0.01	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.39	...	0.39
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	162.41	40.04	202.45
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: ...	0.39	0.39

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) के सहायता अनुदान वेतन हेतु व्यय को पूरा करना (₹ 3.15 करोड़)।

अनुदान के पूंजी विभाग में उपलब्ध ₹ 0.39 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण और अनुदान के इसी भाग में ₹ 2.76 करोड़ की बचतों का उपयोग करने के बाद कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

Meeting of expenditure for Grants-in-aid (Salaries) of Institute of Pesticides Formulation Technology (IPFT) (₹ 3.15 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 0.39 crore available in the Capital Section of the Grant and after utilising the savings of ₹ 2.76 crore within the same section of the Grant, this will not entail any cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 7

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 7 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	74138.33	1.04	74139.37
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	74138.36	1.04	74139.40
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत: 2401 -Crop Husbandry	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: ...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) देसी पी एंड के सब्सिडी ((₹ 1243.41 करोड़) का भुगतान (ii) आयाति पी एंड के सब्सिडी का भुगतान (₹ 800 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) देसी यूरिया सब्सिडी का भुगतान ((₹ 1800 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) Payment of Indigenous P&K- Subsidy (₹ 1243.41 crore)
(ii) Payment of Imported P&K Subsidy (₹ 800 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Payment of Indigenous Urea Subsidy (₹ 1800 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 8

भेषज विभाग

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	211.30	0.10	211.40
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	100.00	100.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	211.32	100.10	311.42
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (कa)	...	0.01
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.02	...	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6857 - रसायन और भेषज उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत: 6857 - Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries	Voted: ...	100.00 (गc)	100.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	100.00	100.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र एनआईपीईआर, गुवाहाटी स्कीम के अंतर्गत व्यय को पूरा करना (₹ 6.77 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) प्रधान मंत्री जन औषधि योजना (पीएमजेएवाई) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 14.75 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक लिमिटेड पुणे, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की मजदूरी, वेतन और तात्कालिक महत्वपूर्ण खर्च के लिए व्यय पूरा करने हेतु ऋण प्रदान करना (₹100 करोड़)।

उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) Meeting expenditure under the Scheme North Eastern Area NIPER, Guwahati (₹ 6.77 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Meeting additional requirement under Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojna (PMJAY) (₹ 14.75 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Providing loan to meet expenditure towards the wages, salaries and other critical expenses of immediate nature of the public sector undertaking Hindustan Antibiotics Limited (HAL, Pune) (₹ 100 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 9

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 8 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 4 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	810.52	1780.20	2590.72
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	861.65	861.66
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	69.07	69.08
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	810.54	2710.92	3521.46
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3053 - नागर विमानन	स्वीकृत: 3053 - Civil Aviation	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5053 - नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5053 - Capital Outlay on Civil Aviation	Voted: 69.07 (खब)	...	69.07
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 69.08	...	69.08

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 0.45 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) (i) पवन हंस लि. में (₹ 27.94 करोड़) और एयर इण्डिया में (₹ 21.47 करोड़) निवेश राशि उपलब्ध कराना।
(ii) नागर विमानन महानिदेशक के लिए मुख्य निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 17.91 करोड़)।
(iii) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो हेतु मुख्य निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 16.54 करोड़)।
राजस्व भाग से ₹ 69.07 करोड़ समतुल्य अभ्यर्पित निधि को देखते हुए और उसी भाग में उपलब्ध बचतों का उपयोग करने के बाद, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing Grants-in-aid General to National Aviation University (₹ 0.45 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) providing investment in Pawan Hans Limited (₹ 27.94 crore) and Air India (₹ 21.47 crore).
(ii) meeting additional requirement under Major Works for Director General of Civil Aviation (₹ 17.91 crore).
(iii) meeting additional requirement under Major Works for Bureau of Civil Aviation Safety (₹ 16.54 crore).
Taking into account the matching surrender of funds of ₹ 69.07 crore from Revenue Section and after utilising the savings available within the same section, this will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 10

कोयला मंत्रालय

MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	361.00	1100.00	1461.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	195.36	...	195.36
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	556.36	1100.00	1656.36
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2803 - कोयला और लिग्नाइट	स्वीकृत: 2803 -Coal and Lignite	Voted: 195.36	...	195.36

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कोयला खानों में संरक्षण सुरक्षा और अवसंरचना विकास स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त निधि (₹ 200 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 4.64 करोड़ की बचत को देखते हुए इसमें ₹ 195.36 करोड़ नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

additional fund under the scheme Conservation Safety and Infrastructure Development in Coal Mines (₹ 200 crore)

Taking into account the savings of ₹ 4.64 crore available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 195.36 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 11

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 9 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 5 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.06	...	0.06
	स्वीकृत:	Voted:	4262.74	100.00	4362.74
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित:	Charged:	2.72	...	2.72
	स्वीकृत:	Voted:	89.94	110.00	199.94
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.04	6.00	6.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4355.50	216.00	4571.50	
	भारित:	Charged:	2.78	...	2.78
	स्वीकृत:	Voted:	4352.72	216.00	4568.72
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2407 - पौधारोपण	स्वीकृत: 2407 -Plantations	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
3453 - विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	स्वीकृत: 3453 -Foreign Trade and Export Promotion	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	0.03	0.01	0.04
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:	1.00 (डेe)	...	1.00
5453 - विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5453 - Capital Outlay on Foreign Trade and Export Promotion	Voted:	5.00 (चf)	...	5.00
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted:	6.00	...	6.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	6.03	0.01	6.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) चाय बोर्ड हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (₹ 6.91 करोड़) जिनमें सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अनुसंधान एवं विकास (₹ 0.50 करोड़), सबसिडी के रूप में लघु उत्पादक विकास स्कीम (₹ 6 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान के रूप में चाय अधिनियम (₹ 0.41 करोड़) विनियामक प्रावधान का कार्यान्वयन शामिल है।

The supplementary grants are required for:

(a) (i) Meeting the additional requirement for Tea Board (₹ 6.91 crore) (₹ 0.50 crore) as Grants-in-aid General, Small Growers Development Scheme (₹ 6 crore) as Subsidies and implementation of regulatory provision of Tea Act (₹ 0.41 crore) as Grants-in-aid General .

<p>(ii) कॉफी बोर्ड के पुनर्पोषण हेतु सब्सिडी के अंतर्गत कॉफी बोर्ड हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 2.04 करोड़)।</p> <p>(iii) रबर बोर्ड हेतु उपकरण के संग्रहण के लिए भुगतान हेतु रबर बोर्ड की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 2.41 करोड़)।</p> <p>(iv) मसाला बोर्ड हेतु एससीएसपी के अंतर्गत मसाला बोर्ड की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 1.09 करोड़)।</p>	<p>(ii) Meeting the additional requirement for Coffee Board (₹ 2.04 crore) under subsidy for the Replantation of Coffee Board.</p> <p>(iii) Meeting the additional requirement for Rubber Board (₹ 2.41 crore) as Grants-in-aid General for payment against collection of cess for Rubber Board.</p> <p>(iv) Meeting the additional requirement for Spices Board (₹ 1.09 crore) as Grants-in-aid General under SCSP for Spices Board.</p>
<p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p>	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(ख) (i) सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण वेतन, बकाया, पेंशनरी लाभ के कारण प्रतिबद्ध दायिता हेतु वेतन सहायता अनुदान के रूप में चाय बोर्ड हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 2.76 करोड़)।</p> <p>(ii) सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण वेतन, बकाया, पेंशनरी लाभ के कारण प्रतिबद्ध दायिता हेतु वेतन सहायता अनुदान के रूप में कॉफी बोर्ड हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 4.96 करोड़)।</p> <p>(iii) सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण वेतन, बकाया, पेंशनरी लाभ के कारण प्रतिबद्ध दायिता हेतु वेतन सहायता अनुदान के रूप में रबर बोर्ड हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 9.59 करोड़)।</p> <p>(iv) सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण वेतन, बकाया, पेंशनरी लाभ के कारण प्रतिबद्ध दायिता हेतु वेतन सहायता अनुदान के रूप में मसाला बोर्ड हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 0.91 करोड़)।</p>	<p>(b) (i) Meeting the additional requirement for Tea Board (₹ 2.76 crore) as Grants-in-aid salary for committed liability on account of salary, arrears, pensionary benefits, implementation of 7th CPC.</p> <p>(ii) Meeting the additional requirement for Coffee Board (₹ 4.96 crore) Grants-in-aid salary for committed liability on account of salary, arrears, pensionary benefits, implementation of 7th CPC.</p> <p>(iii) Meeting the additional requirement for Rubber Board (₹ 9.59 crore) Grants-in-aid salary for committed liability on account of salary, arrears, pensionary benefits, implementation of 7th CPC.</p> <p>(iv) Meeting the additional requirement for Spices Board (₹ 0.91 crore) Grants-in-aid salary for committed liability on account of salary, arrears, pensionary benefits, implementation of 7th CPC.</p>
<p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p>	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(ग) चाय बोर्ड हेतु अनुसंधान एवं विकास के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 2.50 करोड़)।</p>	<p>(c) Meeting the additional requirement (₹ 2.50 crore) as Grants-in-aid General under Research and Development for Tea Board.</p>
<p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p>	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(घ) (i) कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 8.50 करोड़)।</p> <p>(ii) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 2 करोड़) (सब्सिडी)।</p>	<p>(d) (i) Meeting the additional requirement (₹ 8.50 crore) (subsidies) for Agricultural Products Export Development Authority (APEDA).</p> <p>(ii) Meeting the additional requirement (₹ 2 crore) (subsidies) for Marine Products Export Development Authority (MPEDA).</p>
<p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p>	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(ङ) महानिदेशक आपूर्ति और निपटान (डीजीएस एंड डी) के कार्यालय हेतु नए कार्यालय भवन तथा वाणिज्य विभाग के अन्य कार्यालयों के निर्माण हेतु मुख्य निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 1 करोड़)।</p> <p>चूंकि इसी अनुदान के स्वीकृत राजस्व भाग के अंतर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है। उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p>	<p>(e) Meeting the additional requirement (₹ 1 crore) under Major Works for construction of a new office building for office of Directorate General of Supplies and Disposals (DGS&D) and other offices of Department of Commerce.</p> <p>As savings are available under Voted Revenue Section of the same grant, a technical supplementary is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p>
<p>(च) लंबित दायिताओं हेतु निर्यात अवसंरचना और संबद्ध गतिविधियों के विकास हेतु राज्यों को सहायता के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 5 करोड़)।</p> <p>चूंकि इसी अनुदान के स्वीकृत राजस्व भाग के अंतर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है। उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p>	<p>(f) Meeting the additional requirement (₹ 5 crore) under 'Assistance to States for Development of Export Infrastructure and Allied Activities (ASIDE)' towards pending liabilities.</p> <p>As savings are available under Voted Revenue Section of the same grant, a technical supplementary is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p>

मांग संख्या DEMAND NO. 12

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 10 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 7 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	3016.94	9.61	3026.55
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	11.16	...	11.16
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3028.11	9.61	3037.72
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: ...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

लुगदी, कागज और संबद्ध उद्योग विकास परिषद् के लिए संस्था के कर्मचारियों को वेतन, महंगाई भत्ते, सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने के लिए प्रयोजन शीर्ष सहायता अनुदान वेतन के अंतर्गत व्यय पूरा करना (₹ 1.65 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

Meeting the expenditure (₹ 1.65 crore) under the object Head "Grants-in-Aid Salaries" for "Development Council for Pulp, Paper and Allied Industries (DCPPAI)" for payment of Salary, DA, retirement benefits to the employees of the Institution.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 13

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 11 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित:	Charged:	0.60	...	0.60
स्वीकृत:	Voted:	23122.00	406.26	23528.26
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	...	150.00	150.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित:	Charged:	3.08	...	3.08
स्वीकृत:	Voted:	150.41	0.01	150.42
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	23276.09	556.27	23832.36
भारित:	Charged:	3.68	...	3.68
स्वीकृत:	Voted:	23272.41	556.27	23828.68

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

					जोड़ Total
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3201 - डाक सेवाएं	भारित: 3201 - Postal Services	Charged:	...	3.08 (का)	3.08
	स्वीकृत:	Voted:	...	150.40 (खब)	150.40
3465 - सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	स्वीकृत: 3465 - General Financial and Trading Institutions	Voted:	0.01 (गंc)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.01	153.48	153.49
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5465 - सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	स्वीकृत: 5465 - Investments in General Financial and Trading Institutions	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.02	153.48	153.50
भारित:	Charged:	...	3.08		3.08
स्वीकृत:	Voted:	0.02	150.40		150.42

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3201 - डाक सेवाएं	3201 - Postal Services	...	(-) 81.13	(-) 81.13

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation are required for:

(क) न्यायालयों के निर्णयों के कारण ₹ 3.08 करोड़ का भुगतान इसमें नकद व्यय होगा।

(a) payment of ₹ 3.08 crore arising out of Court Judgements. This will entail cash outgo;

- | | |
|---|---|
| <p>(ख) डाक विभाग की मजदूरी (₹ 38.53 करोड़), पेंशन (₹ 77.80 करोड़) और प्रचालन (₹ 34.07 करोड़) व्यय के कारण ₹ 150.40 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। ₹ 81.13 करोड़ अतिरिक्त वसूली को देखते हुए इस पूरक अनुदान में ₹ 69.27 करोड़ नकद व्यय होगा।</p> | <p>(b) meeting additional expenditure of ₹ 150.40 crore on account of wages (₹ 38.53 crore), Pensions (₹ 77.80 crore) and operational expenditure of the Department of the Posts (₹ 34.07 crore). Taking into account the additional recovery of ₹ 81.13 crore, this Supplementary entails net cash outgo of ₹ 69.27 crore. ;</p> |
| <p>(ग) भारतीय डाक भुगतान बैंकों की स्थापना हेतु (₹ 25 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p> | <p>(c) towards setting up of India Post Payments Bank (₹ 25 crore). Taking into account the savings available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought ;</p> |
| <p>(घ) भारतीय डाक भुगतान बैंकों की स्थापना हेतु (₹ 275 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p> | <p>(d) towards setting up of India Post Payments Bank (₹ 275 crore). Taking into account the savings available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |

मांग संख्या DEMAND NO. 14

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 12 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 8 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	18355.96	2858.70	21214.66
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	6007.64	500.00	6507.64
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित:	Charged:	4.27	...	4.27
स्वीकृत:	Voted:	3440.46	0.01	3440.47
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	27808.33	3358.71	31167.04
भारित:	Charged:	4.27	...	4.27
स्वीकृत:	Voted:	27804.06	3358.71	31162.77

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	भारित: 3451 - Secretariat-Economic Services	Charged:	...	4.27 (का)	4.27
	स्वीकृत:	Voted:	...	56.81 (खb)	56.81
2071 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति	स्वीकृत: 2071 -Pensions and other Retirement Benefits	Voted:	...	357.28 (गc)	357.28
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	449.08 (घd)	...	449.08
3275 - अन्य संचार सेवाएं	स्वीकृत: 3275 -Other Communication Services	Voted:	2577.29 (डेe)	...	2577.29
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		3026.37	418.36	3444.73
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4552 - पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4552 - Capital Outlay on North Eastern Areas	Voted:	0.01 (चf)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		3026.38	418.36	3444.74
	भारित:	Charged:	...	4.27	4.27
	स्वीकृत:	Voted:	3026.38	414.09	3440.47

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3275 - अन्य संचार सेवाएं	3275 - Other Communication Services	(-)1470.79	...	(-)1470.79

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) न्यायालय आदेशों के कारण उत्पन्न ₹ 4.27 करोड़ के भुगतान हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) दूरसंचार विभाग के सचिवालय के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 56.81 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ग) भारत संचार निगम लिमिटेड में समाहित किए गए कर्मचारियों को पेंशन भुगतान के कारण ₹ 357.28 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। इसमें नकद व्यय होगा।
- (घ) सी-डॉट (₹ 8 करोड़), भारत नेट (₹ 278.50 करोड़) को सामान्य अनुदान सहायता के अंतर्गत परिव्यय में बढ़ोतरी के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु निधि निर्धारित करने हेतु और सार्वजनिक सेवा दायिता निधि से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को देय मुआवजे हेतु (₹ 162.58 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ङ) सार्वजनिक सेवा दायिता निधि को अतिरिक्त अंतरण पर व्यय को पूरा करना (₹ 1470.79 करोड़), भारतनेट का कार्यान्वयन (₹ 5040 करोड़), टेलीमेटिक्स विकास केंद्र को अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराने हेतु (₹ 87 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों, पूंजी भाग के अंतर्गत ₹ 23.16 करोड़ की बचतों और अतिरिक्त वसूलियों (₹ 1470.79 करोड़) को देखते हुए, इसमें ₹ 1083.34 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (च) संवर्धित आयोजना परिव्यय के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 38.10 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) meeting payment of ₹ 4.27 crore arising out of court orders. This will entail cash outgo;
- (b) meeting additional expenditure of Secretariat of Department of Telecommunications (₹ 56.81 crore). This will entail cash outgo;
- (c) meeting additional expenditure of ₹ 357.28 crore on account of pension payment to the employees absorbed in Bharat Sanchar Nigam Limited. This will entail cash outgo;
- (d) towards earmarking funds for development of North Eastern Region due to increase in outlays under Grants in Aid General to C-DoT (₹ 8 crore), BharatNet (₹ 278.50 crore) and compensation payable to telecom service providers from Universal Service Obligation Fund (₹ 162.58 crore). This will entail cash outgo;
- (e) meeting expenditure on additional transfer to Universal Service Obligation Fund (₹ 1470.79 crore), implementation of BharatNet (₹ 5040 crore), providing additional Grants in Aid General to Centre for Development of Telematics (₹ 87 crore). Taking into the savings available in the same section of the Grant, savings of ₹ 23.16 crore under capital section and additional recoveries (₹ 1470.79 crore), this will entail cash outgo of ₹ 1083.34 crore;
- (f) meeting additional expenditure for development of North Eastern Areas due to enhanced Plan outlay (₹ 38.10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought;

मांग संख्या DEMAND NO. 15

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 9 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	3089.71	239.11	3328.82	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	182.44	110.00	292.44	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	97.62	0.01	97.63	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3369.77	349.12	3718.89	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- मिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3451 -Secretariat-Economic Services	Voted:	97.61 (का)	...	97.61
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	97.62	...	97.62
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5475 - Capital Outlay on Other General Economic Services	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	97.63	...	97.63

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क) (i) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य के लिए (₹ 19.30 करोड़)। और (ii) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (₹ 120 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 41.69 करोड़ बचत और अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 7.50 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए इसमें ₹ 90.11 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ख) (i) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत जनशक्ति विकास संबंधी सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.70 करोड़) और (ii) स्वायत्तशासी और अन्य निकायों को सहायता के अंतर्गत मीडिया लैब एशिया संबंधी सहायता अनुदान वेतन (₹ 1 करोड़) प्रदान करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के लिए व्यय पूरा करना (₹ 30 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

(a) providing (i) Minor Works under National Informatics Center (NIC) (₹ 19.30 crore) and (ii) Unique Identification Authority of India (UIDAI) (₹ 120 crore).

Taking into account the savings of ₹ 41.69 crore available in the same section of the Grant and surrender of savings of ₹ 7.50 crore available in the capital section of the grant, this will entail a cash outgo of ₹ 90.11 crore.

(b) providing (i) Grants in Aid General in respect of manpower Development under Digital India Programme (₹ 3.70 crore) and (ii) Grants in aid Salaries in respect of Media Lab Asia under Assistance to Autonomous and other bodies (₹ 1 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) meeting expenditure towards Unique Identification Authority of India (UIDAI) (₹ 30 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 16

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 14 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 10 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1239.81	17.30	1257.11
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	2568.41	...	2568.41
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	3502.60	...	3502.60
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	7310.82	17.30	7328.12
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3456 - नागरिक आपूर्ति	स्वीकृत: 3456 -Civil Supplies	Voted: 3502.60	...	3502.60

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मूल्य स्थिरीकरण निधि स्कीम के अंतर्गत मूल्य प्रचालन प्रकोष्ठ के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान देना (₹ 3502.60 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 2.60 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में ₹ 3500 करोड़ नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

providing additional Grants-in-aid General for Price Operation Cell under the scheme of Price Stabilization Fund (₹ 3502.60 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 2.60 crore available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 3500 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 17

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 15 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 11 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	142102.51	10601.60	152704.11
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	277.57	40550.00	40827.57
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित:	Charged:	2.32	...	2.32
स्वीकृत:	Voted:	14.26	0.01	14.27
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	142396.66	51151.61	193548.27
भारित:	Charged:	2.32	...	2.32
स्वीकृत:	Voted:	142394.34	51151.61	193545.95
II. इस पूरक अनुदानविनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- मिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	भारित: 2408 - Food Storage and Warehousing	Charged: ...	2.32 (का)	2.32
	स्वीकृत:	Voted: ...	0.01 (खब)	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 14.25 (गक)	...	14.25
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	14.25	2.33	16.58
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत: 6860 - Loans for Consumer Industries	Voted: ...	0.01 (घद)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	14.25	2.34	16.59
	भारित:	Charged: ...	2.32	2.32
	स्वीकृत:	Voted: 14.25	0.02	14.27

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) चीनी के बफर स्टॉक के अनुरक्षण हेतु सब्सिडी की योजना के अंतर्गत मैसर्स पोन्नी सुगर (इरोड) लिमिटेड, तमिलनाडु को मध्यस्थता पंचाट को भुगतान (₹ 2.32 करोड़)।

अनुदान के राजस्व/भारित खंड में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) (i) खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए (₹ 338.35 करोड़)

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) payment of arbitration award to M/s Ponni Sugars (Erode) Ltd., Tamil Nadu under the scheme of Subsidy for Maintenance of Buffer Stock of Sugar (₹ 2.32 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (b) (i) providing additional subsidy to State Governments for decentralized procurement of foodgrains (₹ 338.35 crore).

<p>(ii) चीनी मीलों 2015 को उदार शर्तों वाले ऋणों पर ब्याज माफी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए (₹ 37.25 करोड़)</p> <p>(iii) चीनी के बफर स्टॉक के रखरखाव हेतु इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त सब्सिडी जारी करना (₹ 2.68 करोड़)</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।</p>	<p>(ii) providing subsidy for interest subvention on Scheme for Extending Soft Loan to Sugar Mills, 2015 (₹ 37.25 crore).</p> <p>(iii) release of additional subsidy under the scheme for Maintenance of Buffer Stock of Sugar (₹ 2.68 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(ग) खाद्यान्न भण्डारण गोदाम का निर्माण करने के लिए नागालैण्ड (₹ 4.25 करोड़), अरुणाचल प्रदेश एवं (₹ 10 करोड़) खाद्य भण्डारण गोदाम का निर्माण करने के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए</p> <p>अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नगद व्यय नहीं होगा।</p>	<p>(c) providing additional Grants for creation of Capital Assets to Nagaland (₹ 4.25 crore) and Arunachal Pradesh (₹ 10 crore) for construction of food storage godown.</p> <p>Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p>
<p>(घ) (i) चीनी मीलों के पुनर्वास आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने के लिए (₹ 10.15 करोड़)</p> <p>(ii) खोई आधारित कोजेनरेशन पावर प्रोजेक्ट के लिए चीनी मीलों से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रदान करने के लिए (₹ 30 करोड़)</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।</p>	<p>(d) (i) providing loans under the scheme of Rehabilitation/ Modernization of Sugar Mills (₹ 10.15 crore).</p> <p>(ii) providing loans under the scheme of Sugar Factories for bagasse based cogeneration power project (₹ 30 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>

मांग संख्या DEMAND NO. 18

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 17 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 12 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	314.43	30.00	344.43	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	70.14	...	70.14	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	5.37	...	5.37	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	389.94	30.00	419.94	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3451 -Secretariat-Economic Services	Voted: ...	5.37	5.37	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

व्यावसाय करना आसान बनाने के अंतर्गत 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग और अन्य वचनबद्ध देनदारियों के कारण कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते (₹ 5.37 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

pay and allowances to the officers/staff of Ministry of Corporate Affairs on account of 7th CPC and other committed liability under Ease of Doing Business (₹ 5.37 crore)

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 19

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 18 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 13 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	2430.00	70.00	2500.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.04	0.01	0.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2430.07	70.01	2500.08
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- निम्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2205 - कला और संस्कृति	स्वीकृत: 2205 -Art and Culture	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्नलिखित के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) कला संस्कृति विकास योजना-गांधी समिति और दर्शन समिति (₹ 2 करोड़) और (ii) सांस्कृतिक संस्थाएं-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (₹ 50 करोड़) 2. संग्रहालय विज्ञान शहर के अंतर्गत पूँजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 15 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) 1. निम्न के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) संग्रहालय-विक्टोरिया मेमोरियल हॉल (₹ 3 करोड़) (ii) नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय (₹ 2.50 करोड़) 2. संग्रहालय-विक्टोरिया मेमोरियल हाल के तहत सहायता अनुदान वेतन (₹ 0.75 करोड़) 3. सांस्कृतिक संस्थाएं-भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के तहत कार्यालयी खर्च (₹ 0.25 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) संग्रहालय के तहत पूँजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 15 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

- (a) 1.Grants-in-Aid General under (i) Kala Sanskriti Vikas Yojana-Gandhi Samiti and Darshan Samiti(₹ 2 crore) and (ii) Cultural Institutions-Indira Gandhi National Centre for the Arts(₹ 50 crore) 2.Grants for creation of Capital Assests under Museums-Science Cities (₹ 15 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) 1. Grants-in-Aid General under (i) Museums – Victoria Memorial Hall (₹ 3 crore) and (ii) Nehru Memorial Museum and Library (₹ 2.50 crore), 2.GIA Salaries under Museums – Victoria Memorial Hall(₹ 0.75 crore), 3. Office Expense under Cultural Institutions-Anthropological Survey of India (₹ 0.25 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Grant for Creation of Capital Assets under Museums (₹ 15 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 20

रक्षा मंत्रालय (विविध)

MINISTRY OF DEFENCE (MISC)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 19 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 14 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	15.24	45.00	60.24
	स्वीकृत:	Voted:	56449.44	12027.95	68477.39
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	3512.01	1000.00	4512.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित:	Charged:	1.45	77.00	78.45
	स्वीकृत:	Voted:	1052.72	0.03	1052.75
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	61030.86	13149.98	74180.84	
	भारित:	Charged:	16.69	122.00	138.69
	स्वीकृत:	Voted:	61014.17	13027.98	74042.15

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2037 - सीमा शुल्क	स्वीकृत: 2037 - Customs	Voted:	...	113.35 (का)	113.35
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	भारित: 2052 - Secretariat-General Services	Charged:	...	0.75 (खब)	0.75
	स्वीकृत:	Voted:	...	371.90 (गक)	371.90
2075 - विविध सामान्य सेवाएं	स्वीकृत: 2075 -Miscellaneous General Services	Voted:	...	73.30 (घद)	73.30
2076 - रक्षा सेवाएं-थल सेना	स्वीकृत: 2076 -Defence Services - Army	Voted:	...	370.46 (डे)	370.46
2079 - रक्षा सेवाएं-आयुध कारखाने	स्वीकृत: 2079 -Defence Services - Ordnance Factories	Voted:	...	0.01 (चफ)	0.01
2080 - रक्षा सेवाएं- अनुसंधान और विकास	भारित: 2080 - Defence Services - Research and Development	Charged:	...	0.70 (छग)	0.70
	स्वीकृत:	Voted:	...	113.79 (जह)	113.79
3054 - सड़क और पुल	स्वीकृत: 3054 -Roads and Bridges	Voted:	...	9.91 (झा)	9.91
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		...	1054.17	1054.17
	भारित:	Charged:	...	1.45	1.45
	स्वीकृत:	Voted:	...	1052.72	1052.72
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	भारित: 4076 - Capital Outlay on Defence Services	Charged:	...	77.00 (जा)	77.00
	स्वीकृत:	Voted:	...	0.01 (टक)	0.01
4216 - आवास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4216 - Capital Outlay on Housing	Voted:	...	0.01 (ठा)	0.01

अनुदानों की पूरक मांगें, 2016-2017 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

5054 - सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges	Voted:	...	0.01 (₹m)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)		Total (Capital Section)		...	77.03	77.03
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		...	1131.20	1131.20
	<i>भारित:</i>		<i>Charged:</i>	...	<i>78.45</i>	<i>78.45</i>
	स्वीकृत:		Voted:	...	1052.75	1052.75

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation are required for:

- | | |
|---|---|
| <p>(क) वेतन (₹ 59.18 करोड़), आपूर्ति और सामग्री (₹ 15.05 करोड़) और स्थापना संबंधी अन्य व्यय (₹ 39.12 करोड़) को पूरा करना। इसमें नकद व्यय होगा।</p> <p>(ख) न्यायालय के निर्णयों के कारण वेतन (₹ 0.75 करोड़ रुपए) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना। इसमें नकद व्यय होगा।</p> <p>(ग) रक्षा संपदा संगठन के अंतर्गत छावनी बोर्डों के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹ 206.57 करोड़), आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 45 करोड़), रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान हेतु सामान्य अनुदान सहायता (₹ 0.87 करोड़) और रक्षा मंत्रालय तथा सीमा सड़क संगठन के स्थापना संबंधी अन्य व्यय हेतु (₹ 154.15 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (₹ 34.69 करोड़) को देखते हुए शेष राशि के लिए पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें नकद व्यय होगा।</p> <p>(घ) पेंशन प्रभार (₹ 60.81 करोड़), ब्याज घटक (₹ 10 करोड़) और व्यय की अन्य मदों (₹ 2.49 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। ₹ 4.35 करोड़ की अतिरिक्त प्राप्तियों को देखते हुए इसमें ₹ 68.95 करोड़ का नकद व्यय होगा।</p> <p>(ङ) भूतपूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य स्कीम (₹ 579.60 करोड़), राष्ट्रीय कैडेट कोर (₹ 12.57 करोड़) और निरीक्षण (₹ 9.87 करोड़) के संबंध में अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। ₹ 231.58 करोड़ की बचत और ₹ 66.21 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्राप्तियों को देखते हुए इसमें ₹ 304.25 करोड़ का नकद व्यय होगा।</p> <p>(च) रक्षा आयुध निर्माणी हेतु ₹ 68.27 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध समतुल्य बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p> <p>(छ) न्यायालय आदेश के कारण वेतन एवं भत्ते (₹ 0.20 करोड़), भंडार (₹ 0.20 करोड़) और अन्य व्यय (₹ 0.30 करोड़) के अंतर्गत व्यय को पूरा करना। इस अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए तकनीकी पूरक मांगा जाता है। इसमें नकद व्यय नहीं होगा।</p> <p>(ज) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 113.79 करोड़)। अतिरिक्त प्राप्तियों को देखते हुए, इसमें नकद व्यय नहीं होगा।</p> <p>(झ) सीमा सड़क संगठन के लघु निर्माण कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने (₹ 7.91 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 2 करोड़) हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।</p> | <p>(a) meeting additional expenditure on account of salaries (₹ 59.18 crore) supplies and materials (₹ 15.05 crore) and other establishment related expenditure (₹ 39.12 crore). This will entail cash outgo;</p> <p>(b) meeting additional expenditure under salaries (₹ 0.75 crore) arising out of court orders. This will entail cash outgo;</p> <p>(c) for providing Grants-in-Aid General (₹ 206.57 crore), Grants for creation of capital assets (₹ 45 crore) to Cantonment Boards under Defence Estates Organisations, Grants-in-Aid General for Institute for Defence Studies and Analysis (₹ 0.87 crore) and other establishment related expenditure of Ministry of Defence and Border Roads Organisation (₹ 154.15 crore). Taking into account the savings (₹ 34.69 crore) available in the same section, Supplementary for the balance amount is sought. This will entail cash outgo;</p> <p>(d) meeting additional expenditure of Pensionary charges (₹ 60.81 crore), Interest component (₹ 10 crore) and other items of expenditure (₹ 2.49 crore). Taking into account the additional receipts of ₹ 4.35 crore, this will entail cash outgo of ₹ 68.95 crore;</p> <p>(e) meeting additional expenditure in respect of Ex-servicemen Contributory Health Scheme (₹ 579.60 crore), National Cadet Corps (₹ 12.57 crore) and Inspection (₹ 9.87 crore). Taking into account saving of ₹ 231.58 crore and additional receipts of ₹ 66.21 crore, this Supplementary will entail cash outgo of ₹ 304.25 crore;</p> <p>(f) meeting additional expenditure of ₹ 68.27 crore for Defence Ordnance Factories. Taking into account the equivalent savings available in the same section of the Grant, a token Supplementary is sought;</p> <p>(g) meeting the expenses under Pay and Allowances (₹ 0.20 crore), Stores (₹ 0.20 crore) and other expenditure (₹ 0.30 crore) arising out of Court orders. Taking into account the savings available in Capital section of this Grant, technical Supplementary is sought;</p> <p>(h) meeting the additional requirement under various heads of Defence Research and Development Organisation (₹ 113.79 crore). Taking into account additional receipts, this will not entail cash outgo;</p> <p>(i) meeting additional expenditure under minor works (₹ 7.91 crore) and grants for creation of Capital assets (₹ 2 crore) of Border Roads Organisation. This will entail cash outgo ;</p> |
|---|---|

- | | |
|---|--|
| <p>(ज) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा न्यायालय के निर्णयों के अनुसार दावाकर्ताओं को बड़े हुए मुआवजे के भुगतान हेतु (₹ 77 करोड़)। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, इसमें नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(j) payment of enhanced compensation to the claimants as per Court Orders by Defence Research and Development Organisation (₹ 77 crore). Taking into account the savings available in the voted section of the Grant, this will not entail cash outgo;</p> |
| <p>(ट) भूतपूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य स्कीम (₹ 5 करोड़), राष्ट्रीय कैडेट कोर (₹ 9.85 करोड़) और गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (₹ 1.73 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध समतुल्य बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p> | <p>(k) meeting additional expenditure for Ex-servicemen Contributory Health Scheme (₹ 5 crore), National Cadet Corps (₹ 9.85 crore) and Directorate General of Quality Assurance (₹ 1.73 crore). Considering the matching savings available in the same section of the Grant, a token Supplementary is sought;</p> |
| <p>(ठ) रक्षा लेखा विभाग के संबंध में प्रमुख निर्माण कार्य शीर्ष के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 3.10 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p> | <p>(l) meeting additional expenditure under the head 'Major Works' (₹ 3.10 crore) in respect of Defence Accounts Department. Taking into account the savings within the same section, a token supplementary is sought; and</p> |
| <p>(ड) सीमा सड़क संगठन द्वारा सामरिक और सीमा सड़कों के निर्माण पर ₹ 427.53 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p> | <p>(m) meeting additional expenditure of ₹ 427.53 crore on construction of strategic and border roads by Border Roads organisation. Taking into account the savings available in the same section, a token supplementary is sought.</p> |

मांग संख्या DEMAND NO. 21

रक्षा पेंशन

DEFENCE PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 देखिये)

(See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 1.00	...	1.00
	स्वीकृत:	Voted: 82331.66	...	82331.66
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 0.36	...	0.36
	स्वीकृत:	Voted: 3292.94	...	3292.94
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	85625.96	...	85625.96
	भारित:	Charged: 1.36	...	1.36
	स्वीकृत:	Voted: 85624.60	...	85624.60
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति	भारित: 2071 - Pensions and other Retirement Benefits	Charged: ...	0.36 (का)	0.36
	स्वीकृत:	Voted: ...	3292.94 (खब)	3292.94

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) न्यायालयी आदेश के तहत ₹ 0.36 करोड़ भुगतान करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर पेंशन के बकाया का भुगतान करने के लिए, वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के कारण महंगाई राहत और बकाया के प्रभाव का भुगतान करने के लिए (₹ 3292.94 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for:

- (a) for payment of ₹ 0.36 crore under court orders. This will entail cash outgo;
- (b) towards payment of arrears of pensions on implementations of the recommendations of the 7th Central Pay Commission, impact of Dearness Relief and arrears arising out of implementation of One Rank One Pension (₹ 3292.94 crore). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 22

रक्षा सेवाएं (राजस्व)

DEFENCE SERVICES (REVENUE)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिये)

(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 15 of the Second

Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 91.71	...	91.71
	स्वीकृत:	Voted: 148407.14	...	148407.14
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 1000.00	...	1000.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 5551.91	...	5551.91
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	155050.76	...	155050.76
	भारित:	Charged: 91.71	...	91.71
	स्वीकृत:	Voted: 154959.05	...	154959.05

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

					जोड़ Total
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2076 - रक्षा सेवाएं-थल सेना	स्वीकृत: 2076 -Defence Services - Army	Voted: ...	3628.99 (का)		3628.99
2077 - रक्षा सेवाएं-नौ सेना	स्वीकृत: 2077 -Defence Services - Navy	Voted: ...	398.67 (खb)		398.67
2078 - रक्षा सेवाएं-वायु सेना	स्वीकृत: 2078 -Defence Services - Air Force	Voted: ...	1524.25 (गc)		1524.25
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	5551.91		5551.91

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|---|--|
| <p>(क) थल सेना निर्माण कार्यों के लिए (₹ 3570.89 करोड़) वेतन और भत्तों का अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.10 करोड़) और अन्य व्यय (₹ 58.20 करोड़)। रक्षा सेवा के पूंजी अनुदान और इस अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।</p> <p>(ख) नौ सेना के लिए वेतन और भत्ते के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 331.24 करोड़), निर्माण कार्य (₹ 5.88 करोड़), संयुक्त स्टाफ (₹ 60.97 करोड़) और अन्य व्यय (₹ 0.58 करोड़)। रक्षा सेवा के पूंजी अनुदान में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।</p> <p>(ग) नौ सेना के लिए वेतन और भत्ते के कारण अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 175 करोड़), स्टोर (₹ 895.02 करोड़), निर्माण कार्य (₹ 448.88 करोड़) और अन्य व्यय (₹ 40.45 करोड़)। रक्षा सेवा के पूंजी अनुदान और इस अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों और अतिरिक्त प्राप्तियों को देखते हुए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(a) meeting additional expenditure of pay and allowances (₹ 3570.89 crore) for Army, works (₹ 0.10 crore), and other expenditure amounting (₹ 58.20 crore). Considering the savings available in the same section of the grant and Capital Grant of Defence Services, this will not entail cash outgo;</p> <p>(b) meeting additional expenditure on account of pay and allowances (₹ 331.24 crore) for Navy, works (₹ 5.88 crore), Joint Staff (₹ 60.97 crore) and other expenditure (₹ 0.58 crore). Considering the savings available in the Capital Grant of Defence Services, this will not entail cash outgo; and</p> <p>(c) meeting additional expenditure on account of pay and allowances (₹ 175 crore) for Navy, Stores (₹ 895.02 crore), Works (₹ 448.88 crore) and other expenditure (₹ 40.45 crore). Considering the savings available in the same section of the grant, Capital Grant of Defence Services and additional receipts, this will not entail cash outgo.</p> |
|---|--|

मांग संख्या DEMAND NO. 23

रक्षा सेवा पर पूंजी परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged:	...	87.12
	स्वीकृत:	Voted:	...	87.12
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount			
पूरक अनुमान:	now required:			
	भारित:	Charged:	...	2.46
	स्वीकृत:	Voted:	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	78589.15	78589.15
	भारित:	Charged:	...	89.58
	स्वीकृत:	Voted:	...	89.58

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजी	भारित: 4076 - Capital Outlay on Defence	Charged:	...	2.46 (का)
परिव्यय	Services			
	स्वीकृत:	Voted:	...	0.01 (खब)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation is required for:

- (क) न्यायलयी आदेश के कारण वायु सेना के निर्माण कार्यों के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 2.46 करोड़)। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) थल सेना के निर्माण कार्यों के तहत ₹ 740 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करना, ₹ 7 करोड़ वाहन के तहत, ₹ 1944 करोड़ अन्य उपकरणों के तहत, ₹ 999.23 करोड़, नौसेना के नेवल गोदी के तहत, ₹ 4 करोड़ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक/ म्यूजियम हेतु, ₹ 1251.45 करोड़ वायु सेना के लिए वायुयान खरीदने के लिए, ₹ 183.79 करोड़ थल सेना हेतु मेक प्रोसीजर के तहत प्रोटोटाइप विकास हेतु विकास के तहत (₹ 154.69 करोड़) और वायु सेना (₹ 29.10 करोड़), अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (a) meeting additional expenditure of ₹ 2.46 crore under 'Construction Works' of Air Force arising out of Court Orders. Taking into account the savings available in the voted section of the grant, this will not entail cash outgo; and
- (b) meeting additional expenditure of ₹ 740 crore under 'Construction Works' of Army, ₹ 7 crore under Vehicles, ₹ 1944 crore under other equipments, ₹ 999.23 crore under Naval Dockyard of Navy, ₹ 4 crore for 'National War Memorial/Museum', ₹ 1251.45 crore for purchase of Aircrafts for Air Force, ₹ 183.79 crore under technology development for Prototype Development under make procedure for Army (₹ 154.69 crore) and Air Force (₹ 29.10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 24

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)
(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 16 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 1951.01	649.00	2600.01
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged: 6.50	...	6.50
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 92.90	...	92.90
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2050.42	649.00	2699.42
	भारित:	Charged: 6.50	...	6.50
	स्वीकृत:	Voted: 2043.92	649.00	2692.92

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत: 2052 -Secretariat-General Services	Voted: ...	0.41 (क)	0.41
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 24.00 (ख)	...	24.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 68.49 (ग)	...	68.49
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 92.49	0.41	92.90

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|--|--|
| <p>(क) वेतन के कारण प्रतिबद्ध व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 0.41 करोड़ की अतिरिक्त निधि मुहैया कराना।
उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।</p> <p>(ख) (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र आजीविका परियोजना स्कीम के अंतर्गत ₹ 24.00 करोड़ की सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना।
(ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद की स्कीमों के अंतर्गत 38.50 करोड़ रुपए की सामान्य अनुदान सहायता और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए ₹ 29.20 करोड़ की अनुदान सहायता मुहैया कराना (इसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि की खरीद हेतु ₹ 7.20 करोड़ का भुगतान शामिल है)।
चूंकि अनुदान के इसी भाग में ₹ 67.70 करोड़ की बचतें उपलब्ध हैं, इसमें ₹ 24 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।</p> <p>(ग) 'पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद की स्कीमों-विशेष विकास परियोजनाएं' के अंतर्गत ₹ 68.49 करोड़ की पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान सहायता मुहैया कराना।
अनुदान के पूंजी भाग से ₹ 5 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण का उपयोग करने के बाद, इसमें ₹ 63.49 करोड़ का नकद व्यय होगा।</p> | <p>(a) providing additional funds of ₹ 0.41 crore to meet committed expenditure on account of salaries.
The above expenditure will entail a cash outgo;</p> <p>(b) (i) providing Grants-in-aid General of ₹ 24.00 crore under the scheme North Eastern Livelihood Project.
(ii) providing Grants-in-aid General amounting to ₹ 38.50 crore and Grants-in-aid for Creation of Capital Assets amounting to ₹ 29.20 crore (inclusive of payment of ₹ 7.20 crore to Delhi Development Authority for purchase of land) under the Schemes of North East Council.
As the savings of ₹ 67.70 crore is available in the same section of the Grant, this will entail a net cash outgo of ₹ 24 crore.</p> <p>(c) providing Grants-in-aid for creation of Capital Assets amounting to ₹ 68.49 crore under the "Schemes of North East Council - Special Development Projects".
After utilising the surrender of savings amounting to ₹ 5 crore from Capital Section of the Grant, it will entail cash outgo of ₹ 63.49 crore.</p> |
|--|--|

मांग संख्या DEMAND NO. 25

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)

(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 17 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 22509.70	...	22509.70
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 4000.00	...	4000.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	26509.71	...	26509.71
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2215 - जलापूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत: 2215 -Water Supply and Sanitation	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत व्यवसायिक सेवाओं (₹ 4 करोड़) और अंतरराष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता केन्द्र (₹ 4 करोड़) के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करना

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

providing additional fund for Professional Services (₹ 4 crore) and International Centre for Drinking Water Quality (ICDWQ)(₹ 4 crore) under National Rural Drinking Water Programme.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 27

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 20 देखिये)

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 20 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	3451.09	55.25	3506.34
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	11.91	...	11.91
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3463.03	55.25	3518.28
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2406 - वानिकी और वन्य जीवन	स्वीकृत: 2406 -Forestry and Wild Life	Voted: 0.01 (क)	...	0.01
3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण	स्वीकृत: 3435 -Ecology and Environment	Voted: 11.90 (ख)	...	11.90
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 11.91	...	11.91

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 1.50 करोड़)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) 1. सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (i) पर्यावरण संरक्षण और मोनिट्रिंग (खतरनाक द्रव्य प्रबंधन) (₹ 16.64 करोड़) (ii) राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (₹ 117.70 करोड़) 2. पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान पर्यावरण संरक्षण और मोनिट्रिंग (खतरनाक द्रव्य प्रबंधन) (₹ 1.25 करोड़) (ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (₹ 20 करोड़)

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹11.90 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए और अनुदान के इसी भाग में ₹143.69 करोड़ का उपयोग करने के बाद उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing Grants-in-aid General to National Tiger Conservation Authority (₹ 1.50 crore)
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Providing 1. Grants-in-aid General to (i) Environment Protection and Monitoring (Hazardous Substances Management) (EAP) (₹ 16.64 crore) (ii) National Coastal Zone Management Programme (₹ 117.70 crore) 2. Grants for creation of Capital Assets (i) Environment Protection and Monitoring (Hazardous Substances Management) (EAP) (₹ 1.25 crore) (ii) Central Pollution Control Board (₹ 20 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 11.90 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 143.69 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 28

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 20 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 20 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 21 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted:	11679.63	2983.00	14662.63
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	600.02	...	600.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	12279.69	2983.00	15262.69	
	भारित:	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted:	12279.66	2983.00	15262.66
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2061 - विदेशी मामले	स्वीकृत: 2061 -External Affairs	Voted:	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वी.वी.आई.पी. यात्रा के लिए एयर इंडिया के वायुयानों की रखरखाव लागत के लिए व्यय पूरा करना (₹ 40 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

meeting expenditure towards maintenance cost of Aircrafts of Air India for VVIP travel (₹ 40 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 29

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30-31 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिये)

(See page 30-31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 21 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 22 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	12335.39	8470.70	20806.09
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	80.06	1672.20	1752.26
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	5889.22	0.02	5889.24
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	18304.67	10142.92	28447.59

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

							जोड़ Total
		आयोजना Plan	आयोजना- निम्न Non-Plan				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
2075 - विविध सामान्य सेवाएं	स्वीकृत: 2075 -Miscellaneous General Services	Voted: ...	0.01 (का)			0.01	
2250 - अन्य सामाजिक सेवाएं	स्वीकृत: 2250 -Other Social Services	Voted: ...	5889.16 (खब)			5889.16	
3075 - अन्य परिवहन सेवाएं	स्वीकृत: 3075 -Other Transport Services	Voted: ...	0.01 (गं)			0.01	
3466 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	स्वीकृत: 3466 -International Financial Institutions	Voted: ...	0.01 (घद)			0.01	
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3475 -Other General Economic Services	Voted: 0.01 (डे)	0.01 (चं)			0.02	
3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	स्वीकृत: 3605 -Technical and Economic Co-operation with Other Countries	Voted: ...	0.01 (छग)			0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.01	5889.21			5889.22	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
4058 - लेखन सामग्री और छपाई पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4058 - Capital Outlay on Stationery and Printing	Voted: ...	0.01 (जह)			0.01	
7610 - सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	स्वीकृत: 7610 - Loans to Government Servants, etc.	Voted: ...	0.01 (झा)			0.01	
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: ...	0.02			0.02	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.01	5889.23			5889.24	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) एमडीआर प्रभारों की प्रतिपूर्ति हेतु (₹ 50 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) लोक लेखा में रखी अदावाकृत राशि का वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में अंतरण (₹ 5889.16 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

- (a) reimbursement of MDR charges (₹ 50 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) transferring the unclaimed money to Senior Citizen Welfare Fund (SCWF) kept in the Public Account (₹ 5889.16 crore).

भारत की संचित निधि में जमा की गई अदावाकृत राशि की प्राप्तियों को देखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the receipts of unclaimed money deposited in Consolidated Fund of India, this will not entail cash outgo.	
(ग)	सामरिक रेल लाइनों के प्रचालन पर रेलवे की हानियों की पुनःप्रतिपूर्ति हेतु सब्सिडी (₹ 2691.96 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	subsidies towards re-reimbursement of losses to Railways on operating strategic Railway lines (₹ 2691.96 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	एएफडीएफ-14 में अंशदान (₹ 3 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(d)	contribution to AfDF-14 (₹ 3 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	अर्थक्षमता में कमी को पूरा करने हेतु वित्तपोषण के लिए अतिरिक्त प्रावधान (₹ 250 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(e)	additional provision on Viability Gap Funding (₹ 250 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	स्वर्ण प्रारक्षित निधि में सर्वोत्तम स्वर्ण बांड पर वर्ष की औसत उधारी दर और देय ब्याज की दर के अंतर को पूरा करने के लिए ₹ 68 करोड़ का अंतरण। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(f)	transfer of ₹ 68 crore as difference of average borrowing rate for the year and the rate of interest payable on Sovereign Gold Bond to Gold Reserve Fund. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ)	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रवासी प्रतिनिधि के व्यय हेतु अंशदान (₹ 1.12 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(g)	contribution towards expenses of resident representative of UN Development Programme (₹ 1.12 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज)	बजट प्रैस के आधुनिकीकरण हेतु मशीनों की खरीद (₹ 1.50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(h)	procurement of Machines for modernization of Budget Press (₹ 1.50 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(झ)	सरकारी कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम हेतु ऋण के लिए ₹ 50 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(i)	additional requirement of ₹ 50 crore for House Building Advances for loans to Government Servants. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 30

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)
(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 24 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	4135.52	29620.00	33755.52	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.01	3586.38	3586.39	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4135.56	33206.38	37341.94	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2416 - कृषि वित्तीय संस्थान	स्वीकृत: 2416 -Agricultural Financial Institutions	Voted: ...	0.01	(क) 0.01	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4416 - कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश	स्वीकृत: 4416 - Investments in Agricultural Financial Institutions	Voted: ...	741.38	(ख) 741.38	
5465 - सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	स्वीकृत: 5465 - Investments in General Financial and Trading Institutions	Voted: ...	2845.00	(ग) 2845.00	
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: ...	3586.38	3586.38	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	3586.39	3586.39	
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है ! Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.					
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
5465 - सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	5465 - Investments in General Financial and Trading Institutions	...	(-) 3345.00	(-)3345.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) ₹ 180 करोड़ के आधार आधारित भुगतान प्रणालियों को प्रोत्साहन देने के लिए नाबार्ड के वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) को अंशदान। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ख) नाबार्ड के शेयर पूंजी में अंशदान (₹ 900 करोड़)। अनुदान के राजस्व खण्ड में उपलब्ध ₹ 241.38 करोड़ के बचत के अभ्यर्पण और ₹ 500 करोड़ तक वसूली अवशिष्ट को देखते हुए अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं। उपर्युक्त व्यय के लिए किसी नकद व्यय की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ग) राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरित करने के लिए ₹ 3345 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 500 करोड़ की बचत और ₹ 2845 करोड़ की वसूलियों को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय के लिए किसी अतिरिक्त नकद व्यय की आवश्यकता नहीं होगी।

The supplementary grants are required for:

- (a) contribution to Financial Inclusion Fund (FIF) of NABARD to promote AADHAR Enabled payments systems of ₹ 180 crore. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) subscription to share capital to NABARD (₹ 900 crore). Taking into account the surrender of savings of ₹ 241.38 crore available in the Revenue Section of the Grant and recoveries of ₹ 500 crore & residual savings are available within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any cash outgo.
- (c) additional amount of ₹ 3345 crore is required for transfer to National Investment Fund. Taking into account savings of ₹ 500 crore is available within the same Section of the Grant and recoveries of ₹ 2845 crore, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

संख्या NO. 31 (विनियोग)(APPROPRIATION)

ब्याज अदायगियां

INTEREST PAYMENTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 देखिये)

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
	भारित: Charged:	507669.95	...	507669.95
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित: Charged:	1112.35	...	1112.35
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	508782.30	...	508782.30
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2049 - ब्याज भुगतान	भारित: 2049 - Interest Payments	Charged: ...	1112.35	1112.35

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

क्षतिपूर्ति और अन्य बांडों के लिए ₹ 173.17 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता, 14 दिवसीय राजकोषीय वृद्धियों पर छूट के लिए ₹ 968 करोड़, ऋण प्रबंधन के लिए ₹ 158.05 करोड़, बाजार स्थिरीकरण स्कीम के लिए ₹ 5138.65 करोड़, विदेशी ऋणों पर ब्याज ₹ 1095.52 करोड़, अल्प बचत जमा प्रमाण पत्रों पर ब्याज ₹ 8079.83 करोड़, राज्य भविष्य निधि के लिए ₹ 1558.96 करोड़, बीमा, पेंशन निधि के लिए ₹ 48.61 करोड़ और अन्य देनदारियों पर ब्याज ₹ 4.25 करोड़ और वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ) हेतु ₹ 115.26 करोड़।

विनियोग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए और प्रोदभूत ब्याज के कारण अतिरिक्त प्राप्तियां और प्रीमियम को देखते हुए इस पूरक अनुदान में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required for:

additional requirement of ₹ 173.17 crore for Compensation & other Bonds, ₹ 968 crore for Discount on 14 days T. Bills, ₹ 158.05 crore Management of Debt, ₹ 5138.65 crore for Market Stabilisation Scheme, ₹ 1095.52 crore for Interest on External Debts, ₹ 8079.83 crore for Interest on Small Savings, deposits, certificates, ₹ 1558.96 crore for State Provident Fund, ₹ 48.61 crore for Insurance & Pension Funds, ₹ 4.25 crore for Interest on other obligations and ₹ 115.26 crore for Senior Citizens Welfare Fund (SCWF).

Taking into account savings available within the Appropriation and additional receipts on account of accrued interest and premium, this supplementary will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 32

राज्यों को अंतरण

TRANSFERS TO STATES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 25 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 22 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 25 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 100646.36	12600.00	113246.36
	स्वीकृत:	Voted: 25250.00	...	25250.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged: ...	5500.00	5500.00
	स्वीकृत:	Voted: 4651.00	...	4651.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 3000.00	...	3000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	133547.36	18100.00	151647.36
	भारित:	Charged: 100646.36	18100.00	118746.36
	स्वीकृत:	Voted: 32901.00	...	32901.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2245 - प्राकृतिक आपदा राहत	स्वीकृत: 2245 -Relief on account of Natural Calamities	Voted: ...	3000.00	3000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि (एनडीआरएफ) (₹ 3000 करोड़) के अंतर्गत ओले, आंधी, बेमौसम वर्षा, सूखा, बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को सहायता के रूप में अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना।

अनुदान के राजस्व (भारित) खंड में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

providing additional funds as assistance to States affected by Natural Calamities like, hailstorm, unseasonal rain, drought, flood etc., under National Disaster Response Fund (NDRF) (₹ 3000 crore)

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue (Charged) Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

संख्या NO. 33 (विनियोग)(APPROPRIATION)

ऋण की वापसी अदायगी

REPAYMENT OF DEBT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)
(See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 26 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
	भारित:	Charged: ...	4406431.08	4406431.08
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged: ...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: ...	1085437.69	1085437.69
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5491868.78	5491868.78
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6001 - केन्द्र सरकार का आन्तरिक ऋण	भारित: 6001 - Internal Debt of Central Government	Charged: ...	1084130.27 (का)	1084130.27
6002 - विदेशी ऋण	भारित: 6002 - External Debt	Charged: ...	1307.42 (खब)	1307.42
जोड़ (पूरक)	भारित: Total (Supplementary)	Charged: ...	1085437.69	1085437.69

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) वापसी खरीद/स्वीचिंग/मार्केट मेकिंग स्कीम (₹ 25472.49 करोड़), सामान्य बाजार उधार के अंतर्गत 14 दिवसीय राजकोषीय ढुंडियों की बिक्री (₹ 563742 करोड़), 364 दिवसीय राजकोषीय ढुंडियां (0.47 करोड़), अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (₹ 383.76 करोड़), एशियाई विकास बैंक (₹ 3.65 करोड़), अफ्रीकी विकास निधि (₹ 4.03 करोड़), 9 प्रतिशत राहत बांड, 1987 (₹ 0.41 करोड़ रुपये), 10 प्रतिशत राहत बांड, 1993 (₹ 0.04 करोड़), 9 प्रतिशत राहत बांड, 1993 (₹ 0.27 करोड़), 10 प्रतिशत राहत बांड, 1995 (₹ 0.37 करोड़), 9 प्रतिशत राहत बांड, 1999 (₹ 2.84 करोड़), 8.5 प्रतिशत राहत बांड 2001 (₹ 11.78 करोड़), 8 प्रतिशत राहत बांड 2002 (₹ 2.73 करोड़), 7 प्रतिशत बचत योजना 2002 (₹ 1.15 करोड़), 6.5 प्रतिशत बचत बांड, 2003 (अकरादेय) (₹ 4.77 करोड़), 8 प्रतिशत बचत बांड (करादेय), 2003 (₹ 386.82 करोड़), एनएसएसएफ को जारी प्रतिभूतियों का मोचन (₹ 1736.66 करोड़), बाजार स्थिरीकरण स्कीमों के अंतर्गत सीएमबी की अदायगी (₹ 1011518.49 करोड़)

विनियोग में उपलब्ध ₹ 519142.46 करोड़ की बचत को देखते हुए शेष ₹ 1084130.27 करोड़ की राशि के लिए पूरक विनियोग मांगा जाता है। अतः उपर्युक्त पुनर्अदायगी में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि पुनर्अदायगी के समतुल्य राशि की प्राप्ति होगी।

- (ख) विदेशी ऋण की पुनर्अदायगी (₹ 1307.42 करोड़) अतिरिक्त पुनर्अदायगी के समतुल्य प्राप्ति होगी।
अतः इसको देखते हुए उपर्युक्त पुनर्अदायगी में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriations are required for:

- (a) Buyback/switching/market making Scheme (₹ 25472.49 crore), Discharge of 14 day Treasury Bills (₹ 563742 crore), 364 day Treasury Bills (₹ 0.47 crore) under normal market borrowing, International Development Agency (₹ 383.76 crore), Asian Development Bank (₹ 3.65 crore), African Development Fund (₹ 4.03 crore), 9% Relief Bonds, 1987 (₹ 0.41 crore), 10% Relief Bond, 1993 (₹ 0.04 crore), 9% Relief Bond, 1993 (₹ 0.27 crore), 10% Relief Bond, 1995 (₹ 0.37 crore), 9% Relief Bond, 1999 (₹ 2.84 crore), 8.5% Relief Bond, 2001 (₹ 11.78 crore), 8% Relief Bond, 2002 (₹ 2.73 crore), 7% Saving Scheme 2002 (₹ 1.15 crore), 6.5% Savings Bond 2003 (Non Taxable) (₹ 4.77 crore), 8% Savings Bond (Taxable), 2003 (₹ 386.82 crore), Redemption of Securities issued to NSSF (₹ 1736.66 crore), Repayment of CMBs under Market Stabilisation Scheme (MSS) (₹ 1011518.49 crore)
Taking into account estimated savings of ₹ 519142.46 crore is available with the Appropriation, Supplementary for the balance amount of ₹ 1084130.27 crore is sought. the supplementary will not entail any additional cash outgo, as the repayments will be matched by receipts.
- (b) Repayment of External Debt (₹ 1307.42 crore).

Taking into account the additional repayments will be matched by receipts. The supplementary will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 36

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 38 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)

(See page 38 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 29 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 129.63	...	129.63
	स्वीकृत:	Voted: 3793.14	11.50	3804.64
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged: 6.05	...	6.05
	स्वीकृत:	Voted: 112.49	2.69	115.18
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 15.00	...	15.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4056.31	14.19	4070.50
	भारित:	Charged: 135.68	...	135.68
	स्वीकृत:	Voted: 3920.63	14.19	3934.82
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2016 - लेखा परीक्षा	स्वीकृत: 2016 -Audit	Voted: ...	15.00	15.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

लेखा परीक्षा के अंतर्गत वेतन के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 15 करोड़)।

अनुदान के राजस्व भाग में बचत के अभ्यर्पण और अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 1.50 करोड़ को देखते हुए इसमें ₹ 12 करोड़ नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure towards 'salary' under Audit (₹ 15 crore).

Taking into account the surrender of saving of ₹ 1.50 crore in the Revenue (Charged) Section of the grant and ₹ 1.50 crore available in the capital section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 12 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 37

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)

(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 24 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 30 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
स्वीकृत:	Voted:	11868.99	56.00	11924.99
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	38.01	...	38.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	7.02	0.01	7.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	11914.04	56.01	11970.05
भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
स्वीकृत:	Voted:	11914.02	56.01	11970.03

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत: 2070 -Other Administrative Services	Voted:	...	7.01 (क)	(क)	7.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	...	0.01 (ख)	(ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	...	7.02		7.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
4875 - अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4875 - Capital Outlay on Other Industries	Voted:	...	0.01 (ग)	(ग)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	...	7.03		7.03

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070 - Other Administrative Services	...	(-) 7.01	(-)	7.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) औषधि दुरुपयोग नियंत्रण पर अतिरिक्त व्यय (₹ 7.01 करोड़)।
इस व्यय को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग के नियंत्रण हेतु निधि (प्रारक्षित निधि) से पूरा किया जाएगा, इस पूरक में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) additional expenditure on Control of Drug Abuse (₹ 7.01 crore).
Taking into account the expenditure will be met from National Fund for Control of Drug Abuse (Reserve Fund), the supplementary will not entail any cash outgo.

- | | |
|--|---|
| <p>(ख) ₹ 1384.58 करोड़ रुपए की राशि की दूसरी किस्त पर सीएसटी मुआवजा देना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p> <p>(ग) नीमच अफीम कारखाना हेतु अधिक प्रावधान (₹ 0.35 करोड़) गाजीपुर एल्केलॉयड वर्क्स (₹ 0.01 करोड़) और नीमच एल्केलॉयड वर्क्स (₹ 2.14 करोड़) चूंकि, यह प्रावधान स्वीकृत अनुदान का 10% से अधिक है।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p> | <p>(b) providing CST Compensation 2nd installment of an amount of ₹ 1384.58 crore.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(c) higher provision for Neemuch Opium Factory (₹ 0.35 crore), Ghazipur Alkaloid Works (₹ 0.01 crore) and Neemuch Alkaloid Works (₹ 2.14 crore) as the provision is more than 10% of voted Grant.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
|--|---|

मांग संख्या DEMAND NO. 38

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 25 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 25 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 31 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 5187.00	202.00	5389.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 100.00	0.02	100.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 280.17	...	280.17
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5567.17	202.02	5769.19
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2020 - आय और व्यय पर करों का संग्रहण	स्वीकृत: 2020 -Collection of Taxes on Income and Expenditure	Voted: ...	280.17	280.17

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग और अन्य प्रतिबद्ध देयताओं के कारण सीबीडीटी के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते (₹ 280.17 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 215 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

pay and allowances to the officers/staff of CBDT on account of 7th CPC and other committed liability (₹ 280.17 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant (₹ 65.17 crore), this will entail a cash outgo of ₹ 215 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 39

अप्रत्यक्ष कर

INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 32 देखिये)

(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 32 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.50	...	0.50
	स्वीकृत:	Voted:	5140.00	200.00	5340.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	210.00	0.02	210.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	280.00	...	280.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5630.50	200.02	5830.52	
	भारित:	Charged:	0.50	...	0.50
	स्वीकृत:	Voted:	5630.00	200.02	5830.02

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2037 - सीमा शुल्क	स्वीकृत: 2037 -Customs	Voted:	...	50.00 (का)	50.00
2038 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	स्वीकृत: 2038 -Union Excise Duties	Voted:	...	230.00 (खb)	230.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	...	280.00	280.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) सीमा शुल्क फोरमेशन के अधिकारियों/स्टाफ को वेतन और भत्ते का भुगतान (₹ 50 करोड़)। उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।	(a) payment of pay & allowances to the officers/staff of Customs Formations (₹ 50 crore) The above expenditure will entail a cash outgo;
(ख) उत्पाद शुल्क फोरमेशन के अधिकारियों/स्टाफ को वेतन और भत्ते का भुगतान (₹ 230 करोड़)। उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।	(b) payment of pay & allowances to the officers/staff of Excise Formations (₹ 230 crore) The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 41

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 33 देखिये)

(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 33 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	636.02	...	636.02
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	92.96	...	92.96
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	729.00	...	729.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3451 -Secretariat-Economic Services	Voted: ...	0.34 (का)	0.34
2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	स्वीकृत: 2408 -Food Storage and Warehousing	Voted: 83.21 (खब)	0.56 (गक)	83.77
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 8.85 (घद)	...	8.85
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 92.06	0.90	92.96

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) वेतन के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.16 करोड़ रुपये) और कार्यालयी खर्च (₹ 0.18 करोड़ रुपये)।

उपर्युक्त व्यय में ₹ 0.34 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।

(ख) (i) मेगा फूड पार्क स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 70 करोड़ रुपये) एवं व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.84 करोड़)।

(ii) एकीकृत शीतल श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 41.80 करोड़) एवं व्यावसायिक सेवाएं (₹ 1.00 करोड़)।

(iii) मानव संसाधन और संस्था स्कीम के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.10 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹ 1.00 करोड़), अन्य प्रभार (₹ 0.20 करोड़) एवं अन्य प्रशासनिक खर्च (₹ 0.39 करोड़)।

(iv) गुणवत्ता आश्वासन स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक खर्च के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.13 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें ₹ 83.21 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting additional expenditure towards Salaries (₹ 0.16 crore) and Office Expenses (₹ 0.18 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 0.34 crore.

(b) (i) providing additional Grants-in-aid General (₹ 70 crore) and Professional Services (₹ 0.84 crore) under the scheme Mega Food Parks.

(ii) providing additional Grants-in-aid General (₹ 41.80 crore) and Professional Services (₹ 1 crore) under the scheme Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure.

(iii) meeting additional expenditure for Professional Services (₹ 0.10 crore), Advertisement and Publicity (₹ 1 crore), Other Charges (₹ 0.20 crore) and Other Administrative Expenses (₹ 0.39 crore) under the scheme Human Resource and Institutions.

(iv) meeting additional expenditure under Other Administrative Expenses (₹ 0.13 crore) under the scheme of Quality Assurance.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 83.21 crore.

- | | |
|---|---|
| <p>(ग) (i) मानव संसाधन और संस्था स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान को अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 1.01 करोड़)।</p> <p>(ii) मानव संसाधन और संस्था स्कीम के अंतर्गत भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान को अतिरिक्त सहायता अनुदान वेतन (₹ 2.76 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.30 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें ₹ 0.56 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।</p> <p>(घ) मेगा फूड पार्क स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 7.01 करोड़), आधुनिक बूचड़खाना (₹ 2.21 करोड़) और मानव संसाधन एवं संवर्धनात्मक क्रियाकलाप संस्थाओं को (₹ 14.21 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें ₹ 8.85 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।</p> | <p>(c) (i) providing additional Grants-in-aid General to National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management under the Scheme for Human Resource and Institutions (₹ 1.01 crore).</p> <p>(ii) providing additional Grants-in-aid Salaries (₹ 2.76 crore) and Grant-in-aid General (₹ 0.30 crore) to Indian Institute of Crop Processing Technology under the Scheme for Human Resource and Institutions.</p> <p>Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 0.56 crore.</p> <p>(d) providing additional Grants-in-aid General under the Scheme for Mega Food Parks (₹ 7.01 crore), Modern Abattoirs (₹ 2.21 crore) and Human Resource and Institutions for Promotional Activities (₹ 14.21 crore).</p> <p>Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 8.85 crore.</p> |
|---|---|

मांग संख्या DEMAND NO. 42

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 34 देखिये)

(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 26 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 34 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	38899.71	1757.86	40657.57
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1364.87	0.03	1364.90
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	1448.47	0.01	1448.48
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	41713.05	1757.90	43470.95

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2071 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति	स्वीकृत: 2071 -Pensions and other Retirement Benefits	Voted:	...	50.00 (का)	50.00
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted:	20.84 (खb)	...	20.84
2211 - परिवार कल्याण	स्वीकृत: 2211 -Family Welfare	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01 (ङe)	...	0.01
3606 - सहायता सामग्री और उपस्कर	स्वीकृत: 3606 -Aid Materials and Equipment	Voted:	...	1377.60 (चf)	1377.60
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	20.87	1427.60	1448.47
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4210 - Capital Outlay on Medical and Public Health	Voted:	0.01 (छg)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	20.88	1427.60	1448.48

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3606 - सहायता सामग्री और उपस्कर	3606 - Aid Materials and Equipment	...	(-)1377.60	(-)1377.60

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (क) सीजीएचएस पेंशनरों के उपचार संबंधी स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (50 करोड़ रुपये)।

The supplementary grants are required for:

(a) Meeting additional expenditure towards Medical Treatment under the scheme Treatment of CGHS Pensioners (₹ 50 crore).

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।	
(ख)	<p>(ख) अतिरिक्त व्यय पूरा करना 1. स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता (i) नशा मुक्ति केंद्र, एम्स, नई दिल्ली (1.40 करोड़ रुपए) (ii) नशा मुक्ति केंद्र, निम्हैन्स, बेंगलुरु (0.60 करोड़ रुपए) 2. मजदूरी के भुगतान हेतु व्यावसायिक सेवाएं (18.84 करोड़ रुपए) 3. स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (i) राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (2 करोड़ रुपए) (ii) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सोसायटी के संविदागत कर्मचारियों हेतु भविष्य निधि (45 करोड़ रुपए) (iii) संचारी रोगों-जीसी हेतु फ्लैक्सीबल पूल (26.76 करोड़ रुपए) (iv) भारतीय फार्माकोपिया आयोग (3 करोड़ रुपए) (v) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (11.75 करोड़ रुपए) (vi) राष्ट्रीय नशा मुक्ति कार्यक्रम (3 करोड़ रुपए) (vii) भारतीय पाश्चर संस्थान, कोनोर (3 करोड़ रुपए) 4. स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) भारतीय फार्माकोपिया आयोग (13 करोड़ रुपए) (ii) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (48 करोड़ रुपए) (iii) भारतीय पाश्चर संस्थान, कोनोर (10 करोड़ रुपए)</p> <p>पूंजी भाग में उपलब्ध 20.84 करोड़ रुपए की बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए और अनुदान के इसी भाग में बचतों का उपयोग करने के बाद, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p>
(ग)	<p>(ग) सूचना, शिक्षा और संचार स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (27.15 करोड़ रुपए)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p>
(घ)	<p>(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (6.58 करोड़ रुपए)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p>
(ङ)	<p>(ङ.) पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) नए चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम हेतु मानव संसाधन स्कीम (200 करोड़ रुपए) (ii) कैंसर, मधुमेह, कार्डियो-वसकुलर रोग एवं स्ट्रोक का निवारण एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम स्कीम (24.16 करोड़ रुपए)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p>
(च)	<p>(च) राष्ट्रीय टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम (₹ 1377.60 करोड़) के अंतर्गत "सेवा अथवा प्रतिबद्धता प्रभारों, प्राप्त पुरस्कारों का नोशनल वैल्यू" प्रयोजन शीर्ष हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।</p> <p>अनुदान में वसुलियों के मिलान को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p>
(छ)	<p>(छ) अतिरिक्त व्यय पूरा करना 1. राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत मशीनरी एवं उपकरण (0.30 करोड़ रुपए) 2. केंद्रीय मोटर वाहन अनुसंधान संस्थान, कसौली (0.15 करोड़ रुपए) 3. (i) बीसीजी वैक्सीन लैब, गुडंडी (चेन्नई) (1.84 करोड़ रुपए) (ii) अखिल भारतीय भौतिक औषधि एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई (0.20 करोड़ रुपए) के अंतर्गत प्रमुख निर्माण कार्य।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p>
(b)	<p>Meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid Salaries under the scheme (i) Drug Deaddiction Centre at AIIMS, New Delhi (₹ 1.40 crore) (ii) Drug Deaddiction Centre at NIMHANS, Bengaluru (₹ 0.60 crore) 2. Professional Services for payment of Wages (₹ 18.84 crore) 3. Grants-in-aid General under the scheme (i) National AIDS and STD Control Programme (₹ 2 crore) (ii) Provident Fund to contractual staff of National AIDS Control Society (₹ 45 crore) (iii) Flexible Pool for Communicable Diseases-GC (₹ 26.76 crore) (iv) Indian Pharmacopoeia Commission (₹ 3 crore) (v) Food Safety and Standards Authority of India (₹ 11.75 crore) (vi) National Drugs Deaddiction Programme (₹ 3 crore) (vii) Pasteur Institute of India, Coonor (₹ 3 crore) 4. Grants for creation of Capital Assets under the scheme (i) Indian Pharmacopoeia Commission (₹ 13 crore) (ii) Food Safety and Standards Authority of India (₹ 48 crore) (iii) Pasteur Institute of India, Coonor (₹ 10 crore).</p> <p>Taking into account the surrender of savings of ₹ 20.84 crore available in the Capital Section, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p>
(c)	<p>Meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Information, Education & Communication (₹ 27.15 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
(d)	<p>Meeting additional expenditure towards Grants-in-aid Salaries under the scheme North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong (₹ 6.58 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
(e)	<p>Meeting additional expenditure towards Grants for creation of Capital Assets under the scheme (i) Human resources for Health & Medical Education Programme for establishing new medical colleges (₹ 200 crore) (ii) National programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardio-Vascular Diseases and Stroke (₹ 24.16 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
(f)	<p>Meeting additional expenditure towards Object Head "Service or commitment charges, notional value of gifts received" under National Programme for Immunisation and Polio Eradication (₹ 1377.60 crore).</p> <p>Taking into account the matching recoveries in the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p>
(g)	<p>Meeting additional expenditure towards 1. Machinery & Equipment under National Organ Transplant Programme (₹ 0.30 crore) 2. Motor Vehicle for Central Research Institute, Kasauli (₹ 0.15 crore) 3. Major Works under (i) BCG Vaccine Lab, Guindy (Chennai) (₹ 1.84 crore) (ii) All India Institute Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai (₹ 0.20 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>

मांग संख्या DEMAND NO. 43

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 45 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिये)

(See page 45 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 37 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 1144.80	...	1144.80
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 200.01	...	200.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1344.83	...	1344.83
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 - Medical and Public Health	Voted: 0.01 (का)	0.01 (ख)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) अतिरिक्त व्यय पूरा करना 1. स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (i) स्वास्थ्य अनुसंधान के संवर्धन और मार्गदर्शन हेतु अंतर क्षेत्रीय अभिसरण एवं सहयोग (₹ 2.74 करोड़) (ii) स्वास्थ्य अनुसंधान हेतु मानव संसाधन विकास (₹ 3 करोड़) (iii) महामारी और प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन हेतु प्रयोगशालाओं के नेटवर्क की स्थापना (₹ 5 करोड़) 2. स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता (i) आईसीएमआर (₹ 110 करोड़) (ii) कर्मचारियों को वेतन का भुगतान (₹ 53 करोड़)। इसी

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, भोपाल स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 4 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

- (a) Meeting additional expenditure towards 1. Grant-in-aid General under the scheme (i) Inter-Sectoral Convergence & Coordination for Promotion & Guidance on Health Research (₹ 2.74 crore) (ii) HRD for Health Research (₹ 3 crore) (iii) Establishment of Network of Laboratories for Managing Epidemics and Natural Calamities (₹ 5 crore) 2. Grant-in-aid Salaries under the scheme (i) ICMR (₹ 110 crore) (ii) Payment of salary to the staff (₹ 53 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) Meeting additional expenditure towards Grant-in-aid General under the scheme Bhopal Memorial Hospital & Research Centre (BMHRC), Bhopal (₹ 4 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 44

भारी उद्योग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 38 देखिये)

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 38 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	392.87	907.13	1300.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	5086.00	967.27	6053.27
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुदान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	623.15	400.02	1023.17
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6102.02	2274.42	8376.44
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 - Industries	Voted: 0.01 (का)	623.14 (खb)	623.15
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6854 - सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत: 6854 - Loans for Cement and Non-Metallic Mineral Industries	Voted: ...	289.93 (गc)	289.93
6858 - अभियांत्रिक उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत: 6858 - Loans for Engineering Industries	Voted: ...	110.09 (घd)	110.09
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: ...	400.02	400.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.01	1023.16	1023.17

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) भारतीय पूंजी वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि स्कीम के अन्तर्गत अतिरिक्त निधियों (₹ 12.33 करोड़) को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना।
इस अनुदान के इस भाग में उपलब्ध नकद को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के दिनांक 6 जनवरी, 2016 के निर्णय के अनुसार धारित कंपनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनियों नामक, एचएमटी वाचेज लि. एचएमटी चिनार वाचेज लि. और एचएमटी बीयरिंग लि. को दिए गए ऋणों और अग्रिमों को निर्धारित करके एचएमटी लि. (धारक कंपनी) में भारत सरकार के मोचन योग्य अधिमानी शेयर (₹ 623.14 करोड़) की कमी।
यह बही समायोजन के लिए ही है और इसमें कोई नकद व्यय शामिल नहीं है। एक तकनीकी पूरक मांगा जाता है।

- (a) Providing Grants-in-aid General to meet additional fund (₹ 12.33 crore) under Scheme for Enhancement of Competitiveness in the Indian Capital Goods Sector.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Reduction of Gol's Redeemable Preference Share (₹ 623.14 cr.) in HMT Ltd. (holding company) by setting off of Loans and Advances extended by the holding company to its subsidiaries namely, HMT Watches Ltd., HMT Chinara Watches Ltd. and HMT Bearings Ltd. as per the CCEA decision dated 6th January, 2016.
This is only for book adjustment and no cash outgo is involved. A Technical Supplementary is sought.

- | | |
|---|--|
| <p>(ग) मंत्रिमंडल के दिनांक 30.11.2016 के निर्णय के अनुसार इन्स्ट्रुमेंटल लि. कोटा को बन्द करने के प्रस्ताव के कारण वेतन, सानिधिक देय, बैंक उधारों, टीडीएस, एलआईसी देय, इडीएलआई बिक्रीकर, सेवाकर, वैट आदि (₹ 290 करोड़) के भुगतान के लिए ब्याज मुक्त आयोजन भिन्न ऋण मुहैया कराना।</p> <p>अनुदान के इस भाग में उपलब्ध ₹ 0.07 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए ₹ 289.93 करोड़ की शेष राशि पर नकद व्यय होगा।</p> | <p>(c) Providing interest free Non-Plan loan for payment of salary/statuary dues, Bank Borrowings, TDS, LIC dues, EDLI, Sales Tax, Service Tax, VAT etc. (₹ 290 crore) on account of proposed closure of Instrumentation Ltd. Kota (ILK) as per Cabinet decision dated 30.11.2016.</p> <p>Taking into account the savings of ₹ 0.07 crore available within the same section of the grant, the remaining amount of ₹ 289.93 crore will entail cash outgo.</p> |
| <p>(घ) मंत्रिमंडल के दिनांक 30.11.2016 के निर्णय के अनुसार इन्स्ट्रुमेंटल लि. कोटा (आईएलके) के समापन के प्रस्ताव में आश्व वीआरएस वीएसएस मुआवजे (₹ 110.09 करोड़) के भुगतान के लिए ब्याज मुक्त आयोजना-भिन्न ऋण मुहैया कराना।</p> <p>उपरोक्त व्यय पर नकद व्यय होगा।</p> | <p>(d) Providing interest free Non-Plan loan for payment of VRS/VSS compensation (₹ 110.09 crore) on account of proposed closure of Instrumentation Ltd., Kota (ILK) as per Cabinet decision dated 30.11.2016.</p> <p>The above expenditure will entail a cash outgo.</p> |

मांग संख्या DEMAND NO. 46

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 40 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted: 4330.51	300.36	4630.87
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 300.02	...	300.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 209.06	...	209.06
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4839.62	300.36	5139.98
	भारित:	Charged: 0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted: 4839.59	300.36	5139.95

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत: 2052 -Secretariat-General Services	Voted: ...	0.01 (का)	0.01		0.01
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत: 2070 -Other Administrative Services	Voted: ...	0.01 (खb)	0.01		0.01
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted: ...	0.01 (गc)	0.01		0.01
2245 - प्राकृतिक आपदा राहत	स्वीकृत: 2245 -Relief on account of Natural Calamities	Voted: 0.01 (घd)	0.01 (डe)	0.01		0.02
2250 - अन्य सामाजिक सेवाएं	स्वीकृत: 2250 -Other Social Services	Voted: 0.01 (चf)	...	0.01		0.01
3454 - जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	स्वीकृत: 3454 -Census Surveys and Statistics	Voted: 200.00 (छg)	9.00 (जh)	209.00		209.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 200.02	9.04	209.06		

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|---|---|
| <p>(क) (i) मेजर ध्यानचंद स्टेडियम (एमडीसीएनएस) में कार्यालय उपयोग हेतु भाड़े में लेना (₹ 65 करोड़), (ii) लघु कार्य (₹ 10 करोड़) और (iii) आईटी कार्यालयी व्यय (₹ 10 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p> <p>(ख) अन्य गैर कानूनी क्रिया कलाप(निवारण) न्यायाधिकरण ₹ 0.30 करोड़ के अंतर्गत व्यय को पूरा करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p> <p>(ग) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम के तहत व्यय को पूरा करना (₹ 80.00 करोड़)।</p> | <p>(a) meeting expenditure for (i) hiring of office space at Major Dhyan Chand Stadium (MDCNS) (₹ 65 crore), (ii) Minor Work (₹ 10 crore) and (iii) IT-Office Expenses (₹ 10 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(b) meeting expenditure under Other Unlawful Activities(prevention) Tribunal (₹ 0.30 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(c) meeting expenditure under Swantantrata Sainik Samman Pension Scheme (₹ 80.00 crore).</p> |
|---|---|

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(घ)	अन्य आपदा प्रबंधन परियोजना व्यय के अंतर्गत ₹ 0.20 करोड़ का विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र पर व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(d)	meeting expenditure under Other Disaster Management Projects Expenditure on UT without legislature (₹ 0.20 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	₹ 60.00 करोड़ का एनडीआरएफ को वेतन और भत्ता का भुगतान। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(e)	payment of Pay and Allowance to NDRF (₹ 60.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	₹ 50.00 करोड़ का जम्मू व कश्मीर स्कीम में विशेष उद्योग पहल। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(f)	Special Industry Initiative in J&K Scheme (₹ 50.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ)	आरजीआई के अंतर्गत एनपीआर, असम के अद्यतन हेतु व्यय को पूरा करना ₹ 265.00 करोड़। अनुदान के इसी खंड के तहत ₹ 65 करोड़ के बचत को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में ₹ 200 करोड़ का नकद व्यय होगा।	(g)	meeting expenditure for updation of National Population Register(NPR), Assam under RGI (₹ 265.00 crore). Taking into account savings of ₹ 65 crore under same section of grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 200 crore.
(ज)	(i) ₹ 9 करोड़ का आरजीआई की विभिन्न स्कीमों के वेतन शीर्षों (ii) ₹ 0.40 करोड़ का पेशेवर सेवा गणना हेतु व्यय को पूरा करना। अनुदान में पूंजी खंड में उपलब्ध ₹ 9 करोड़ के बचत अभ्यर्पण को देखते हुए और अनुदान के इसी खंड में बचत के उपयोग के पश्चात् उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(h)	meeting expenditure towards (i) Salary heads of various schemes of RGI (₹ 9 crore) (ii) professional services of enumeration (₹ 0.40 crore). Taking into account the surrender of savings of ₹ 9 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 48

पुलिस

POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 30 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 42 देखिये)

(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 30 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 42 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 7.44	6.66	14.10
	स्वीकृत:	Voted: 61674.97	9035.51	70710.48
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged: ...	12.00	12.00
	स्वीकृत:	Voted: 2288.43	842.99	3131.42
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 965.08	...	965.08
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	64935.92	9897.16	74833.08
	भारित:	Charged: 7.44	18.66	26.10
	स्वीकृत:	Voted: 64928.48	9878.50	74806.98

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2055 - पुलिस	स्वीकृत: 2055 -Police	Voted: 157.60	(का)	620.88 (खb)	778.48
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 186.60	(गc)	...	186.60
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 344.20		620.88	965.08

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	3601 - Grants-in-aid to State Governments	(-) 157.60	...	(-) 157.60

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निर्भया निधि में अंतरण (₹ 157.60 करोड़)।
अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) वेतन पर अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 618.56 करोड़) और अनुसंधान (₹ 2.32 करोड़)।
अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) Transfer to Nirbhaya Fund (₹ 157.60 crore)
Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(b) To meet additional expenditure on salaries (₹ 618.56 crore) and Research (₹ 2.32 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

- | | |
|--|--|
| <p>(ग) अतिरिक्त आवश्यकता (i) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए ₹ 27 करोड़। (ii) अवैध व्यापार रोधी के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध अपराध हेतु जांच यूनिटों की स्थापना के लिए ₹ 2.00 करोड़। (iii) राष्ट्रव्यापी आपदा अनुक्रिया प्रणाली के लिए ₹ 157.60 करोड़।</p> <p>अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 29 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए और निर्भया निधि से ₹ 157.60 करोड़ पूरा किया गया, उपर्युक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(c) Additional requirement for (i) Border Area Development programme (₹ 27 crore) (ii) setting up Investigative Units for Crimes Against Women under Anti trafficking (₹ 2.00 crore) and (iii) Nation-wide Emergency Response System(NERS) (₹ 157.60 crore).</p> <p>Taking into account the surrender of savings of ₹ 29 crore available in the Capital Section of the Grant, and ₹ 157.60 crore met from Nirbhaya Fund, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p> |
|--|--|

मांग संख्या DEMAND NO. 50

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 45 देखिये)

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 31 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 45 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	5411.00	...	5411.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5411.05	...	5411.05
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2216 - आवास	स्वीकृत: 2216 -Housing	Voted: 0.01 (कa)	...	0.01
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3475 -Other General Economic Services	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) एमआईजी के लिए ऋण सहबद्ध सब्सिडी स्कीम जैसी नई शुरु की गई स्कीम के लिए सब्सिडी (₹ 5 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के निम्नलिखित शीर्षों हेतु मुहैया कराए गए (i) वेतन (₹ 0.46 करोड़), (ii) चिकित्सा उपचार (₹ 0.03 करोड़) (iii) घरेलू यात्रा व्यय (₹ 0.05 करोड़) (iv) कार्यालय व्यय (₹ 0.13 करोड़) (v) प्रकाशन (₹ 0.01 करोड़) (vi) अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 0.11 करोड़) (vii) विज्ञापन एवं प्रचार (₹ 2.12 करोड़) (viii) व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.14 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

- (a) Subsidy for the newly launched scheme namely Credit Linked Subsidy Scheme for MIG (₹ 5 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) National Urban Livelihoods Mission under the heads (i) Salaries (₹ 0.46 crore), (ii) Medical Treatment (₹ 0.03 crore) (iii) Domestic Travel Expenses (₹ 0.05 crore) (iv) Office Expenses (₹ 0.13 crore) (v) Publication (₹ 0.01 crore) (vi) Other Administrative Expenses (₹ 0.11 crore) (vii) Advertising and Publicity (₹ 2.12 crore) (viii) Professional Services (₹ 0.14 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 51

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 32 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 32 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 46 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	63826.65	...	63826.65
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	342.08	...	342.08
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.05	...	0.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	64168.78	...	64168.78
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				

					जोड़ Total
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted: 0.01 (का)	0.01 (ख)		0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (ग)	...		0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01 (घ)	...		0.01
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted: 0.01 (ङ)	...		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.04	0.01		0.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (1) (i) माध्यमिक शिक्षा हेतु बालिकाओं को प्रोत्साहित करने की राष्ट्रीय स्कीम (216.70 करोड़ रुपये) (ii) सर्व शिक्षा अभियान (14.28 करोड़ रुपये) (iii) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (1 करोड़ रुपये) (iv) मध्याह्न भोजन (7.46 करोड़ रुपये) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। 2. राष्ट्रीय साधन सह योग्यता स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वजीफा (154.20 करोड़ रुपये) 3. एसएसए स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (0.55 करोड़ रुपये) 4. केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता (3.18 करोड़ रुपये) 5. डीएई स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार (0.49 करोड़ रुपये) 6. डीएई स्कीम के अंतर्गत कार्यालय व्यय (0.18 करोड़ रुपये) 7. डीएई के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक व्यय (0.06 करोड़ रुपये) 8. डीएई स्कीम के अंतर्गत मजदूरी (0.01 करोड़ रुपये)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

- (a) Meeting additional expenditure towards 1. Grant-in-aid General under the scheme (i) National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education (₹ 216.70 crore) (ii) Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) (₹ 14.28 crore) (iii) Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) (₹ 1 crore) (iv) Mid Day Meal (MDM) (₹ 7.46 crore) 2. Scholarship/Stipend under the scheme National Means cum Merit Scholarship Scheme (₹ 154.20 crore) 3. Grants for Creation of Capital Assets under the scheme SSA (₹ 0.55 crore) 4. Grant-in-aid Salaries under the scheme Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) (₹ 3.18 crore) 5. Advertising and Publicity under Directorate of Adult Education (DAE) (₹ 0.49 crore) 6. Office Expenses under DAE (₹ 0.18 crore) 7. Other Administrative Expenses under DAE (₹ 0.06 crore) 8. Wages under DAE (₹ 0.01 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ख) राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभारों हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.40 करोड़ रुपए)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (1) (i) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण (25 करोड़ रुपए) (ii) भाषा शिक्षकों की नियुक्ति (87 करोड़ रुपए) (iii) नवोदय विद्यालय समिति (75 करोड़ रुपए) (iv) एसएसए (320.65 करोड़ रुपए) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। 2. राष्ट्रीय साधन सह योग्यता स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वजीफा (0.45 करोड़ रुपए) 3. केवीएस स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता (0.20 करोड़ रुपए) 4. एसएसए स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (19.25 करोड़ रुपए)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) (i) अल्पसंख्यकों का विकास: मदरसों/अल्पसंख्यकों हेतु शिक्षा स्कीम (76.09 करोड़ रुपए) (ii) भाषा शिक्षकों की नियुक्ति (14 करोड़ रुपए) (iii) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण (84.35 करोड़ रुपए) (iv) एसएसए (320.75 करोड़ रुपए) स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ङ) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढीकरण (10 करोड़ रुपए) स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (b) Meeting additional expenditure towards Other Charges under the scheme National Award to Teachers (₹ 0.40 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Meeting additional expenditure towards 1. Grant-in-aid General under the scheme (i) Strengthening of Teachers Training Institutions (₹ 25 crore) (ii) Appointment of Language Teachers (₹ 87 crore) (iii) Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) (₹ 75 crore) (iv) SSA (₹ 320.65 crore) 2. Scholarship/Stipend under the scheme National Means cum merit Scholarship (₹ 0.45 crore) 3. Grant-in-aid Salaries under the scheme KVS (₹ 0.20 crore) 4. Grants for creation of Capital Assets under the scheme SSA (₹ 19.25 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Meeting additional expenditure towards Grant-in-aid General under the scheme (i) Development of Minorities: Education Scheme for Madrasas/Minorities (₹ 76.09 crore) (ii) Appointment of Language Teachers (₹ 14 crore) (iii) Strengthening of Teachers Training Institutions (₹ 84.35 crore) (iv) SSA (₹ 320.75 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) Meeting additional expenditure towards Grant-in-aid General under the scheme Strengthening of Teachers Training Institutions (₹ 10 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 52

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 33 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 33 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 47 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	28840.00	...	28840.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	863.22	...	863.22
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	11.21	...	11.21
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	29714.43	...	29714.43

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2203 - तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत: 2203 -Technical Education	Voted: 0.01 (खब)	0.01 (गक)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (घद)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 11.17 (डे)	...	11.17
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 11.20	0.01	11.21

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (1) (i) वैश्विक नियुक्ति हेतु पहल (₹ 1 करोड़) (ii) वर्चुअल कक्षाओं की स्थापना और व्यापक स्तर पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (₹ 5 करोड़) (iii) राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (₹ 9.50 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। 2. (i) औरोविल फाउंडेशन (₹ 10.10 करोड़) (ii) प्रधानमंत्री कन्या छात्रावास (₹ 1.00 करोड़) (iii) भारतीय भाषाओं के संवर्द्धन हेतु अनुदान (₹ 2.50 करोड़) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आसक्तियों के सृजन हेतु अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु 1. (i) पीपीपी माध्यम से आईआईटी की स्थापना (₹ 10 करोड़) (ii) नवीन आईआईटी की स्थापना (₹ 9 करोड़) (iii) आईआईटी को सहायता (₹ 30 करोड़) (iv) आईआईएम को सहायता (₹ 20 करोड़) (v) भारतीय इंजीनियरी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी) का अपग्रेडेशन (₹ 3 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता। 2. (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹ 80 करोड़) (ii)

The supplementary grants are required for:

- (a) Meeting additional expenditure towards 1. Grant-in-aid General under the scheme (i) Initiatives for Global Engagement (₹ 1 crore) (ii) Setting up virtual classroom and massive open online courses (MOOCs) (₹ 5 crore) (iii) Rashtriya Uchcha Shiksha Abhiyan (RUSA) (₹ 9.50 crore) 2. Grants for creation of capital assets under the scheme (i) Auroville Foundation (₹ 10.10 crore) (ii) PM Girls' Hostel (₹ 1 crore) (iii) Grants for promotion of Indian Languages (₹ 2.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) Meeting additional expenditure towards 1. Grant-in-aid General under the scheme (i) Setting up IITs in PPP Mode (₹ 10 crore) (ii) Setting up of New IITs (₹ 9 crore) (iii) Support to IITs (₹ 30 crore) (iv) Support to IIMs (₹ 20 crore) (v) Upgradation of Indian Institute of Engineering, Science and Technology (IIEST) (₹ 3 crore) 2. Grants for creation of capital assets under the scheme (i) Support to Indian Institutes of Technology

- नवीन आईआईटी की स्थापना (₹ 3 करोड़) (iii) आईआईटी आंध्र प्रदेश (₹ 15 करोड़) (iv) भारतीय प्रबंधन संस्थान को सहायता (₹ 65 करोड़) (v) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को सहायता (₹ 200 करोड़) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आसक्तियों के सृजन हेतु अनुदान 3. (i) भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय विज्ञान एवं शिक्षा अनुसंधान संस्थान को सहायता (₹ 4 करोड़) (ii) भारतीय प्रबंधन संस्थान को सहायता (₹ 15 करोड़) (iii) आईआईटी आंध्र प्रदेश (₹ 1 करोड़) (iv) भारतीय इंजीनियरी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी) का अपग्रेडेशन (₹ 15 करोड़) स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) 1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (250 करोड़ रुपये) 2. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को सहायता स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता (44 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करना।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु 1. (i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को सहायता (₹ 160 करोड़) (ii) भारतीय भाषाओं के संवर्द्धन हेतु अनुदान (₹ 5 करोड़) 2. (i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को सहायता (₹ 10 करोड़) स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ङ) महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान में सुधार लाने संबंधी स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 12.03 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, इसमें ₹ 11.17 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (₹ 80 crore) (ii) Setting up of New IITs (₹ 3 crore) (iii) IIT Andhra Pradesh (₹ 15 crore) (iv) Support to Indian Institute of Management (₹ 65 crore) (v) Support to National Institute of Technology (₹ 200 crore) 3. Grant-in-aid Salaries under the scheme (i) Support to Indian Institute of Science (IISc) and Indian Institute of Science and Education Research (IISER) (₹ 4 crore) (ii) Support to Indian Institute Management (₹ 15 crore) (iii) IIT Andhra Pradesh (₹ 1 crore) (iv) Upgradation of Indian Institute of Engineering, Science and Technology (IIEST) (₹ 15 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Meeting additional expenditure towards 1. Grant-in-aid General under the scheme Support to Indian Institute of Technology (₹ 250 Crore) 2. Grant-in-aid Salaries under the scheme Support to National Institute of Technology (NITs) (₹ 44 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Meeting additional expenditure towards 1. Grants for creation of capital assets under the scheme (i) Support to National Institute of Technology (NITs) (₹ 160 crore) (ii) Grants for promotion of Indian Languages (₹ 5 crore) 2. Grant-in-aid Salaries under the scheme (i) Support to National Institute of Technology (NITs) (₹ 10 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) Meeting additional expenditure towards Grants-in-aid Salaries under the scheme Improvement in Salary Scale of College and University Teachers (₹ 12.03 crore).
- Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 11.17 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 53

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 49 देखिये)

(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 49 of the Second

Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	4036.06	47.57	4083.63
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	20.00	0.01	20.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	57.36	...	57.36
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4113.42	47.58	4161.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2220 - सूचना और प्रचार	स्वीकृत: 2220 -Information and Publicity	Voted: 33.99 (का)	0.01 (खb)	34.00
2221 - प्रसारण	स्वीकृत: 2221 -Broadcasting	Voted: ...	17.36 (गc)	17.36
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 6.00 (घd)	...	6.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 39.99	17.37	57.36

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) विकास संचार के जरिए लोक सशक्तिकरण (₹ 37.36 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (₹ 3.37 करोड़) को देखते हुए, इसमें ₹ 33.99 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ख) प्रसार भारती के अलावा स्वायत्त निकायों का वेतन घटक (₹ 6.61 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) वेतन (सहायता अनुदान ₹ 30.82 करोड़) और प्रसार भारती के वेतन से संबंधित व्यय (सामान्य सहायता अनुदान ₹ 19.18 करोड़) के तहत ₹ 50 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (₹ 32.64 करोड़) को देखते हुए, इसमें ₹ 17.36 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(घ) (i) विकास संचार के जरिए लोक सशक्तिकरण डीएवीपी आयोजना स्कीम (₹ 6.72 करोड़) (ii) आईआईएमसी की आयोजना स्कीम - पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केन्द्र खोलना (₹ 1 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (₹ 1.72 करोड़) को देखते हुए, इसमें ₹ 6 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) (i) People Empowerment through Development Communication (₹ 37.36 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant (₹ 3.37 crore) this will entail a cash outgo ₹ 33.99 crore.

(b) Salary Component of Autonomous Bodies other than Prasar Bharati (₹ 6.61 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) Meeting additional requirement of ₹ 50 crore under Salary (GIA Salaries- ₹ 30.82 crore) and Salary related Expenditure (GIA General- ₹ 19.18 crore) of Prasar Bharati.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant (₹ 32.64 crore) this will entail a cash outgo (₹ 17.36 crore).

(d) (i) DAVPs Plan Scheme 'People Empowerment through Development Communication (₹ 6.72 crore) (ii) IIMC's Plan Scheme Opening up of New Regional Centre of IIMC under North Eastern Region (₹ 1 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant (₹ 1.72 crore) this will entail a cash outgo (₹ 6 crore).

मांग संख्या DEMAND NO. 54

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 35 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 50 देखिये)

(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 35 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 50 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	6432.83	21.15	6453.98
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	1.10	1.12
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6432.86	22.25	6455.11
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2230 - श्रम और रोजगार	स्वीकृत: 2230 -Labour and Employment	Voted: ...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) सहायता अनुदान वेतनों के रूप में राष्ट्रीय कामगार शिक्षा संस्था स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त दायित्वों को पूरा करने के लिए (₹ 10.33 करोड़)(ii) बकायों, उपदान जैसे सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन और अवकाश नकदीकरण आदि की संराशि का भुगतान करने के लिए सहायता अनुदान वेतनों के रूप में राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्कीम के अन्तर्गत अतिरिक्त दायित्वों को पूरा करने के लिए (₹ 0.54 करोड़)।

अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

(i) To meet additional liabilities under the scheme of Central Board for Workers Education as Grants-in aid Salaries (₹ 10.33 crore). (ii) To meet additional liabilities under the scheme of National Labour Institutes as Grants-in aid Salaries (₹ 0.54 crore) towards the payment of arrears, retirement benefits such as gratuity, commuted value of pension and leave encashment etc.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 56

विधि और न्याय

LAW AND JUSTICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 देखिये)

(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	5011.99	88.01	5100.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5012.01	88.01	5100.02
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014 - न्याय प्रशासन	स्वीकृत: 2014 -Administration of Justice	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) ई-न्यायालय चरण- II परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए ई- समिति की अपेक्षानुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों को वचनबद्ध देनदारियां जारी करने हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 56.09 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) ई-न्यायालय चरण- II परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए ई- समिति की अपेक्षानुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों को वचनबद्ध देनदारियां जारी करने हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 22.36 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting the additional expenditure towards release of committed liabilities to various High Courts as per the requisition of the e-committees for implementing E-court Phase II project (₹ 56.09 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) meeting the additional expenditure towards release of committed liabilities to various High Courts as per the requisition of the e-committees for implementing E-court Phase II project (₹ 22.36 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 58

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 36 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 53 देखिये)

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 36 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 53 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	3454.22	10.55	3464.77
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.04	6.00	6.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	1697.90	...	1697.90
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5152.16	16.55	5168.71
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 193.58 (कa)	...	193.58
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries	Voted: 1504.32 (खb)	...	1504.32
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 1697.90	...	1697.90

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) (i) पिछले तीन वर्षों की स्पिनिंग मजदूरी देयताओं और बकाया देयताओं का निपटारा करने के लिए सामान्य अनुदान सहायता-पूर्वोत्तर क्षेत्र शीर्ष के अंतर्गत बाजार संवर्धन और विकास सहायता (₹ 0.50 करोड़) हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए।
- (ii) सूक्ष्म और लघु उद्योग हेतु ऋण गारंटी न्यास निधि के लिए कोष हेतु निधियों के संवर्धन के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र- अंशदान प्रयोजन शीर्ष के अंतर्गत ऋण सहायता कार्यक्रम (₹ 193.58 करोड़ रुपये) के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए।

- (a) (i) Meeting the additional requirement for Market Promotion and Development Assistance (MPDA) (₹ 0.50 crore) under the object head "Grants in Aid General" for NER to meet the spinning wages liability and to clear the unmet liabilities of last three years.
- (ii) Meeting the additional requirement under Credit Support Programme (₹ 193.58 crore) under the object head "Contribution" Plan-NER for augmentation of funds to the corpus for Credit Guarantee Trust Fund for Micro and Small Enterprises (CGTMSE).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में ₹ 193.58 करोड़ का नकद व्यय होगा।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 193.58 crore.

- (ख) (i) सूक्ष्म और लघु उद्योग हेतु ऋण गारंटी न्यास निधि के लिए कोष हेतु निधियों के संवर्धन के लिए "अंशदान" शीर्ष के अंतर्गत ऋण सहायता कार्यक्रम (₹ 1504.32 करोड़) (एससीएसपी के तहत ₹ 227.10 करोड़ और टीएसपी के तहत ₹ 153.68 करोड़) के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए।

- (b) (i) Meeting the additional requirement under Credit Support Programme (₹ 1504.32 crore) (including ₹ 227.10 crore under SCSP and ₹ 153.68 crore TSP) under the object head "Contribution" for augmentation of funds to the corpus for Credit Guarantee Trust Fund for Micro and Small Enterprises (CGTMSE).

- (ii) बिजली और निर्माण कार्यों हेतु “पूँजीगत आसक्तियों के सृजन हेतु अनुदान” प्रयोजन शीर्ष के अंतर्गत ग्राम उद्योगों (₹ 7 करोड़) के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति करना।
- (iii) पिछले तीन वर्षों की स्पिनिंग मजदूरी देयताओं और पूरा ना किए गए देयताओं का निपटारा करने के लिए “सामान्य अनुदान सहायता” आयोजना -अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रयोजन शीर्ष के अंतर्गत बाजार संवर्धन और विकास सहायता (₹ 17.50 करोड़) हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए।
- (iv) कार्यात्मक शीर्ष का गठन करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत खर्चों को पूरा करने के लिए “पूँजीगत आसक्तियों के सृजन हेतु अनुदान” आयोजना पूर्वोत्तर-भिन्न प्रयोजन शीर्ष के अंतर्गत खादी, ग्रामोद्योग और कॉयर (₹ 0.01 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
- (v) इस स्कीम के अंतर्गत लंबित दावों का निपटारा करने के लिए “सामान्य सहायता अनुदान” प्रयोजन शीर्ष के तहत राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (₹ 0.19 करोड़ रुपए) हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 300 करोड़ बचतों को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में ₹ 1504.32 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (ii) Meeting the additional requirement for Village Industries (₹ 7 crore) under the object head “Grants for Creation of Capital Assets” Plan for electrical and construction work.
- (iii) Meeting the additional requirement for Market Promotion and Development Assistance (MPDA) (₹ 17.50 crore) under the object head “Grants in Aid General” Plan-ONER to meet the spinning wages liability and to clear the unmet liabilities of last three years.
- (iv) Meeting the additional requirement for Khadi, VI and Coir (S&T) (₹ 0.01 crore) under the object head “Grant for Creation of Capital Assets” Plan Non-NER to create the functional head and to meet expenditure under NER region.
- (v) Meeting the additional requirement for Rajiv Gandhi Udyami Mitra Yojna (RGUMY) (₹ 0.19 crore) under the object head “Grants in Aid General” to clear the pending claims under the scheme.

Taking into account the savings of ₹ 300 crore available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 1504.32 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 59

खान मंत्रालय

MINISTRY OF MINES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 61 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 55 देखिये)

(See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 55 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 0.07	...	0.07
	स्वीकृत:	Voted: 1055.03	158.39	1213.42
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1055.12	158.39	1213.51
	भारित:	Charged: 0.07	...	0.07
	स्वीकृत:	Voted: 1055.05	158.39	1213.44
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2853 - अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	स्वीकृत: 2853 -Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	Voted: ...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स के लिए सहायता अनुदान वेतन (₹ 0.44 करोड़) हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ के लिए (₹ 0.12 करोड़) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेन्टर के लिए (₹ 0.40 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

Meeting the additional requirement towards Grants-in-Aid Salary (₹ 0.44 crore) for National Institute of Rock Mechanics (NIRM); (₹ 0.12 crore) for National Institute of Miners' Health (NIMH) and (₹ 0.40 crore) for Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development & Design Centre (JNARDDC) respectively.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 60

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)

(See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 37 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 56 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	3687.25	140.00	3827.25
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3687.28	140.00	3827.28	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	स्वीकृत: 2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) अल्पसंख्यकों के लिए व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति (₹ 60 करोड़) (ii) अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति के तहत व्यवसायिक सेवाएं- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल विकास (₹ 11.29 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

For meeting expenditure for (i) Merit-cum-Means scholarship for Professional and Technical Courses for Minorities (₹ 60 crore) & (ii) Professional Services-Development of National Scholarship Portal under Post-Matric Scholarship for Minorities (₹ 11.29 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 61

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 63 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 38 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 57 देखिये)

(See page 63 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 38 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 57 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	9882.79	100.00	9982.79
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	15.00	15.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	9882.81	115.00	9997.81
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2810 - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	स्वीकृत: 2810 -New and Renewable Energy	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) पनचक्की (ग्रिड) के अन्तर्गत सब्सिडी हेतु ग्रिड इंटरैक्टिव और संवितरित नवीकरणीय ऊर्जा (₹ 123.95 करोड़); (ii) सूचना और सार्वजनिक विज्ञापन (आर एवं पीए) के अंतर्गत राज्य की के. न्द्रस्त्र्जेंसियों की लंबित देयताओं के निपटान हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1 करोड़); (iii) नई प्रौद्योगिकियों के अन्तर्गत उपस्करों की खरीद हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 2.35 करोड़) और (iv) सूर्यामित्र कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.20 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional requirement under (i) Grid Interactive and Distributed Renewable Power for subsidy under Wind Power (Grid) (₹ 123.95 crore); (ii) Grants-in-aid General for clearing pending liabilities of State Nodal Agencies (SNAs) under Information and Public Advertising (I&PA) programme (₹ 1 crore); (iii) Grants for Creation of Capital Assets for purchase of equipment under New Technologies (₹ 2.35 crore) and (iv) Grants-in-aid General for training programmes under Suryamitra Skill Development Programme (₹ 4.20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 67

योजना मंत्रालय

MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 69 देखिये)

(See page 69 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	292.64	0.50	293.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	292.65	0.50	293.15
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3475 -Other General Economic Services	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (i) बैंक खातों के जरिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना (₹ 50 करोड़) (ii) दो स्कीमों अर्थात् लक्की ग्राहक योजना और डिजी धन व्यापार योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं और व्यापारियों के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा एवं प्रोत्साहन देने के लिए आउटरीच कार्यक्रम (₹ 50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

providing Grants-in-aid General towards (i) promotion of digital payments through bank accounts (₹ 50 crore) (ii) Out Reach Programme under two schemes namely Lucky Grahak Yojana and Digi Dhan Vyapar Yojana to promote and incentivize digital payments among consumers and merchants (₹ 50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 68

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 70 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)

(See page 70 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 41 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 62 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	10817.17	3721.82	14538.99
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	476.27	1493.59	1969.86
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	585.90	296.26	882.16
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	11879.34	5511.67	17391.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3451 -Secretariat-Economic Services	Voted: ...	2.59 (का)	2.59
2801 - विद्युत	स्वीकृत: 2801 -Power	Voted: 577.83 (खब)	5.48 (गक)	583.31
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 577.83	8.07	585.90
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4801 - विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4801 - Capital Outlay on Power Projects	Voted: 296.25 (घद)	...	296.25
6552 - पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए ऋण	स्वीकृत: 6552 - Loans for North Eastern Areas	Voted: 0.01 (डे)	...	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: 296.26	...	296.26
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 874.09	8.07	882.16

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) सचिवालय के अंतर्गत वेतन एवं भत्तों के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करना (₹ 2.59 करोड़)।
अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) (i) पारेषण और वितरण नेटवर्क (₹ 130.00 करोड़) से संबंधित जम्मू व कश्मीर मूल्य बढ़ोतरी प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण पैकेज 2004 स्कीम के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (ii) जम्मू व कश्मीर-प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 के अंतर्गत पाकुलडुल एचईपी के लिए केन्द्रीय सहायता स्कीम के अंतर्गत निधि चैनल घाटी विद्युत परियोजना प्रा.लि. को अनुदान के रूप में (₹ 409.12 करोड़)(iii)भारत सरकार द्वारा पूर्णतया शोधित बांड निर्गम

The supplementary grants are required for:

(a) providing additional fund for salaries and allowance under Secretariat (₹ 2.59 crore)
Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(b) providing (i) Grants for creation of Capital Assets under the scheme 'Jammu & Kashmir-price escalation Prime Minister's Reconstruction Package (PMRP) 2004 relating to transmission and distribution network' (₹ 130.00 crore); (ii) funds under the scheme 'Central Assistance for Pakul Dul HEP under Jammu & Kashmir- Prime Minister's Development Package (PMDP) 2015

<p>व्यय और ब्याज(विद्युत वित्त निगम बांड के लिए निधि (₹ 7.20 करोड़); (iv)केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सॉफ्टवेयर की खरीद (₹ 6.86 करोड़)(v)एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 132.21 करोड़) (vi)एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹ 1.58 करोड़) और (vii) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता परियोजना के कार्यान्वयन हेतु निधियां (₹ 1 करोड़)।</p>	<p>as grant to Chenab Valley Power Projects Private Limited (CVPPPL)' (₹ 409.12 crore); (iii) funds for 'Government of India fully serviced bond issue expenditure and interest (Power Finance Corporation Bond)' (₹ 7.20 crore); (iv) procurement of software by Central Electricity Authority (CEA) (₹ 6.86 crore);(v)Grants for creation of Capital Assets under the Scheme Integrated Power Development Scheme (IPDS)(₹ 132.21 crore); (vi) Grants-in-aid General under the Scheme Integrated Power Development Scheme (IPDS)(₹ 1.58 crore); and (vii) funds for implementation of United Nation Development Programme (UNDP) assisted project of Bureau of Energy Efficiency (BEE) (₹ 1 crore).</p>
<p>अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 577.83 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए और अनुदान के इसी भाग में ₹ 110.14 करोड़ की बचतों का उपयोग करने के बाद उपर्युक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।</p>	<p>Taking into account the surrender of savings of ₹ 577.83 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 110.14 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any cash outgo.</p>
<p>(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (₹ 6.86 करोड़) और विद्युत अपीलीय अधिकरण (₹ 0.22 करोड़) में वेतन और अन्य स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने हेतु निधियां मुहैया कराना। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 5.48 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए और अनुदान के इसी भाग में ₹ 1.60 करोड़ की बचतों का उपयोग करने के बाद उपर्युक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।</p>	<p>(c) providing funds to meet Salaries and other establishment related expenditure in Central Electricity Authority (CEA) (₹ 6.86 crore) and Appellate Tribunal for Electricity (APTEL) (₹ 0.22 crore). Taking into account the surrender of savings of ₹ 5.48 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 1.60 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any cash outgo.</p>
<p>(घ) विद्युत वित्त निगम द्वारा बोनस शेयर जारी करके ₹ 296.25 करोड़ का अतिरिक्त इक्विटी निवेश। इस व्यय के समतुल्य पूंजी प्राप्ति होगी और कोई नकद व्यय नहीं होगा।</p>	<p>(d) additional equity investment of ₹ 296.25 crore by way of issue of Bonus shares by Power Finance Corporation. This expenditure will be matched by capital receipts and shall not entail any cash outgo.</p>
<p>(ङ) एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के अंतर्गत ऋण और अग्रिमों के रूप में ₹ 165.71 करोड़ की निधि। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p>	<p>(e) additional funds amounting to ₹ 165.71 crore as loans and advances under Integrated Power Development Scheme (IPDS). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>

मांग संख्या DEMAND NO. 70

लोक सभा

LOK SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 72 देखिये)

(See page 72 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	1.00	...	1.00
	स्वीकृत:	Voted:	623.29	...	623.29
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित:	Charged:	0.15	...	0.15
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	624.44	...	624.44	
	भारित:	Charged:	1.15	...	1.15
	स्वीकृत:	Voted:	623.29	...	623.29
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	भारित: 2011 - Parliament/State/Union Territory Legislatures	Charged:	...	0.15	0.15

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

प्रभारित भाग के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के घरेलू यात्रा खर्च हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.15 करोड़)।

अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required for:

meeting the additional expenditure for Domestic Travel Expenses of Speaker and Deputy Speaker under Charged Section (₹ 0.15 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 74

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 42-43 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 67 देखिये)

(See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 42-43 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 67 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: ...	10.00	10.00
	स्वीकृत:	Voted: 52859.00	54707.00	107566.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.03	31972.69	31972.72
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 2041.41	0.01	2041.42
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	54900.44	86689.70	141590.14
	भारित:	Charged: ...	10.00	10.00
	स्वीकृत:	Voted: 54900.44	86679.70	141580.14

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3054 - सड़क और पुल	स्वीकृत: 3054 - Roads and Bridges	Voted: ...	2041.40	(क) 2041.40	
3055 - सड़क परिवहन	स्वीकृत: 3055 - Road Transport	Voted: 0.01 (ख)	...	0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.01	2041.40	2041.41	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5054 - सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges	Voted: 0.01 (ग)	...	0.01	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	2041.40	2041.42	

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3054 - सड़क और पुल	3054 - Roads and Bridges	...	(-) 2041.40	(-) 2041.40

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) केन्द्रीय सड़क निधि को निधियों का अन्तर खाता अंतरण (₹ 2041.40 करोड़)।
- (ii) (क) केन्द्रीय सड़क निधि से सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए लघु निर्माण कार्यों के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 2041.40 करोड़)। व्यय के समतुल्य केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त हुई है।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) inter account transfer of funds to Central Road Fund (₹ 2041.40 crore).
- (ii) meeting additional expenditure under Minor Works for repairs and maintenance of roads to be met from Central Road Fund (₹ 2041.40 crore). The expenditure is matched by recoveries from Central Road Fund.

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) (i) असंगठित क्षेत्र में वाहन चालकों हेतु पुनश्चर्चा प्रशिक्षण स्कीम और मानव संसाधन विकास के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान मुहैया कराना (₹ 10 करोड़)।
- (ii) राष्ट्रीय डाटाबेस नेटवर्क के अंतर्गत जनशक्ति संसाधनों को किराए पर रखने हेतु अन्य प्रभारों और हार्डवेयर मदों की खरीद हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 7 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ग) (i) सड़क प्रभाग की बाह्य सहायता प्राप्त स्कीमों हेतु प्रतिरूप निधि के अंतर्गत प्रमुख निर्माण कार्यों पर व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 820 करोड़)।
- (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य के अंतर्गत प्रमुख निर्माण कार्यों पर व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 189 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, this will not entail any additional cash outgo.

- (b) (i) providing Grants for creation of Capital Assets under the scheme of Refresher Training of Drivers in unorganised sector and Human Resource Development (₹ 10 crore).
- (ii) meeting additional expenditure under Other Charges for hiring of manpower resources and procurement of hardware items under National Database Network (₹ 7 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) (i) meeting additional expenditure under Major Works for counterpart funding in respect of externally aided schemes of Roads Wing (₹ 820 crore).
- (ii) meeting expenditure on Major Works under National Highways Original Works (₹ 189 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 75

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 44 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 68 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 44 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 68 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	138539.80	...	138539.80
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	18004.25	1.00	18005.25
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	898.98	...	898.98
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	157443.03	1.00	157444.03
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 116.73 (कa)	...	116.73
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 782.25 (खb)	...	782.25
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 898.98	...	898.98

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान देना (₹ 216.73 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 100 करोड़ की बचत को देखते हुए, इसमें ₹ 116.73 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।
- (ख) प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान देना (₹ 783.27 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 1.02 करोड़ की बचत को देखते हुए, इसमें ₹ 782.25 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing Grants for creation of Capital Assets under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojna-Gramin (₹ 216.73 crore)
Taking into account the savings of ₹ 100 crore available within the same section of the Grant, it will entail a net cash outgo of ₹ 116.73 crore.
- (b) providing Grants for creation of Capital Assets under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojna-Gramin (₹ 783.27 crore)
Taking into account the savings of ₹ 1.02 crore available within the same section of the Grant, it will entail a net cash outgo of ₹ 782.25 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 77

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 79 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)

(See page 79 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 46 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
स्वीकृत:	Voted:	4481.83	14.47	4496.30
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4481.88	14.47	4496.35
भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
स्वीकृत:	Voted:	4481.86	14.47	4496.33

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत: 3425 -Other Scientific Research	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)		0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for:

- | | |
|---|--|
| <p>(क) 1. सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराने हेतु (i) स्वायत्त संस्थान और व्यावसायिक निकाय (₹ 24 करोड़) (ii) विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम (₹ 10 करोड़) (iii) अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक आयोजना (₹ 7 करोड़)। 2. पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) स्वायत्त संस्थान और व्यावसायिक निकाय (₹ 16 करोड़) (ii) अनुसंधान और विकास सहायता (₹ 20 करोड़) (iii) प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (₹ 30 करोड़) (iv) जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम (₹ 15 करोड़) (v) राष्ट्रीय नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी मिशन (₹ 30 करोड़) (vi) अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक आयोजना (₹ 10 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 162 करोड़ की बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p> | <p>(a) 1. providing Grants-in-aid General for (i) Autonomous Institute and Professional Bodies (₹ 24 crore) (ii) Disha Programme for women in Science (₹ 10 crore) (iii) Special Component Plan for Scheduled Castes (SERB) (₹ 7 crore) 2. Grants for creation of capital assets for (i) Autonomous Institute and Professional Bodies (₹ 16 crore) (ii) Research & Development Support (₹ 20 crore) (iii) Technology Development Programme (₹ 30 crore) (iv) Climate Change Programme (₹ 15 crore) (v) National Mission on Nano Science and Nano Technology (₹ 30 crore) (vi) Special Component Plan for Scheduled Castes (SERB) (₹ 10 crore)</p> <p>Taking into account the savings of ₹ 162 crore available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
| <p>(ख) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड हेतु सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना (₹ 20 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p> | <p>(b) providing Grants-in-aid General for Technology Development Board (₹ 20 crore)</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |

मांग संख्या DEMAND NO. 78

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 देखिये)

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	4056.25	6.55	4062.80
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	1.76	...	1.76
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4058.01	6.55	4064.56
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत: 3425 -Other Scientific Research	Voted: 0.01 (का)	1.75 (खb)	1.76

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्न के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (i) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अन्तर्गत सीएसआरआर (₹ 118.93 करोड़) (ii) सीइएल (₹ 2.25 करोड़), (iii) एनआरडीएस (₹ 0.18 करोड़) (iv) पीएसीइ (₹ 1.45 करोड़) 2. राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अन्तर्गत सीएसआईआर का सामान्य सहायता अनुदान (₹ 30.07 करोड़) और 3. बीआईआरडी-सीआईटीडीएच के लिए पूंजीगत आस्तियां सृजित करने के लिए अनुदान (₹ 1.19 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अन्तर्गत सीएसआईआर के लिए सहायता अनुदान मुहैया कराना (₹ 2.86 करोड़)। इस अनुदान के इसी भाग में ₹ 1.11 करोड़ बचत और इस अनुदान के पूंजीगत आस्तियों के उपलब्ध ₹ 1.75 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय पर कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

- (a) providing 1. Grants-in-aid General to (i) CSIR under National Laboratories (₹ 118.93 crore) (ii) CEL (₹ 2.25 crore), (iii) NRDC (₹ 0.18 crore) (iv) PACE (₹ 1.45 crore) 2. Grants-in-aid Salaries to CSIR under National Laboratories (₹ 30.07 crore) and 3. Grants for creation of Capital Assets to BIRD- CRTDH (₹ 1.19 crore)
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing Grants-in-aid General to CSIR under National Laboratories (₹ 2.86 crore).
- Taking into account the savings of ₹ 1.11 crore in the same section of the Grant and the surrender of savings of ₹ 1.75 crore available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 80

नौवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 71 देखिये)

(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 71 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1479.15	361.35	1840.50
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.04	56.24	56.28
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	30.05	28.37	58.42
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1509.24	445.96	1955.20
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3451 -Secretariat-Economic Services	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
3051 - पत्तन और प्रकाश स्तम्भ	स्वीकृत: 3051 -Ports and Light Houses	Voted: 0.01 (गc)	30.00 (घd)	30.01
3052 - नौवहन	स्वीकृत: 3052 -Shipping	Voted: ...	0.01 (ङe)	0.01
3056 - अंतर्देशीय जल परिवहन	स्वीकृत: 3056 -Inland Water Transport	Voted: ...	0.01 (चf)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.02	30.03	30.05
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5051 - बंदरगाह और प्रकाश गृहों पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत: 5051 - Capital Outlay on Ports and Light Houses	Voted: 28.37 (छg)	...	28.37
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 28.39	30.03	58.42

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 1.50 करोड़)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) केंद्रीय अंतरदेशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड से भूमि के 5 पार्सलों हेतु भारतीय अंतरदेशीय जल प्राधिकरण को पूँजीगत आसक्तियों के सृजन हेतु अनुदान मुहैया कराना (₹ 18.30 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) (i) स्वच्छता संबंधी कार्यकलापों के लिए (क) कोलकाता पत्तन न्यास (₹ 30 करोड़) (ख) चेन्नई पत्तन न्यास (₹ 3.29 करोड़) (ग) कोचीन पत्तन न्यास (₹ 2.61 करोड़) और (घ) मुरमुगाव पत्तन न्यास (₹ 2.10 करोड़) के लिए सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure under Professional Services (₹ 1.50 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing Grant for creation of Capital Assets to Inland Water Authority of India for taking over 5 parcels of land from Central Inland Water Transport Corporation Limited (₹ 18.30 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) (i) providing Grants-in-aid General to (a) Kolkata Port Trust (₹ 30 crore), (b) Chennai Port Trust (₹ 3.29 crore), (c) Cochin Port Trust (₹ 2.61 crore) and (d) Mormugao Port Trust (₹ 2.10 crore) for swachhta activities.

(ii) भूमिगत पैदल पथ के निर्माण के लिए कोचीन पत्तन न्यास को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान मुहैया कराना (₹ 4.45 करोड़)	(ii) providing Grants for creation of Capital Assets to Cochin Port Trust for construction of subway (₹ 4.45 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ) (i) बिजली संबंधी बकायों की प्राप्ति में बढ़ोतरी के कारण अतिरिक्त प्रारक्षित मुहैया कराना (₹ 28 करोड़)।	(d) (i) providing additional Reserve due to increase in receipt of Lighthouse dues (₹ 28 crore).
(ii) लाइटहाउस एवं लाइटशिप महानिदेशालय को सीमा शुल्क का भुगतान (₹ 0.15 करोड़) करने और नए जलयानों के अनुरक्षण एवं प्रबंधन हेतु व्यावसायिक कर्मियों की आऊटसोर्सिंग (₹ 5 करोड़) के लिए व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(ii) meeting additional expenditure under Professional Services for Directorate General of Lighthouses and Lightships to make payment of custom fee (₹ 0.15 crore) and outsourcing professional personnel for maintenance and management of new vessels (₹ 5 crore).
(iii) प्रमुख पत्तनों हेतु प्रशुल्क प्राधिकरण को प्रकाशन (₹ 1.28 करोड़) और वेतन अनुदान सहायता (₹ 0.56 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना।	(iii) providing Grants-in-aid-General to Tariff Authority for Major Ports for meeting additional expenditure under Publication (₹ 1.28 crore) and Grant-in-aid-Salaries (₹ 0.56 crore).
(iv) अंडमान एवं लक्षद्वीप हार्बर निर्माण कार्य हेतु लघु निर्माण कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (1.80 करोड़ रुपए) बिजली संबंधी बकायों की संवर्द्धित प्राप्ति को देखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों का उपयोग करने के बाद उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(iv) meeting additional expenditure under Minor Works for Andaman & Lakshadweep Harbour Works (₹ 1.80 crore). Taking into account the increased receipts of Lighthouse dues and after utilising the savings available within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ङ) राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड हेतु व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.10 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(e) meeting additional expenditure under Professional Services for National Shipping Board (₹ 0.10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च) (i) भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण को वेतन अनुदान सहायता मुहैया कराना (₹ 10 करोड़)	(f) (i) providing Grants-in-aid-Salaries to Inland Water Authority of India (₹ 10 crore).
(ii) केंद्रीय अंतरदेशीय जलमार्ग परिवहन निगम को वेतन अनुदान सहायता मुहैया कराना (₹ 0.30 करोड़)	(ii) providing Grant-in-aid-Salaries to Central Inland Water Transport Corporation (₹ 0.30 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ) (i) अंडमान और लक्षद्वीप हार्बर निर्माण कार्य द्वारा 2 टग की आपूर्ति हेतु प्रमुख निर्माण कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 28.42 करोड़)	(g) (i) meeting additional expenditure under Major Works towards supply of 2 Tugs by Andaman & Lakshadweep Harbour Works (₹ 28.42 crore).
(ii) अंडमान और लक्षद्वीप हार्बर निर्माण कार्य द्वारा आपूर्तिकर्ताओं और एजेंसियों को वचनबद्ध भुगतान करने हेतु प्रमुख निर्माण कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 3.09 करोड़)	(ii) meeting additional expenditure under Major Works for making committed payment to suppliers and agencies by Andaman & Lakshadweep Harbour Works (₹ 3.09 crore).
(iii) सागरमाला परियोजना हेतु प्रमुख निर्माण कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 1.61 करोड़)	(iii) meeting additional expenditure under Major Works for Sagarmala Project (₹ 1.61 crore).
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए और अनुदान के इसी भाग में बचतों का उपयोग करने के बाद उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 81

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 72 देखिये)

(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 47 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 72 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	1770.55	33.73	1804.28	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	368.74	...	368.74	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2139.30	33.73	2173.03	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2230 - श्रम और रोजगार	स्वीकृत: 2230 -Labour and Employment	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

केन्द्रीय निधि पोषित संस्थानों के लिए वेतन के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 5 करोड़) प्रशिक्षण महानिदेशालय से संबंधित प्रकाशन हेतु लंबित बिलों के लिए (₹ 33.10 करोड़; कौशल विकास पहल की उप-स्कीम के तहत राज्यों की लंबित देनदारियों के निपटान के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 140 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

Meeting additional requirement (₹ 5 crore) towards Salaries for Central Funded Institutes; (₹ 33.10 crore) towards publication for pending bills pertaining to Directorate General of Training and (₹ 140 crore) towards Grants-in-Aid General for clearing the pending liabilities of States under the sub scheme of Skill Development Initiatives.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 82

सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 48 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 73 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 48 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 73 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	6226.95	339.00	6565.95	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	0.05	...	0.05	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	30.45	...	30.45	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6257.45	339.00	6596.45	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	स्वीकृत: 2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted:	16.00 (गc)	...	16.00
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	1.00 (घd)	...	1.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	13.43 (ङe)	...	13.43
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	30.44	0.01	30.45

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235 - Social Security and Welfare	(-)16.00	...	(-)16.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (क) व्यय को पूरा करने हेतु 1. स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (i) अनुसूचित जाति हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (₹ 10 करोड़) (ii) अनुसूचित जाति हेतु सर्वोच्च स्तरीय शिक्षा (₹ 10 करोड़) 2. अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों और छात्राओं हेतु छात्रावास स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 0.50 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) Meeting additional expenditure towards 1. Grant-in-aid General under the scheme (i) Assistance to Voluntary Organisation for SCs (₹ 10 crore) (ii) Top Class Education for SCs (₹ 10 crore) 2. Grants for creation of Capital Assets under the scheme Boys and Girls Hostel for OBCs (₹ 0.50 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.10 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) निम्न योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) मदय और द्रव्य (औषधि) दुरुपयोग निवारण (₹ 7 करोड़) (ii) बुजुर्गों से संबंधित कार्यक्रम हेतु स्वैच्छिक संगठन को सहायता (₹ 16 करोड़)।
- अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों और वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि से पूरा किए गए ₹ 16 करोड़, को देखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।
- (घ) अनुसूचित जाति हेतु मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 1 करोड़)।
- अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 1 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ङ) स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का विकास (₹ 3.44 करोड़) (ii) अनुसूचित जाति हेतु मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति (₹ 9.99 करोड़)।
- अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 9.99 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए इसमें ₹ 3.44 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (b) Meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme National Commission for Backward Classes (₹ 0.10 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme (i) Prevention of Alcoholism and Substances (Drugs) Abuse (₹ 7 crore) and (ii) Assistance to Voluntary Organisation for Programme relating to aged (₹ 16 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, and ₹ 16 crore met from Senior Citizen Welfare Fund, this will not entail any additional cash outgo.
- (d) Meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Post Matric Scholarship for SCs (₹ 1 crore).
- Taking into account the surrender of savings of ₹ 1 crore available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (e) Meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme (i) Development of Economically Backward Classes (₹ 3.44 crore) (ii) Post Matric Scholarship for SCs (₹ 9.99 crore).
- Taking into account the surrender of savings of ₹ 9.99 crore available within the Capital section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 3.44 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 83

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग

DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 74 देखिये)

(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 74 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	753.56	30.00	783.56
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	753.60	30.00	783.60
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- निम्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) दिव्यांगजनों हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप (₹ 4.12 करोड़) (ii) दिव्यांगजनों हेतु उच्च स्तरीय शिक्षा (0.45 करोड़) (iii) मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (₹ 2.50 करोड़) (iv) मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति (₹ 3.04 करोड़) (v) राष्ट्रीय न्यास को बजटीय सहायता (₹ 1.80 करोड़) (vi) स्टेट स्पाइन्ल इनजुरी सेंटर की स्थापना (₹ 1 करोड़) (vii) बधिर महाविद्यालय (₹ 0.81 करोड़) (viii) जागरूकता अभियान और प्रचार (₹ 0.50 करोड़) (ix) राष्ट्रीय अंध, बधिर, मानसिक रूप से विकृष्ट और दिव्यांगजन संस्थान (₹ 17.15 करोड़) (x) संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (₹ 0.60 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) अतिरिक्त व्यय पूरा करना 1. स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (i) राष्ट्रीय अंध, बधिर, मानसिक रूप से विकृष्ट और दिव्यांगजन संस्थान (₹ 1.67 करोड़) (ii) भारतीय पुनर्वास परिषद (₹ 0.03 करोड़) 2. स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता (i) राष्ट्रीय अंध, बधिर, मानसिक रूप से विकृष्ट और दिव्यांगजन संस्थान (₹ 3.61 करोड़) (ii) भारतीय पुनर्वास परिषद (₹ 0.20 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

- (a) Meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme (i) National Fellowship for PWDs (₹ 4.12 crore) (ii) Top Class Education for PWDs (₹ 0.45 crore) (iii) Pre Matric Scholarship (₹ 2.50 crore) (iv) Post Matric Scholarship (₹ 3.04 crore) (v) Budgetary Support of National Trust (₹ 1.80 crore) (vi) Setting up of State Spinal Injuries Centre (₹ 1 crore) (vii) College for Deaf (₹ 0.81 crore) (viii) Awareness generation and Publicity (₹ 0.50 crore) (ix) National Institute for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and the Orthopedically Handicapped (₹ 17.15 crore) (x) Establishment of Institute of Sign Language Research and Training (₹ 0.60 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) Meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General under the scheme (i) National Institute for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and the Orthopedically Handicapped (₹ 1.67 crore) (ii) Rehabilitation Council of India (₹ 0.03 crore) 2. Grants-in-aid Salaries under the scheme (i) National Institute for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and the Orthopedically Handicapped (₹ 3.61 crore) (ii) Rehabilitation Council of India (₹ 0.20 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ग) स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) दिव्यांगजनों हेतु उच्च स्तरीय शिक्षा (₹ 0.06 करोड़) (ii) मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (₹ 0.60 करोड़) (iii) मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति (₹ 0.80 करोड़) (iv) राष्ट्रीय न्यास को बजटीय सहायता (₹ 0.20 करोड़) (v) राष्ट्रीय अंध, बधिर, मानसिक रूप से विकसित और दिव्यांगजन संस्थान (₹ 2.72 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) Meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme (i) Top Class Education for PWDs (₹ 0.06 crore) (ii) Pre Matric Scholarship (₹ 0.60 crore) (iii) Post Matric Scholarship (₹ 0.80 crore) (iv) Budgetary Support for National Trust (₹ 0.20 crore) (v) National Institute for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and the Orthopedically Handicapped (₹ 2.72 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 84

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 49 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 75 देखिये)

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 49 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 75 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित:	Charged:	0.60	0.40	1.00
स्वीकृत:	Voted:	4155.38	3352.76	7508.14
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1.14	535.00	536.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	299.14	0.01	299.15
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4456.26	3888.17	8344.43
भारित:	Charged:	0.60	0.40	1.00
स्वीकृत:	Voted:	4455.66	3887.77	8343.43
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3402 - अंतरिक्ष अनुसंधान	स्वीकृत: 3402 -Space Research	Voted: 299.13 (कa)	0.01 (खb)	299.14
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5402 - अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5402 - Capital Outlay on Space Research	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 299.14	0.01	299.15

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (क) व्यय को पूरा करने हेतु (i) विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (115.33 करोड़ रुपए) (ii) तरल नोदन प्रणाली केंद्र (28 करोड़ रुपए) (iii) इसरो सैटेलाइट केंद्र (87.75 करोड़ रुपए) (iv) अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (62.30 करोड़ रुपए) (v) जीसैट-18 सैटेलाइट (3.75 करोड़ रुपए) (vi) भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (2 करोड़ रुपए)।
अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।
- (ख) (ख) राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला हेतु वेतन अनुदान सहायता मुहैया कराना (1.40 करोड़ रुपए)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) (ग) मशीनरी और उपस्कर मुहैया कराने हेतु (i) पोलर सैटेलाइट लांच व्हीकल (5 करोड़ रुपए) (ii) इसरो सैटेलाइट केंद्र (0.75 करोड़ रुपए) (iii) जीसैट-15 सैटेलाइट (0.60 करोड़ रुपए)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting expenditure towards (i) Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) (₹ 115.33 crore) (ii) Liquid Propulsion Systems Centre (₹ 28 crore) (iii) ISRO Satellite Centre (₹ 87.75 crore) (iv) Space Application Centre (₹ 62.30 crore) (v) GSAT-18 Satellite (₹ 3.75 crore) (vi) Grants for creation of capital assets towards Indian Institute of Space Science & Technology (₹ 2 crore)
Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (b) providing Grants-in-aid Salaries towards National Atmospheric Research Laboratory (₹ 1.40 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) providing Machinery & Equipments towards (i) Polar Satellite Launch Vehicle (₹ 5 crore) (ii) ISRO Satellite Centre (₹ 0.75 crore) (iii) G-SAT-15 Satellite (₹ 0.60 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 85

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 50 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 50 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 77 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	4724.83	28.00	4752.83
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	7.00	...	7.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4731.84	28.00	4759.84
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3454 - जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	स्वीकृत: 3454 -Census Surveys and Statistics	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 8 करोड़) और सहायता अनुदान वेतन (₹ 5 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 13 करोड़ की बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

providing Grants-in-aid General (₹ 8 crore) and Grants-in-aid Salary (₹ 5 crore) for Indian Statistical Institute, Kolkata.

Taking into account the savings of ₹ 13 crore available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 86

इस्पात मंत्रालय

MINISTRY OF STEEL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 78 देखिये)

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 78 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 85.62	...	85.62
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged: ...	110.00	110.00
	स्वीकृत:	Voted: 42.53	200.00	242.53
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 110.00	...	110.00
	स्वीकृत:	Voted: 200.00	...	200.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	438.15	310.00	748.15
	भारित:	Charged: 110.00	110.00	220.00
	स्वीकृत:	Voted: 328.15	200.00	528.15
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852 - उद्योग	भारित: 2852 - Industries	Charged: ...	110.00 (का)	110.00
	स्वीकृत:	Voted: ...	200.00 (खब)	200.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	310.00	310.00
	भारित:	Charged: ...	110.00	110.00
	स्वीकृत:	Voted: ...	200.00	200.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर एचएससीएल की वीआरएस दायित्वों हेतु अनुदान के रूप में राजस्व भाग के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करना (₹ 110 करोड़)। पूंजी भाग में बचत उपलब्ध है।
- (ख) बैंक ऋण के पुनर्भुगतान हेतु एचएससीएल को अनुदान के रूप में राजस्व भाग के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 200 करोड़)। पूंजी भाग में बचत उपलब्ध है।
- अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 310 करोड़ की बचतों के अभ्यर्षण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for:

- (a) Meeting the additional requirement under revenue section (₹ 110 crore) as grant for VRS liabilities of HSCL on the basis of Supreme Court judgement. The savings is available in capital section.
- (b) Meeting the additional requirement under revenue section (₹ 200 crore) as grant to HSCL for repayment of Bank Loans. The savings is available in Capital Section.
- Taking into account the surrender of savings of ₹ 310 crore available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 87

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 51 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 79 देखिये)

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 51 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 79 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	4574.30	20.52	4594.82
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	2021.32	168.10	2189.42
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.04	...	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6595.66	188.62	6784.28
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries	Voted: 0.01 (खब)	0.01 (गक)	0.02
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: 0.01 (घद)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.03	0.01	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सरल विद्युतकरघा का इनसीटू उन्नयन स्कीम के अंतर्गत लंबित दावों के निपटान हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु (₹ 1 करोड़) और पूर्वोत्तर क्षेत्र कपड़ा संवर्धन स्कीम के अंतर्गत लंबित दावों के निपटान हेतु सामान्य सहायता अनुदान के लिए (₹ 10 करोड़) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) अनुसंधान एवं विकास (हस्तशिल्प) स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) की लंबित दायित्वाओं को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु (₹ 4.50 करोड़); मानव संसाधन विकास (हस्तशिल्प) स्कीम के अंतर्गत लंबित प्रतिपूर्ति के निपटान हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़) और व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास कार्यक्रम - हस्तशिल्प मेगा कलस्टर स्कीम के अंतर्गत कलस्टर प्रबंधन और तकनीकी एजेंसियों के लंबित दावों के निपटान के लिए व्यावसायिक सेवाओं के लिए (₹ 1 करोड़) अतिरिक्त धनराशि।

The supplementary grants are required for:

- (a) Meeting additional requirement (₹ 1 crore) towards Grants for Creation of Capital Assets for settlement of pending claims under the scheme In-situ Upgradation of Plain Powerloom and (₹ 10 crore) towards Grants in Aid General for settlement of pending claims under the scheme NER Textile Promotion Scheme.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) Meeting additional amount of (₹ 4.50 crore) towards Grants-in-Aid General for meeting the pending liabilities of National Institute of Fashion Technology (NIFT) and other agencies under the scheme Research & Development (Handicraft); (₹ 2 crore) towards Grants-in-Aid General for settlement of pending reimbursement under the scheme Human Research Development (Handicraft) and (₹ 1 crore) towards Professional Services for settlement of pending claims of Cluster Management and Technical Agencies under the scheme Comprehensive handicraft Cluster Development programme - Handicraft Mega Cluster.

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) रेशम उद्योगों के विकास हेतु केंद्रीय रेशम बोर्ड स्कीम के अंतर्गत वेतन एवं भत्तों, मजदूरी, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों पर प्रतिबद्ध खर्चों के भुगतान के लिए सहायता अनुदान वेतन के लिए (₹ 7.50 करोड़) अतिरिक्त धनराशि की पूर्ति करना।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) मानव संसाधन विकास स्कीम के अंतर्गत प्रतिबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए सहायता अनुदान हेतु (₹ 45 करोड़) और जूट सहित तकनीकी कपड़ा स्कीम के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली एवं कानपुर के फोकस इनक्यूबेशन सेंटर (एफआईसी) के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए (₹ 9.01 करोड़) अतिरिक्त धनराशि।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (c) Meeting additional amount of (₹ 7.50 crore) towards Grants-in-Aid Salaries for payment of salaries & allowances, wages, pension and retirement benefits under the scheme Central Silk Board-Grants towards Development of Silk Industries.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Meeting additional amount of (₹ 45 crore) towards Grants-in-Aid General for setting up of the committed liabilities under the scheme Human Resource Development and (₹ 9.01 crore) towards Grants for Creation of Capital Assets under Focus Incubation Centre (FIC) to Indian Institutes of Technology (IIT) Delhi and Kanpur under the scheme Technical Textile including Jute.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 88

पर्यटन मंत्रालय

MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 81 देखिये)

(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 81 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1589.27	1.05	1590.32
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	80.61	...	80.61
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1669.89	1.05	1670.94
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3452 - पर्यटन	स्वीकृत: 3452 -Tourism	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

स्वदेश दर्शन-विषय आधारित पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 185.44 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए संकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

providing Grants-in-aid General under Swadesh Darshan -Integrated Development of Theme-Based Tourist Circuits (₹ 185.44 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 89

जनजातीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 53 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 82 देखिये)

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 53 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 82 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 3988.36	...	3988.36
	स्वीकृत:	Voted: 768.14	70.00	838.14
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged: 3.21	...	3.21
	स्वीकृत:	Voted: 0.52	...	0.52
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 121.17	...	121.17
	स्वीकृत:	Voted: 1.51	...	1.51
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4882.91	70.00	4952.91
	भारित:	Charged: 4112.74	...	4112.74
	स्वीकृत:	Voted: 770.17	70.00	840.17
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	स्वीकृत: 2251 -Secretariat-Social Services	Voted: 1.00 (कa)	...	1.00
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	स्वीकृत: 2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	Voted: 0.01 (खb)	0.50 (गc)	0.51
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	भारित: 3601 - Grants-in-aid to State Governments	Charged: 121.17 (घd)	...	121.17
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	122.18	0.50	122.68
	भारित:	Charged: 121.17	...	121.17
	स्वीकृत:	Voted: 1.01	0.50	1.51

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) सचिवालय के अंतर्गत वेतन हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 1 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

(ख) अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप और छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 30 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

(a) Meeting additional expenditure towards salary under Secretariat (₹ 1 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

(b) Meeting additional expenditure towards Scholarship under the scheme National Fellowship and Scholarship for Higher Education of ST Students (₹ 30 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- | | |
|--|---|
| <p>(ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग स्कीम के अंतर्गत वेतन हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.50 करोड़)।
उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।</p> <p>(घ) अतिरिक्त व्यय पूरा करना 1. विशेषरूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों के विकास संबंधी स्कीम (₹ 75.17 करोड़) अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा हेतु अम्ब्रैला स्कीम (₹ 36 करोड़) के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता। 2. विशेषरूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों के विकास संबंधी स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 10 करोड़)।</p> <p>अनुदान के राजस्व पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(c) Meeting additional expenditure towards salary under the scheme National Commission for Scheduled Tribes (₹ 0.50 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo.</p> <p>(d) Meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General under the scheme Development of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) (₹ 75.17 crore) Umbrella scheme for Education of ST Children (₹ 36 crore) 2. Grants for creation of capital assets under the scheme Development of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) (₹ 10 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p> |
|--|---|

मांग संख्या DEMAND NO. 90

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 83 देखिये)

(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 83 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
				(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:	Charged:	0.01	...	0.01	
	स्वीकृत:	Voted:	3460.43	683.58	4144.01	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:	Voted:	...	0.01	0.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
	स्वीकृत:	Voted:	620.43	0.09	620.52	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4080.87	683.68	4764.55	
	भारित:	Charged:	0.01	...	0.01	
	स्वीकृत:	Voted:	4080.86	683.68	4764.54	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:						
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:						
				आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	Ministry of Communications and Information Technology					
3225 - संचार सेवाएं	स्वीकृत: 3225 -Telecommunication Services	Voted:	54.00 (का)	...	54.00	
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	Ministry of Health and Family Welfare					
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted:	12.00 (खb)	...	12.00	
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs					
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत: 2052 -Secretariat-General Services	Voted:	...	0.01 (गc)	0.01	
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत: 2070 -Other Administrative Services	Voted:	2.15 (घd)	...	2.15	
2014 - न्याय प्रशासन	स्वीकृत: 2014 -Administration of Justice	Voted:	0.51 (ङe)	...	0.51	
2055 - पुलिस	स्वीकृत: 2055 -Police	Voted:	1.44 (चf)	8.00 (छg)	9.44	
विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	Department of School Education and Literacy					
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted:	21.63 (जh)	...	21.63	
उच्चतर शिक्षा विभाग	Department of Higher Education					
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted:	11.34 (झi)	6.00 (ञj)	17.34	
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises					
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries	Voted:	0.18 (टk)	...	0.18	
विद्युत मंत्रालय	Ministry of Power					
2801 - विद्युत	स्वीकृत: 2801 -Power	Voted:	14.14 (ठl)	477.32 (डm)	491.46	

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		Ministry of Road Transport and Highways				
3054 - सड़क और पुल	स्वीकृत:	3054 -Roads and Bridges	Voted:	1.81 (दंन)	...	1.81
ग्रामीण विकास मंत्रालय		Ministry of Rural Development				
2215 - जलापूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत:	2215 -Water Supply and Sanitation	Voted:	0.80 (ण०)	...	0.80
2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत:	2515 -Other Rural Development Programmes	Voted:	0.80 (त०प)	...	0.80
नौवहन मंत्रालय		Ministry of Shipping				
3052 - नौवहन	स्वीकृत:	3052 -Shipping	Voted:	4.00 (थ०)	0.01 (द०र)	4.01
महिला और बाल विकास मंत्रालय		Ministry of Women and Child Development				
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत:	2235 -Social Security and Welfare	Voted:	4.28 (ध०स)	0.01 (न०त)	4.29
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	129.08	491.35	620.43
पूँजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		Ministry of Environment, Forests and Climate Change				
4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत:	4406 - Capital Outlay on Forestry and Wild Life	Voted:	0.01 (प०u)	...	0.01
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs				
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत:	4250 - Capital Outlay on other Social Services	Voted:	0.01 (फ०v)	...	0.01
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		Ministry of Road Transport and Highways				
5054 - सड़क और पुलों पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत:	5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges	Voted:	0.01 (ब०w)	...	0.01
नौवहन मंत्रालय		Ministry of Shipping				
5051 - बंदरगाह और प्रकाश गृहों पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत:	5051 - Capital Outlay on Ports and Light Houses	Voted:	0.01 (भ०x)	...	0.01
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development				
4055 - पुलिस पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत:	4055 - Capital Outlay on Police	Voted:	0.01 (म०y)	...	0.01
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत:	4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	Voted:	0.01 (य०z)	...	0.01
4515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत:	4515 - Capital Outlay on Other Rural Development Programmes	Voted:	0.01 (क०क०aa)	...	0.01
5425 - अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत:	5425 - Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	Voted:	0.01 (क०ख०ab)	...	0.01
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय		Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation				
4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत:	4711 - Capital Outlay on Flood Control Projects	Voted:	0.01 (क०ग०ac)	...	0.01
जोड़ (पूँजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	0.09	...	0.09
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	129.17	491.35	620.52

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सैटेलाइट ट्रांसपोंडरों को किराए पर लेने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 54 करोड़)।
उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (ख) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान सोसायटी (एएनआईएमईआरएस) के संबंध में सामान्य अनुदान सहायता (₹ 1.50 करोड़ रुपए) और वेतन अनुदान सहायता (₹ 4.50 करोड़) हेतु व्यय पूरा करना और स्वास्थ्य बीमा हेतु अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्कीम (एएनआईएसएचआई) के अंतर्गत आवश्यकताओं को पूरा करना (₹ 6 करोड़)।
उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (ग) वक्फ बोर्ड के लिए अनुदान सहायता-वेतन हेतु व्यय पूरा करना (₹ 0.06 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

- (a) Meeting additional expenditure required for hiring of satellite transponders (₹ 54 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo;
- (b) Meeting expenditure towards Grant-in- Aid General (₹ 1.50 crore) and Grant-in-Aid Salaries (4.50 crore) in respect of Andaman & Nicobar Islands Medical Education and Research Society (ANIMERS) and for meeting requirement under Andaman & Nicobar Islands Scheme for Health Insurance (ANISHI) (₹ 6 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo;
- (c) Meeting the expenditure towards Grant-in-Aid - Salaries to Waqf Board (₹ 0.06 crore).

	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	अग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण के लिए तैनात किए गए कर्मचारियों के वेतन हेतु व्यय पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त धनराशि (₹ 2.25 करोड़)।	(d)	Additional amount required for meeting the expenditure towards Salaries for personnel deployed for Fire Protection & Control (₹ 2.25 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 0.10 करोड़ की बचतों को देखते हुए, इसमें ₹ 2.15 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।		Taking into account the savings of ₹ 0.10 crore available with the same section of the grant, this will entail a Net cash outgo of ₹ 2.15 crore;
(ङ)	पोर्ट ब्लेयर में सर्किट कोर्ट के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को मजदूरी के भुगतान के व्यय को पूरा करना (₹ 0.51 करोड़)।	(e)	Meeting the expenditure towards payment of wages to employees working under Circuit court at Port Blair (₹ 0.51 crore).
	उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo;
(च)	जिला पुलिस के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में वेतन हेतु व्यय पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त धनराशि (₹ 2.22 करोड़)।	(f)	Additional amount required for meeting the expenditure towards Salaries in respect of employees working under District Police (₹ 2.22 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 0.78 करोड़ की बचतों को देखते हुए, इसमें ₹ 1.44 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।		Taking into account the savings of ₹ 0.78 crore available in the same section of the grant, this will entail a net cash outgo of ₹ 1.44 crore;
(छ)	जिला पुलिस के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में वेतन हेतु व्यय पूरा करना (₹ 8 करोड़)।	(g)	Meeting the expenditure towards Salaries in respect of employees working under District Police (₹ 8 crore).
	उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo;
(ज)	प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र हेतु वेतन (₹ 17.13 करोड़) और मध्याह्न भोजन के व्यय (₹ 4.50 करोड़) को पूरा करना।	(h)	Meeting expenditure towards salaries for Primary Education Sector (₹ 17.13 crore) and expenditure towards 'Mid Day Meals' (₹ 4.50 crore).
	उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo;
(झ)	माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत वेतन हेतु व्यय पूरा करना (₹ 11.34 करोड़)।	(i)	Meeting the expenditure towards Salaries under Secondary Education Sector (₹ 11.34 crore).
	उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo;
(ञ)	निजी स्कूलों को सहायता के लिए अनुदान सहायता-वेतन (₹ 0.50 करोड़) के व्यय को पूरा करने और माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत वेतन (₹ 6.45 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त धनराशि।	(j)	Additional amount required for meeting expenditure for Grant-in Aid-Salaries towards assistance to private school (₹ 0.50 crore) and to meet expenditure on salaries under Secondary Education Sector (₹ 6.45 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 0.95 करोड़ की बचतों को देखते हुए इसमें ₹ 6 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।		Taking into account the savings of ₹ 0.95 crore available in same section of the grant, this will entail a net cash outgo of ₹ 6 crore;
(ट)	अंडमान और निकोबार खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के लिए अनुदान सहायता-वेतन के व्यय को पूरा करना (₹ 0.18 करोड़)।	(k)	Meeting the expenditure towards Grant-in-Aid - Salaries for Andaman & Nicobar Khadi and Village Industries Board (₹ 0.18 crore).
	उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo;
(ठ)	विद्युत विभाग हेतु वेतन के अंतर्गत (₹ 8.10 करोड़) और बिजली घरों को चलाने के लिए उच्च गति डीजल (एचएसडी) की खरीद हेतु (₹ 6.04 करोड़) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना।	(l)	Meeting additional requirement under salaries for Power department (₹ 8.10 crore) and for procurement of High Speed Diesel (HSD) for running powerhouses (₹ 6.04 crore).
	उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo;
(ड)	डीजी एस एंड डी के लंबित बिलों के भुगतान के लिए अपेक्षित अतिरिक्त राशि (₹ 505.04 करोड़)।	(m)	Additional amount required for payment of pending DGS&D bills (₹ 505.04 Crore).
	अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए ₹ 196.71 करोड़ का तकनीकी पूरक अनुदान और ₹ 280.61 करोड़ का नकद पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the Capital Section of the Grant, a Technical Supplementary of ₹ 196.71 core and Cash Supplementary of ₹ 280.61 crore is sought.
(ढ)	पोर्ट ब्लेयर नगर निगम परिषद हेतु पूंजीगत आसक्तियों के सृजन के लिए अनुदान के व्यय को पूरा करना (₹ 1.81 करोड़)।	(n)	Meeting the expenditure towards Grants for creation of capital assets to Port Blair Municipal Council (₹ 1.81 crore).
	उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo;
(ण)	ग्राम पंचायत को अनुदान सहायता के अंतर्गत भुगतान करना (₹ 0.80 करोड़)।	(o)	Making payment under Grant-in-Aid to Gram Panchayat (₹ 0.80 crore).
	उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo;
(त)	जिला परिषद हेतु अनुदान सहायता-वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 0.80 करोड़)।	(p)	Meeting additional requirement under Grant-in-Aid- Salaries for Zilla Parishad (₹ 0.80 crore).
	उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo;
(थ)	अंतर-द्वीप समूह जहाजों के प्रचालन हेतु अतिरिक्त व्यय आवश्यकता को पूरा करना (₹ 4 करोड़)।	(q)	Meeting additional expenditure required for operation of inter-island vessels (₹ 4 crore).
	उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo;

(द)	अंतर-द्वीप समूह जहाजों (एमवी कोरल क्वीन की चार्टिंग के लिए) के प्रचालन हेतु अतिरिक्त व्यय आवश्यकता को पूरा करना (₹ 10.13 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(r)	Meeting additional expenditure required for operation of inter-island vessels (for chartering of MV Coral Queen) (₹ 10.13 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ध)	संघ शासित क्षेत्र बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के संबंध में व्यय को पूरा करना अर्थात् अनुदान सहायता वेतन (₹ 0.05 करोड़) और सामान्य अनुदान सहायता (₹ 0.07 करोड़) और आईसीडीएस स्कीम हेतु संघ शासित क्षेत्र पूरक अनुदान (₹ 4.16 करोड़)। उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।	(s)	Meeting expenditure in respect of Union Territory Commission for Protection of Child Rights i.e. under Grant-in-Aid-Salaries (₹ 0.05 core) and Grant-in-Aid- General (₹ 0.07 core) and for UT supplement to ICDS scheme (₹ 4.16 core). The above expenditure will entail a cash outgo;
(न)	समाज कल्याण परामर्श बोर्ड के लिए अनुदान सहायता-वेतन के व्यय को पूरा करना (₹ 0.15 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(t)	Meeting the expenditure towards Grant-in-Aid - Salaries to Social Welfare Advisory Board (₹ 0.15 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(प)	(i) वन विकास हेतु वन विभाग के संबंध में भवनों के निर्माण हेतु (₹ 0.42 करोड़), वन एवं तटीय पारिस्थितिकी प्रणाली की सुरक्षा हेतु (₹ 0.50 करोड़), वन उत्पादन हेतु (₹ 0.80 करोड़) और वन्य जीव भवन (₹ 4 करोड़) (ii) वन एवं तटीय पारिस्थितिकी प्रणाली की सुरक्षा हेतु मशीनरी की खरीद हेतु (₹ 0.27 करोड़) और (iii) चथम आरा मिल हेतु (₹ 0.15 करोड़) की अतिरिक्त व्यय आवश्यकता को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(u)	Meeting additional expenditure required (i) for construction of buildings in respect of Forest Department for development of Forest (₹ 0.42 crore), for protection of forests and coastal Eco-system (₹ 0.50 crore), for forest produce (₹ 0.80 crore) and for wild life building (₹ 4 crore); (ii) for purchase of machinery for protection of forests & coastal Eco-system (₹ 0.27 crore) and (iii) for Chatham Saw Mill (₹ 0.15 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(फ)	आपदा प्रबंधन के लिए भवन के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 0.99 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(v)	Meeting additional expenditure for construction of building for Disaster Management (₹ 0.99 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ब)	ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 3 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(w)	Meeting additional expenditure for construction of rural roads (₹ 3 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(भ)	जनजातीय क्षेत्र में घाटों के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 9 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(x)	Meeting additional expenditure for construction of jetties in tribal area (₹ 9 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(म)	भारतीय आरक्षित बटालियन (₹ 2 करोड़) और पुलिस आवास (₹ 0.70 करोड़) हेतु भवनों के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(y)	Meeting additional expenditure for construction of building for India Reserve Battalion (₹ 2 crore) and for Police Housing (₹ 0.70 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(य)	मोटर वाहनों की खरीद (₹ 0.14 करोड़), महाविद्यालय के भवन (₹ 3.28 करोड़), पॉलीटेक्नीक भवन (₹ 2.93 करोड़) और खेलकूद स्टेडियम (₹ 1.91 करोड़) के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(z)	Meeting additional expenditure for purchase of Motor Vehicles (₹ 0.14 crore), construction of college buildings (₹ 3.28 crore), Polytechnic building (₹ 2.93 crore) and sports stadium (₹ 1.91 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(कक)	ग्रामीण विकास विभाग के लिए भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 1 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(aa)	Meeting additional expenditure for construction of building for Department of Rural Development (₹ 1 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(कख)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.05 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(ab)	Meeting additional expenditure for construction of building for Department of Science & Technology (₹ 0.05 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(कग)	समुद्री दीवार के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 2.70 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(ac)	Meeting additional expenditure for construction of sea wall (₹ 2.70 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 91

चंडीगढ़

CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 100 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 84 देखिये)

(See page 100 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 84 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	34.05	50.00	84.05
	स्वीकृत:	Voted:	3459.03	394.71	3853.74
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित:	Charged:	...	200.00	200.00
	स्वीकृत:	Voted:	100.00	0.06	100.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	30.96	...	30.96
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3624.04	644.77	4268.81
	भारित:	Charged:	34.05	250.00	284.05
	स्वीकृत:	Voted:	3589.99	394.77	3984.76

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	Ministry of Health and Family Welfare			
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted: ...	14.71 (का)	14.71
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs			
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत: 2070 -Other Administrative Services	Voted: ...	0.50 (खb)	0.50
2014 - न्याय प्रशासन	स्वीकृत: 2014 -Administration of Justice	Voted: ...	1.00 (गc)	1.00
2056 - जेल	स्वीकृत: 2056 -Jails	Voted: ...	0.50 (घd)	0.50
श्रम और रोजगार मंत्रालय	Ministry of Labour and Employment			
2230 - श्रम और रोजगार	स्वीकृत: 2230 -Labour and Employment	Voted: ...	1.00 (डe)	1.00
विद्युत मंत्रालय	Ministry of Power			
2801 - विद्युत	स्वीकृत: 2801 -Power	Voted: ...	0.60 (चf)	0.60
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	Ministry of Social Justice and Empowerment			
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted: ...	6.00 (छg)	6.00
शहरी विकास मंत्रालय	Ministry of Urban Development			
2059 - लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत: 2059 -Public Works	Voted: ...	2.50 (जh)	2.50
महिला और बाल विकास मंत्रालय	Ministry of Women and Child Development			
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted: ...	4.15 (झi)	4.15
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	30.96	30.96

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सरकारी मेडिकल कॉलेज-32, सरकारी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल-16 के आऊटसोर्स किए गए कर्मचारियों को भुगतान और सरकारी मेडिकल कॉलेज-32 के लिए एक्स-रे फिल्मों, दवाइयों, कार्यालय सामग्री की खरीद (₹ 14.71 करोड़)।
अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 0.06 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, इसमें ₹ 14.65 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (ख) संघ शासित क्षेत्र के गेस्ट हाउस में तैनात दैनिक कामगारों की मजदूरी का भुगतान और कार्यालय सामग्री की खरीद तथा पानी एवं बिजली के बिलों का भुगतान (₹ 0.50 करोड़ रुपए)।
उक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (ग) उच्च न्यायालय के बिजली एवं पानी प्रभारों का भुगतान और जिला न्यायालय के स्वर्ण जयंती समारोह के आयोजन हेतु (₹ 1 करोड़)।
उक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (घ) जेल विभाग में तैनात दैनिक कामगारों की मजदूरी का भुगतान (₹ 0.50 करोड़)।
उक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (ङ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-28 चंडीगढ़ में सामग्री की खरीद और नए ट्रेड शामिल करना (₹ 1 करोड़)।
उक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (च) बिजली विभाग में तैनात आऊटसोर्स किए गए कर्मचारियों को भुगतान (₹ 0.60 करोड़)।
उक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (छ) वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन स्कीम की दरों में बढ़ोतरी (₹ 6 करोड़)।
उक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (ज) निर्माण सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी और कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी हेतु (₹ 2.50 करोड़)।
उक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (झ) विधवा पेंशन स्कीम की दरों में बढ़ोतरी (₹ 4.15 करोड़)।
उक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) Payment of outsourced staff of Govt. Medical College-32 Govt. Multi Specialty Hospital- 16 & Malaria and purchase of x-ray films, medicines, office material of Govt. Medical College-32 (₹ 14.71 crore).
Taking into account surrender of savings of ₹ 0.06 crore available in the capital section of the Grant, this will entail a net cash outgo of ₹ 14.65 crore.
- (b) Payment of wages to the daily wagers deployed in UT Guest House and purchase of office material and payment of water and electricity bill (₹ 0.50 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo;
- (c) Payment of electricity and water charges of High Court and for celebration of Golden Jubilee of District Court (₹ 1 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo;
- (d) Payment of wages to the daily wagers deployed in Jail Department (₹ 0.50 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo;
- (e) For purchase of material for affiliation of new Trades in Industrial Training Institute-28, Chandigarh (₹ 1 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo;
- (f) Payment of outsourced staff deployed in Electricity Department (₹ 0.60 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo;
- (g) Increase in the rates of Old age and disabled pension Scheme (₹ 6 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo;
- (h) Increase in the prices of construction material and increase in the scope of work (₹ 2.50 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo;
- (i) Increase in the rates of Widow pension Scheme (₹ 4.15 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 92

दादर और नागर हवेली

DADRA AND NAGAR HAVELI

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 107 देखिये)

(See page 107 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.01	...	0.01
	स्वीकृत:	Voted:	687.26	384.47	1071.73
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	58.10	0.02	58.12
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		745.37	384.49	1129.86
	भारित:	Charged:	0.01	...	0.01
	स्वीकृत:	Voted:	745.36	384.49	1129.85
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	Department of School Education and Literacy				
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted:	23.20 (का)	...	23.20
उच्चतर शिक्षा विभाग	Department of Higher Education				
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted:	0.90 (खb)	...	0.90
ग्रामीण विकास मंत्रालय	Ministry of Rural Development				
2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत: 2515 -Other Rural Development Programmes	Voted:	4.00 (गc)	...	4.00
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation				
2215 - जलापूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत: 2215 -Water Supply and Sanitation	Voted:	30.00 (घd)	...	30.00
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	58.10	...	58.10
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
उच्चतर शिक्षा विभाग	Department of Higher Education				
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	Voted:	0.01 (ङe)	...	0.01
पर्यटन मंत्रालय	Ministry of Tourism				
5452 - पर्यटन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5452 - Capital Outlay on Tourism	Voted:	0.01 (चf)	...	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	58.12	...	58.12

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) सहायक अध्यापकों की परिवीक्षा अवधि पूरी होने के कारण मासिक वेतन का भुगतान और बकायों का भुगतान (₹ 5.50 करोड़) (ii) संविदा आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुमोदित अध्यापकों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु सामान्य अनुदान सहायता जारी करना (₹ 9 करोड़) (iii) पंचायत में प्राथमिक विद्यालयों हेतु मध्याह्न भोजन बनाने, स्कूल बैग, स्टेशनरी सामग्री, खेलने के सामान, स्वीटर, जूते, जुराबें, ट्रैकसूट, खेलकूद

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) Payment of Monthly salary and for payment of arrears on account of clearance of probation of Assistant teachers (₹ 5.50 crore), (ii) Releasing Grant-in-aid General for payment of remuneration of approved teachers under Sarva Shiksha Abhiyan on contract basis (₹ 9 crore), (iii) Releasing Grant-in-aid General for Mid Day Meals, for purchase of School Bags,

<p>सामग्री, रिकॉर्ड प्रबंधन आदि खरीदने के लिए सामान्य अनुदान सहायता जारी करना (₹ 3.70 करोड़) (iv) मसत पेटीलाड में मसत पदरीपाडा में कक्षाओं हेतु छह कमरों के निर्माण हेतु पूंजीगत आसतियों के सृजन हेतु अनुदान जारी करना, समरवानी, नरोली, दुधानी, मंडोनी, अंबोली, गलौंडा, किलवानी, दपादा, रखोली, रंधा, दादरा पेटलाड में विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों के लिए वर्षा जल संचयन संरचना मुहैया कराना, किलवानी, गलौंडा पेटलाड में पुश्ते की दीवार सहित परिसर की दीवार का निर्माण, अन्य गांवों में विद्यालयों की कक्षाओं की विशेष मरम्मत और निर्माण (₹ 5 करोड़)।</p>	<p>Stationery materials, playing equipments, sweaters, shoes, socks, tracksuits, sports materials, Record Management etc. for primary schools in Panchayat (₹ 3.70 crore) and (iv) Releasing Grants for Creation of Capital Assets for construction of six class room building at Masat Padripada in Masat Patelad, Providing rain water harvesting structure for various primary school in Samarvani, Naroli, Dudhani, Mandoni, Amboli, Galonda, Kilvani, Dapada, Rakholi, Randha, Dadra Patelad, Construction of compound wall with retaining wall at primary school Kilvani, Galonda Patelad, Special repairs and construction of school classroom in other villages (₹ 5 crore).</p>
<p>अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p>	<p>Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;</p>
<p>(ख) चार निजी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए सामान्य अनुदान सहायता जारी करना (₹ 0.90 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p>	<p>(b) Releasing Grant-in-aid General to four private aided schools (₹ 0.90 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;</p>
<p>(ग) स्वच्छ आंगन योजना के अंतर्गत शौचालय ब्लॉकों के निर्माण हेतु सामान्य अनुदान सहायता जारी करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (₹ 11 करोड़) और तकनीकी पूरक (अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 0.55 करोड़ की बचत) को देखते हुए ₹ 3.45 करोड़ का नकद व्यय होगा।</p>	<p>(c) Releasing Grant-in-aid General for construction of toilet blocks under Swachh Aangan Yojana. Taking into account the savings (₹ 11 crore) available within the same section of the Grant & Technical supplementary (savings of ₹ 0.55 crore available in the capital section of the Grant), this will entail a cash outgo of ₹ 3.45 crore.</p>
<p>(घ) निम्नलिखित हेतु पूंजी आसतियों के सृजन हेतु अनुदान जारी करना (i) रखोली, दपादा, किलवानी, रंधा, नरोली, दादरा और समरवानी पेटलाड हेतु एकीकृत जल प्रबंधन योजना (₹ 24 करोड़), (ii) कौंचा, जामलपाडा, गुन्सा और बिलधारी पेटलाड हेतु जल आपूर्ति स्कीम मुहैया कराना (₹ 2 करोड़), (iii) दादरा, नरोली और दुधानी पेटलाड हेतु घर-घर जल आपूर्ति कनेक्शन देना (₹ 3 करोड़) (iv) चरण-I में संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली जल आपूर्ति व्यवस्था हेतु एकीकृत जल प्रबंधन (भूजल संग्रहण जलाशय) (₹ 1 करोड़)।</p>	<p>(d) Releasing Grants for Creation of Capital Assets for (i) Integrated Water Management Plan for Rakholi, Dapada, Kilvani, Randha, Naroli, Dadra, and Samarvani Patelad (₹ 24 crore), (ii) Providing water supply scheme for Kauncha, Jamalpada, Gunsa, and Bildhari patelad (₹ 2 crore), (iii) House to House water supply connection for Dadra, Naroli and Dudhani Patelad (₹ 3 crore) (iv) Integrated water management plan for UT of Dadra & Nagar Haveli water supply arrangement in Zone-I (Under Ground Water Storage Reservoir) (₹ 1 crore).</p>
<p>उक्त व्यय में नकद व्यय होगा।</p>	<p>The above expenditure will entail a cash outgo;</p>
<p>(ङ) (i) दपादा, जंडा चौक एवं अंबोली में कन्या छात्रावास के निर्माण (₹ 0.90 करोड़) (ii) मोरखाल, फालंदी, मसत, सुरंगी, खेरडी एवं सिंदोनी में हाई स्कूल भवन के निर्माण (₹ 0.93 करोड़) और (iii) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की विशेष मरम्मत हेतु अतिरिक्त राशि (₹ 1.17 करोड़) की आवश्यकता है।</p>	<p>(e) Additional amount required for (i) construction of Girls Hostel at Dapada, Zanda Chowk and Amboli (₹ 0.90 crore) (ii) construction of High School Building at Morkhal, Falandi, Masat, Surangi, Kherdi and Sindoni (₹ 0.93 crore) (iii) special repairs to higher secondary schools (₹ 1.17 crore).</p>
<p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p>	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(च) (i) दुधानी चरण-II एवं चरण-III में वाटर फ्रन्ट के विकास (₹ 0.75 करोड़) (ii) दादरा गार्डन में सिग्नेचर पैदल पुल के निर्माण (₹ 3.25 करोड़) और (iii) नक्षत्र वन गार्डन के निकट दमन गंगा नदी पर बांध के निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि (₹ 1 करोड़) की आवश्यकता है।</p>	<p>(f) Additional amount required for (i) Development of water front at Dudhani Phase-II & Phase-III (₹ 0.75 crore) (ii) Construction of signature pedestrian bridge at Dadra Garden (₹ 3.25 crore) (iii) Construction of weir across Daman Ganga River near Nakshtra Van Garden (₹ 1 crore).</p>
<p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p>	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>

मांग संख्या DEMAND NO. 93

दमन और दीव

DAMAN AND DIU

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 113 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 54 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 86 देखिये)

(See page 113 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 54 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 86 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	1387.50	277.80	1665.30
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.02	0.04	0.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	...	3.00	3.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1387.54	280.84	1668.38	
	भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	1387.52	280.84	1668.36
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
शहरी विकास मंत्रालय	Ministry of Urban Development				
4215 - जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4215 - Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	Voted:	3.00	...	3.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

दमन जिले में जलापूर्ति बढ़ाने के लिए मशाल चौक से भीमपुर नैनी दमन पाइप लाइन बदलने और अन्य जलापूर्ति संबंधी निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता (₹ 3 करोड़)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

Additional funds required for replacement of pipeline from Mashal Chowk to Bhimpore, Nani Daman for augmentation of water supply in Daman District and other water supply related works (₹ 3 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 94

लक्षद्वीप

LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 119 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 87 देखिये)

(See page 119 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 56 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 87 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1089.34	165.50	1254.84
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
भारित:	Charged:	...	17.00	17.00
स्वीकृत:	Voted:	0.03	0.12	0.15
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1089.38	182.62	1272.00
भारित:	Charged:	...	17.00	17.00
स्वीकृत:	Voted:	1089.38	165.62	1255.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- मिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
विद्युत मंत्रालय	Ministry of Power			
2801 - विद्युत	स्वीकृत: 2801 -Power	Voted: ...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वित्त वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान एचएसडी की खरीद के लिए डीजी एस एंड डी को लंबित भुगतान का निपटान करने के लिए (₹ 55 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

Clearing the long-pending payment to DGS&D against the procurement of HSD made during the Financial year 2011-12 & 2012-13 (₹ 55 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 95

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 126-127 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 57 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 90 देखिये)

(See page 126-127 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 57 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 90 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 83.77	97.00	180.77
	स्वीकृत:	Voted: 15502.67	11405.42	26908.09
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 2621.04	5820.01	8441.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: ...	1.60	1.60
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	0.05	0.06
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	18207.49	17324.08	35531.57
	भारित:	Charged: 83.77	98.60	182.37
	स्वीकृत:	Voted: 18123.72	17225.48	35349.20
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2216 - आवास	स्वीकृत: 2216 -Housing	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4058 - लेखन सामग्री और छपाई पर पूंजी परिव्यय	भारित: 4058 - Capital Outlay on Stationery and Printing	Charged: ...	1.60 (खब)	1.60
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted: ...	0.01 (गक)	0.01
4216 - आवास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4216 - Capital Outlay on Housing	Voted: 0.01 (घद)	0.01 (डे)	0.02
4217 - शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4217 - Capital Outlay on Urban Development	Voted: 0.01 (चफ)	...	0.01
6217 - शहरी विकास के लिए ऋण	स्वीकृत: 6217 - Loans for Urban Development	Voted: 0.01 (छग)	...	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	0.03	1.62	1.65
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.03	1.63	1.66
	भारित:	Charged: ...	1.60	1.60
	स्वीकृत:	Voted: 0.03	0.03	0.06

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) कार्यालय व्यय (₹ 1.77 करोड़) (ii) किराया, दर एवं कर (₹ 14.27 करोड़) (iii) रखरखाव एवं मरम्मत संबंधी निर्माण कार्यो (₹ 10 करोड़) हेतु खर्चों को पूरा करना।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) Meeting expenditure of (i) Office Expenses (₹ 1.77 crore) (ii) Rent, Rate and Taxes (₹ 14.27 crore) (iii) Maintenance and Repair works of MP House (₹ 10 crore)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ख)	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार जीआईपी, संतरागाछी के संबंध में भूमि पर प्रमुख निर्माण कार्य से संबंधित भुगतान (₹ 1.60 करोड़) करने के लिए। अनुदान के राजस्व स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(b)	Major Works making the payment related to land in respect GIP, Santragachhi as ordered by the Hon'ble Supreme Court (₹ 1.60 crore) Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ग)	बान्द्रा कुर्ला परिसर, मुंबई में आय कर, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क के कार्यालय भवनों और आईटी बिल्डिंग के निर्माण हेतु प्रमुख कार्यों के लिए (₹ 62 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	Major Works for construction of office building of Income Tax, Customs and Central Excise and IT Building at Bandra –Kurla Complex, Mumbai. (₹ 62 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	त्रिवेन्द्रम में आरवीटीआई के लिए 7 स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के प्रमुख कार्यों को पूरा करने के लिए (₹ 1 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(d)	Major Works for construction of 7 staff quarters for RVTI at Trivandrum (₹ 1 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	पश्चिमी न्यायालय छात्रावास और लोक सभा आवास के निर्माण के लिए मुहैया कराए गए (₹ 25 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(e)	Construction of Western Court Hostel and Lok Sabha Residences (₹ 25 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	(i) पुणे मेट्रो इक्विटी (₹ 100 करोड़) और (ii) नागपुर मेट्रो इक्विटी (₹ 60 करोड़) के लिए मुहैया कराए गए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(f)	(i) Pune Metro Equity (₹ 100 crore) and (ii) Nagpur Metro Equity (₹ 60 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ)	(i) चेन्नई मेट्रो (पीटीए) (₹ 331.86 करोड़), (ii) नागपुर मेट्रो (पीटीए) (₹ 36 करोड़) (iii) चेन्नई मेट्रो (उप-ऋण) (₹ 59.20 करोड़) (iv) नागपुर मेट्रो (उप-ऋण) (₹ 70 करोड़) के लिए मुहैया कराए गए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(g)	(i) Chennai Metro (PTA) (₹ 331.86 crore), (ii) Nagpur Metro (PTA) (₹ 36 crore) (iii) Chennai Metro (Sub-Debt) (₹ 59.20 crore) (iv) Nagpur Metro (Sub-Debt) (₹ 70 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 96

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 128 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 59 देखिये)

(See page 128 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 59 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: ...	4.00	4.00
	स्वीकृत:	Voted: 8357.60	402.71	8760.31
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged: 1.80	...	1.80
	स्वीकृत:	Voted: 18.00	25.00	43.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 0.40	...	0.40
	स्वीकृत:	Voted: 6.01	0.01	6.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	8383.81	431.72	8815.53
	भारित:	Charged: 2.20	4.00	6.20
	स्वीकृत:	Voted: 8381.61	427.72	8809.33
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2701 - कृहत और मध्यम सिंचाई	स्वीकृत: 2701 - Major and Medium Irrigation	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
3075 - अन्य परिवहन सेवाएं	भारित: 3075 - Other Transport Services	Charged: 0.40 (खब)	...	0.40
	स्वीकृत:	Voted: ...	6.00 (गं)	6.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.41	6.00	6.41
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4701 - कृहत और मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4701 - Capital Outlay on Major and Medium Irrigation	Voted: 0.01 (घद)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.42	6.00	6.42
	भारित:	Charged: 0.40	...	0.40
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	6.00	6.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना (ईएपी घटक- ₹ 3.03 करोड़ और कार्यक्रम घटक ₹ 3.03 करोड़)
- (ii) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी को ब्याज भुगतान हेतु सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹ 26.21 करोड़)
- (iii) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी को पीएमएसकेवाई के लिए नाबार्ड से लिए गए ऋण हेतु ब्याज भुगतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹ 18.79 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) (i) providing additional Grants for creation of Capital Assets (EAP Component - ₹ 3.03 crore and Programme Component ₹ 3.03 crore) for National Hydrology Project.
- (ii) release of Grants-in-aid General for payment of interest to National Water Development Agency (₹ 26.21 crore).
- (iii) release of Grants-in-aid General for payment of interest against NABARD loan for PMSKY to National Water Development Agency (₹ 18.79 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- | | |
|--|---|
| <p>(ख) फरक्का बांध परियोजना स्कीम के अंतर्गत 'अन्य प्रभाग' के तहत मध्यस्थता पंचाट का भुगतान (₹ 0.40 करोड़ रुपए)
अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(b) payment of arbitration awards under 'Other Charges' under the scheme of Farakka Barrage Project (₹ 0.40 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p> |
| <p>(ग) फरक्का बांध परियोजना स्कीम के अंतर्गत 'व्यावसायिक सेवाओं' के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 6 करोड़)।
अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(c) meeting additional expenditure under 'Professional Services' under the scheme of Farakka Barrage Project (₹ 6 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p> |
| <p>(घ) 'बाढ़ पूर्वानुमान स्कीम के अंतर्गत विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में दामोदर घानी निगम को ऋण जारी करना (₹ 9 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p> | <p>(d) release of loans to Damodar Valley Corporation in respect of Externally Aided Project under the scheme of 'Flood Forecasting' (₹ 9 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |

मांग संख्या DEMAND NO. 97

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 130 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 60 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 93 देखिये)

(See page 130 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 60 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 93 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	17878.12	30.00	17908.12
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	200.05	...	200.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	217.20	...	217.20
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	18295.37	30.00	18325.37
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 217.18 (गc)	...	217.18
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 217.20	...	217.20

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) अतिरिक्त व्यय पूरा करना 1. वन स्टॉप सेंटर स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 29.80 करोड़) 2. राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन स्कीम के अंतर्गत किराया दर और कर (₹ 0.85 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) एकीकृत बाल विकास सेवा सेवा स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 105.40 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) मातृत्व लाभ कार्यक्रम (₹ 234 करोड़) (ii) एकीकृत बाल विकास सेवा (₹ 1000 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, इसमें ₹ 217.18 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) Meeting additional expenditure towards 1. Grants for Creation of Capital Assets under the scheme One Stop Centre (₹ 29.80 crore) 2. Rent Rate & Taxes under the scheme National Mission for Empowerment of Women (₹ 0.85 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Integrated Child Development Services (ICDS) (₹ 105.40 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) Meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme (i) Maternity Benefit Programme (₹ 234 crore) (ii) Integrated Child Development Services (ICDS) (₹ 1000 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 217.18 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 98

यूवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 131 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)

(See page 131 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 62 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 1542.00	50.00	1592.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 214.85	...	214.85
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1756.87	50.00	1806.87
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2204 - खेल और युवा मामले	स्वीकृत: 2204 - Sports and Youth Services	Voted: 0.01 (कa)	0.01 (खb)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निम्नलिखित के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) अंतरराष्ट्रीय सहयोग (₹ 2.40 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय युवा कोर स्कीम (₹ 5 करोड़) 2. निम्न के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (i) युवा केन्द्र संगठन (₹ 5 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (₹ 0.30 करोड़) 3. भारतीय खेल प्राधिकरण स्कीम के अंतर्गत पूँजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 21.90 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) नेहरू युवा केन्द्र संगठन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.34 करोड़) 2. वेतन सामान्य सहायता अनुदान (i) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (₹ 4.41 करोड़) (ii) राष्ट्रीय गांधी युवा विकास संस्थान (₹ 0.75 करोड़) 3. राष्ट्रीय राजीव गांधी युवा विकास संस्थान के तहत कार्यालयी खर्च (₹ 0.25 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

(a) 1.GIA General under (i) International Co-operation (₹ 2.40 crore) and (ii) National Youth Corps scheme (₹ 5 crore), 2.GIA Salaries under (i) Yuva Kendra Sanghtan (₹ 5 crore) and (ii) National Anti-Doping Agency (₹ 0.30 crore), 3.Grants for Creation of Capital Assets under Sports Authority of India Scheme (₹ 21.90 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) 1.GIA General under Nehru Yuva Kendra Sanghtan (₹ 0.34 crore), 2.GIA Salaries under (i) Nehru Yuva Kendra Sanghtan (₹ 4.41 crore) and (ii) Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (RGNIYD) (₹ 0.75 crore) 3.Office Expenses under Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (RGNIYD) (₹ 0.25 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुबंध

वर्ष 2016-17 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग अनुमोदित सीमाओं से अधिक हो जाता है।

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	योजना	बजट अनुमान	पुनर्विनियोग की राशि	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	पशुपालन, डेयरिंग और मत्स्यपालन विभाग	मुख्य शीर्ष 3601 अंतर्देशीय मात्स्यिकी	200.37	88.52	विभिन्न राज्य सरकारों की मांग पूरी करना
	मत्स्यपालन विभाग	मुख्य शीर्ष 3601 अंतर्देशीय मात्स्यिकी	29.00	25.00	एससीएसपी घटक के तहत विभिन्न राज्य सरकारों की मांग पूरी करना
2.	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	2251.00.090.01.00.01 (वेतन) आयोजना-भिन्न	4.72	3.70	सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण वृद्धि किए जाने की वजह से वेतन की अतिरिक्त आवश्यकताएं पूरी करने हेतु
		2552.00.129.15.01.31(सामान्य सहायता अनुदान) आयोजना राजस्व स्कीम "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" के अंतर्गत प्रयोजन शीर्ष	81.50	70.00	पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में आवर्ती अनुदानों का व्यय पूरा करने के लिए
		2552.00.796.89.01.31(सामान्य सहायता अनुदान) आयोजना राजस्व स्कीम "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" के अंतर्गत प्रयोजन शीर्ष	18.00	10.00	पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में आवर्ती अनुदानों का व्यय पूरा करने के लिए
		3601.02.180.02.01.31(सामान्य सहायता अनुदान) आयोजना राजस्व स्कीम "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" के अंतर्गत प्रयोजन शीर्ष	810.20	300.00	पूर्वोत्तर राज्यों में आवर्ती अनुदानों का व्यय पूरा करने के लिए
		3601.02.789.66.01.31(सामान्य सहायता अनुदान) आयोजना राजस्व स्कीम "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" के अंतर्गत प्रयोजन शीर्ष	238.00	150.00	पूर्वोत्तर राज्यों में आवर्ती अनुदानों का व्यय पूरा करने के लिए
		3601.02.796.68.01.31(सामान्य सहायता अनुदान) आयोजना राजस्व स्कीम "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" के अंतर्गत प्रयोजन शीर्ष	145.00	50.00	पूर्वोत्तर राज्यों में आवर्ती अनुदानों का व्यय पूरा करने के लिए
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क. गृह मंत्रालय	एम एच 2055-पुलिस 0.109.13-जिला पुलिस की स्थापना	116.44	7.99	रिक्तियों को भरने और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के कारण वेतन के लिए व्यय पूरा करना

ANNEXURE

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits during 2016-17.

(Rupees in Crore)

Sl. No.	Name of the Ministry/ Department	Scheme	Budget Estimates	Amount of Re-appropriation	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries	MH 3601			
		Inland Fishery	200.37	88.52	To meet the demand of different State Governments
		MH 3601 (SCSP)			
		Inland Fishery	29.00	25.00	To meet the demand of different State Governments under SCSP component
2.	Department of School Education and Literacy	2251.00.090.01.00.01 (Salaries) Non-Plan	4.72	3.70	For meeting requirements of Salary on account of increase effected due to implementation of re-commendations of 7th CPC.
		2252.00.129.15.01.31 (Grants-in-Aid General) object head under Plan revenue scheme "National Education Mission-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan"	81.50	70.00	To meet expenditure of recurring grants in North-Eastern States and Sikkim.
		2552.00.796.89.01.31 (Grants-in-Aid General) object head under Plan revenue scheme "National Education Mission-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan"	18.00	10.00	To meet expenditure of recurring grants in North-Eastern States and Sikkim.
		3601.02.180.02.01.31 (Grants-in-Aid General) object head under Plan revenue scheme "National Education Mission-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan"	810.20	300.00	To meet expenditure of recurring grants in Non NER States.
		3601.02.789.66.01.31 (Grants-in-Aid General) object head under Plan revenue scheme "National Education Mission-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan"	238.00	150.00	To meet expenditure of recurring grants in Non NER States.
		3601.02.796.68.01.31 (Grants-in-Aid General) object head under Plan revenue scheme "National Education Mission-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan"	145.00	50.00	To meet expenditure of recurring grants in Non NER States.
3.	Andaman and Nicobar Islands				
	A. Ministry of Home Affairs	MH 2055- Police			
		00.109.13-District Police Establishment	116.44	7.99	To meet the expenditure for salaries due to filling up of vacancies and 7th CPC.

(करोड़ रुपए)					
1	2	3	4	5	6
	डी-विद्युत मंत्रालय	मु.शी.-2801-विद्युत 04.103.01 विद्युत संयंत्र और अनुषंगी निर्माण कार्य	320.70	511.08	एचएसडी/स्नेहक तेल की खरीद के लिए डीजीएसएंडडी के लंबित बिलों का भुगतान करने पर व्यय पूरा करना
	एफ-पर्यावरण और वन मंत्रालय	मु.शी. 2406-वानिकी और वन्य जीव 01.101.01 वन विकास	65.60	6.00	सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के कारण वेतन और मजदूरी पर व्यय पूरा करना
	आई-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	मु.शी. 2210- चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य 01.001.06- स्वास्थ्य सेवा निदेशालय	25.64	6.29	वेतन और अनिशी स्कीम के अंतर्गत व्यय पूरा करना
	आई-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	मु.शी. 2210- चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य 05.105.52 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान सोसायटी	75.00	6.00	अनिमर्स के संबंध में व्यय पूरा करना
	जे-स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	मु.शी. 2202-सामान्य शिक्षा 01.101.02-प्रारंभिक शिक्षा	221.08	18.60	रिक्तियों को भरने और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के कारण वेतन के लिए व्यय पूरा करना
	के-उच्चतर शिक्षा विभाग	मु.शी. 2202-सामान्य शिक्षा 02.109.03-माध्यमिक विद्यालय	117.59	17.79	रिक्तियों को भरने और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के कारण वेतन के लिए व्यय पूरा करना
	एस-पोत परिवहन मंत्रालय	मु.शी. 3052- पोत परिवहन 02.103.04-अंतर द्वीपीय पोतों का कार्यचालन प्रभार	170.66	14.13	अंतर द्वीपीय पोतों और पोतों की चार्टरिंग लागत का कार्यचालन व्यय पूरा करना
	एक्स-शहरी विकास मंत्रालय	मु.शी. 4216-आवास पर पूंजी परिव्यय 01.796.01-भवन	3.48	19.74	मध्यस्थता पंचाट, लागत बढ़ोतरी और कानूनी तथा न्यायालयी मामलों में उपस्थित होने के लिए यात्रा खर्च एवं सीपीडब्ल्यूडी के संबंध में मध्यस्थता मामले पर व्यय पूरा करना।
	एए-संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	मु.शी.3225-दूर संचार सेवाएं 60.101.01-उपग्रह ट्रांसपोंडर को किराए पर लेना	91.50	54.00	बीएसएनएल के जरिए उपग्रह ट्रांसपोंडर को किराए पर लेने हेतु व्यय पूरा करना
4.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	प्रदर्शनी और मेला	0.50	3.25	उप-शीर्ष (3425.60.600.02) प्रदर्शनी और मेला के अंतर्गत भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

(Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	D-Ministry of Power	MH 2801-Power 04.103.01 Power Plant and Ancilliary Works	320.70	511.08	To meet the expenditure on clearing pending bills of DGS&D for purchase of HSD/Lub oil.
	F-Ministry of Environment and Forests	MH 2406-Forestry and Wild Life 01.101.01-Forest Development	65.60	6.00	To meet the expenditure on salaries and wages of the employees due to 7th CPC.
	I-Ministry of Health and Family Welfare	MH-2210-Medical and Public Health 01.001.06-Directorate of Health Services	25.64	6.29	To meet the expenditure under salaries and the ANISHI scheme.
	I-Ministry of Health and Family Welfare	MH-2210-Medical and Public Health 05.105.52-Andaman & Nicobar Islands Medical Education and Research Society	75.00	6.00	To meet the expenditure in respect of ANIMERS
	J-Department of School Education and Literacy	MH-2202-General Education 01.101.02-Primary Education	221.08	18.60	To meet the expenditure for salaries due to filling up of vaccancies and 7th CPC.
	K-Department of Higher Education	MH-2202-General Education 02.109.03-Secondary Schools	117.59	17.79	To meet the expenditure for salaries due to filling up of vaccancies and 7th CPC.
	S-Ministry of Shipping	MH-3052 Shipping 02.103.04 Operational Charges of Inter-Islands Vessels	170.66	14.13	To meet the operational expenditure of inter island vessels and chartering cost of vessels.
	X-Ministry of Urban Development	MH-4216-Capital outlay on Housing 01.796.01-Building	3.48	19.74	To meet the expenditure on arbitration award, cost escalation and legal and travel expenses to attend court cases and arbitration cases in respect of CPWD
	AA-Ministry of Communications and Information Technology	MH-3225-Telecommunication Services 60.101.01-Hiring of Satellite Transponder	91.50	54.00	To meet the expenditure for hiring of satellite transponders through BSNL.
4. Department of Science and Technology		Exhibition & Fairs	0.50	3.25	To meet the additional expenditure for participating in India International Science Congress under sub head (3425.60.600.02) Exhibition & Fairs.